हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1995

खण्ड 1, अक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 10 मार्च, 1995

पृष्ठ सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)54
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
हरियाणा राज्य में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान संबंधी	(5) 55
वक्तव्य–	
मुख्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(5) 84
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(5)79
वाक आउट	(5)84
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5)85

सदन की बैठक दो दिन और बढ़ाना	(5)99
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 102
बैठक का समय बढ़ाना	(5)105
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5)105
वैयक्तिक स्पष्टीकरण/एक व्यक्ति को सदन में आमन्त्रित करने संबंधी रूलिंग रिजर्व करना	(5)117
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 123
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 123
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 124
बैठक का समय बढ़ाना	(5)133
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 133
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	

(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा	(5) 141
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 141
बैठक का समय बढ़ाना	(5) 144
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 144
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
(2) चौधरी बंसी लाल द्वारा	(5) 146
राज्यपाल के अभिभाषण पर चची तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 146
वर्ष 1994–95 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	(5) 146

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Registration for R.M.P.

***10I9 Shri Krishan Lal** :Will the Minister for Health he pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open registration of R.M.Ps. in the State during the year 1994-95 ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (बहिन करतार देवी): नहीं।

श्री कृष्ण लालः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दूसरी स्टेट्स में आर०एम०पी० डाक्टर्ज रजिस्टर कर लिए जाते हैं तो हमारी स्टेट में ये रजिस्टर क्यों नहीं किए जाते? इसका क्या कारण है? आज हुमारे प्रदेश मे कम से कम 70 और 75 हजार आर०एम०पी० डाक्टर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नही किया हुआ है। पिछले हाउस में हमारी पार्टी की तरफ से इस बारे में एक कालिंग अटैन्शन मोशन आया था, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से मन्त्री जी ने बताया था कि जो आर०एम०पी डाक्टर्ज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन

करने के लिए पहले हम उनका टैस्ट लेगे और अगर वे टैस्ट क्वालिफाई कर लेगे तो उनको रजिस्टर करने के बारे में विचार कर लिया जाएगा। क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है और अगर लिया है तो कब तक उन डाक्टर्ज को रजिस्टर कर देंगें?

बहिन करतार देवीः स्पीकर सर, बहुत पहले 24– 9– 1970 को ये पजींकरण खोले गए थे। उससे पहले पंजाब में एक एक्ट के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होती थी।

उस समय 24,165 आवेदन पत्र इन डाक्टर्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे जिसमें से 11, 137 डाक्टर्ज का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि इंडियन मैडीसन सैट्रल कौसिलऐक्ट, जो कि 1970 में बना था, के अनुसार हरियाणा में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, दोनों तरह के डाक्टर्ज के लिए पंजीकरण 1970 और 1978 में हो चुका है। यह ऐक्ट केवल हरियाणा में हर नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स में भी लागू है। सर, दूसरी स्टेट्स मे केवल अनुभव के आधार पर ही इन डाक्टर्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। यह अलग बात है कि उन स्टेट्स ने अलग अलग डिग्रियों को मान्यता दे रखी है लेकिन वह भी इन्होने इसी ऐक्ट के अन्दर दे रखी है। इसलिए उस एक्ट को देखते हुए उनको पंजीकरण देने की कोई संभावना नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं माननीय बहन जी से जानना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है इसमें बिहार व अन्य

दूसरी स्टेट्स से लोग डिग्रियां लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा, जो बच्चे फार्मेसी में डिप्लोमा करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का यहां पर कोई दफ्तर है, लेकिन वह हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है। वह शायद कोई आटोनौमस बौडी है, जिसके बारे में पहले भी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बारे मे कोई पुनर्विचार करेगा?

बहिन करतार देवीः स्पीकर सर, जैसे दूसरी शिक्षा बढ़ रही शै, इसी तरह से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, इन तीनों साईडों में पूरे देश में और प्रदेश में शिक्षा बढ़ रही है। इसलिए केवल अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन करने की बात तो सोची भी नहीं जानी चाहिए थी। आवश्यकता तो इस बात की है कि इसमे कु छ और कोर्स कराकर उनको सिखाया जाए, क्योंकि इस समय होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति के 25,225 डाक्टर हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात इन्होंने फार्मेसी के बारे में कही है। सर, वह तो अलग बात है। यह सवाल तो आर०एम०पी० डाक्टर्ज के बारे में है। अगर ये फर्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अलग से नोटिस दे दें।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी हाउस में चर्चा हुई थी और उस समय सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि आर०एम पी० डाक्टर्ज का टैस्ट कराकर देखेंगे। जो कैडीडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान मे ऐसे डाक्टर्ज रजिटर हो सकते हैं, तो हरियाणा में कों नही हो सकते?

बहिन करतार देवीः स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया हैं कि यह इंडियन मैडीसन सैंट्रल ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर राजस्थान या दूसरी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उन्होंने कुछ डिग्रियों को मान्यता दी हुई है। अनुभत के आध पर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रजिस्टर नहीं हो जा **चौधरी जिले सिंह जाखड़ः** मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि गांव के अन्दर डाक्टर आर०एम०पी० या ए०आई०एम०एस० की डिग्रियों का बोर्ड लगाकर बैठे हैं और उनको किसी भी प्रकार का कुछ ज्ञान नहीं है। न उनके पास कोई दवाई होती और न ही उनको इंजैक्शन ही लगाना आता है। उनको दवाईयों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वे देहा तों में इस तरह के बोर्ड लगाकर बैठे हैं। क्या सरका र ऐसे डाक्टर्ज के बोर्ड चौक कराऐगी जो इस तरह के बोर्ड लगाकर बैठे हैं? ऐसी शिकायतें पहले भी आयी हैं कि ऐसे डाक्टर्ज के द्वारा इंजैक्शन वगैरह लगाने से कोई लफड़ा हो गया और किसी की तो मौत भी हो गयी है। तो क्या सरकार ऐसे डाक्टरों के बोर्ड और सर्टिफिकेट चौक करवा कर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

बहिन करतार देवीः स्पीकर सर माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। कहा गया है कि नीम हकीम खतराएजान। उसके लिए हमारे ड्रग कंट्रोलर द्वारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों साईड से चौकिंग की जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि 1992– 93 मे 454 डाक्टर चौक किए गए, जिनमें से 16 अन–रजिस्टर्ड पाए गए और उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए। 1993 में

321 चौक किए गए। 1994 से अब तक, जिसमें जनवरी के बाद की फिग्गर नहीं है 185 डाक्टर चौक किए गए, जो अन–रजिस्टर्ड पाए गए, 16 केस उनके खिलाफ दर्ज कराए गए हैं।

Construction of a Dam on Tangri, Gbaggar Rivers

***1004. Dr. Ram Parkash : Will** the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Dam on Tangri, Markanda or Ghaggar rivers to raise the water table; and

(b) if so, the steps taken in this regard so far ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) :

(a) The proposal for constructing a Dam on Tangri, Markanda or Ghaggar rivers for irrigation & raising the water table is under investigation.

(b) Question does not arise.

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चा हूंगा कि यह छान–बीन कब से जारी है, कब तक इसके पूरे होने की संभावना है, छानबीन किन्हें सौंपी गई है और उसकी नेचर क्या है? वैसे मेरे विचार में छान–बीन शुरु करना भी एक पग है और इसलिए अगर भाग (क) के जवाब में उस पग की चर्चा को है तो भाग– (ख) में यह कहना कि 'क्वैश्चन डज नाट एराइज' उचित

नहीं है। दोनो का फार्मेट आपस मे मिलता नही है। साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इसमे कुछ समय लगने की संभावना है और इस क्षेत्र में वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है तो क्या कोई राहत देंगे? पहले वाटर लैवल 50 फुट के करीब था आज 75 से 80 फुट के करीब है पर उसके लिए बिजली के जो अलग अलग तीन रेट्स है वे हमारे इलाके पर लागू नहीं होते। हमारें यहां चाहे 80 फुट पर वाटर टेबल हो, पचास फुट वाले रेट चार्ज किए जाते है। इस वाटर टेबल को०पर पहुंचाने को क्या कोई और भी स्कीम सरकार के विचारा–धनि है? खास तौर पर जब यमुना जल समझौता हो चुका है, उसके बाद भी दादूपुर नलवी और लाडवा दादूपुर नहर का काम प्रारम्भ नही हुआ है। क्या इस लैवल को०पर उठाने का और कोई ढंग है? क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, इसकी इन्वैस्टीगेशन नवम्बर 1990 से शुरु हुई और हरिया णा गवर्नमैंट और सी० डब्ल्यू०सी० जो दिल्ली की है, उनके ताल– मेल से जारी है। यह जो इनकी चिन्ता है कि वाटर टेबल नीचे गिर रहा है, बारिश के दिनों में फ्लड आ रहा है, हरियाणा सरकार भी इस बारे में चिंतित है। इसीलिए इन्वैस्टीगेशन काफी लार्ज स्केल पर शुरु किया है। जो नदियों है, उनमें इसे अलग–अलग तरीके से शुरु कया है। एक तो धनौरा–रिजरा प्रोजैक्ट रिवर मारकंडा पर, एक जसपुर रिसर्च प्रोजैक्ट रिवर टांगरी पर और घग्घर डैम प्रोजैक्ट घग्घर पर है। इसके अलावा भी छोटे–छोटे डैम हैं, उनको बनाने के लिए भी इन्वैस्टीगेशन है। जैसे टांगड़ी पर खेत पराली, एक

मसूमपुर, एक सबलपुर, एक त्रिलोकपुर। यानी इनसे पानी को रोककर जिससे री–चार्जिंग भी हो, सिंचाई भी हो और बाढ़ की जो स्थिति है, उसमें भी रुकावट आए। स्पीकर सर, एग्रीकल्चर और फारैस्ट महकमा भी इसमें संलग्न है। फारैस्ट महकमे के०पर के लैवल के जो चौक डैम हैं वे हमारे पास हैं। इसी तरह से ऐग्रीकलचर विभाग का भी संबंध है। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े–बड़े डैम्ज की इन्वैस्टीगेशन जारी है और उसमें मेन बात पैसे की है, और पैसा हम लगा रहे है। पैसे के साधन कहां से हो सकते हैं, इसके लिये हम कोशिश कर रहे है। वर्ल्ड–बैक से इसके लिये टाई–अप कर रहे हैं ताकि बाटू की स्थिति में पानी०पर रुके, रि–चार्ज हो और उससे सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि यह इलाका कितना पहाड़ी है, कितना मैदानी हे?

चौधरी जगदीश नेहराः सर, मोस्टली पहाड़ी और मैदानी के बीच की स्थिति है। वहां सर, दिक्कत क्या है कि सिल्ट बहुत आती है, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं और ज्यादातर सिल्ट निकलती है। एक तो पुराने टाईम पर जो सिल्ट निकालने का सिस्टम था, वह ठीक नही है। जैसे पानी को पहले रोका, फिर जो यह फट्टे थे, वे०पर उठा दिये और बाद में उसमें पानी चला गया। अब नई टैक्नीक आ रही है, लेकिन उसके०पर पहले से ज्यादा खर्चा आएगा।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यहां पर मारकंडा व टांगरी नदियों का जिकर किया है। उसी तरह से जो बरसाती नालें जैसे कि चोतंग, राखसी व सरस्वती हैं, यह बहुत गहरे नाले हैं। इनका पानी आगे चलकर बड़ा नुकसान करता है और ऐसा इनमें स्कोप हैं, जिनमें खर्चा भी कुछ नहीं लगता। किसान की सहायता से बन्ध लग सकते हैं और उससे वाटर रि–चार्जिग भी हो जाएगी और वाटर टेबल भी हमारा बढ़ जाएगा और इससे किसानों को सिंचाई के लिये भी सुविधा मिल जाएगी। जैसे मेरा अपना ही गांव है। वहां पर, आपको मैं बताता हूं कि जब जीरी पकने को होती है, तब पानी ही नहीं मिलता। अगर सरकार उन नालों पर किसानों को अपने वाटर–पम्प लगाने की इजाजत दे दे तो जीरो पक ने के समय पानी मिल सकता है। क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्षः चौधरी लहरी सिंह जी, क्या आपने अपना यह सूझाव लिखकर सरकार के पास भेजा हुआ है?

साथी लहरी सिंहः जी हां, मैंने लिखकर भिजवा रखा है।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की इंवेस्टीगेशन जारी हैं और उन्ही जगहों पर है जहां पर कि छोटी–छोटी जगहें हैं। इसका मेन मकसद यह है कि पानी इकट्ठा हो, लेकिन गांव उसमें न आएं, यह भी ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। जो फील्ड में हैं, जैसे बीबीपुर लेक है, ओटू है। ये इनके बारे में भी शायद

जानना चाहते हैं। इन से सिल्ट निकाल कर और बांध बनाकर पानी इकट्ठा करने की और रि–चार्जिग करने की इंवैस्टीगेशन चल रही है।

साथी लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां पानी इकट्ठा होता है वहां किसानों को अपने वाटर पम्प लगाने की इजाजत अवश्य दे दो, तभी किसान का फायदा हो सकता है। अभी तक तो सरकार की ओर से कोई इजाजत नहीं है और पानी यूंही बह रहा है। वाटर–पम्प लगाने पर बैन है। अगर जमींदारों को वाटर पम्प लगाने की सरकार इजाजत देगी वे लोग तभी तो अपने खेतों को पानी दे सकेंगे। इसलिये सरकार इस पर विचार करे।

चौधरी जगदीश नेहराः जो पानी वह रहा है, उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार भी और मुख्य मन्दी महोदय ने भी बारे में विभाग को कहा था कि जो बांध बने हुए हैं और बाढ़ का पानी आगे जा रहा है, उसमें जमींदार एक क्यूसिक, दो क्यूसिकस व तीन क्यूसिक के मोघे ले लें। आपका सवाल दूसरा है। उसमें कोई रुकावट नही है। जैसे पानी नीचे घग्घर में जा रहा है, आप उसको लिपट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नही है। अगर आपस में कोई झगड़ा हो तो रुकावट हो सकती है। हम इसकी इंवेस्टीगेशन कर लेंगे। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि जो पानी बांध के बावजूद आगे जा रहा है और वह बाढ़ का पानी है, वह 20– 40 हजार क्यूसिक आगे जा रहा है लेकिन साथ में जीरी की खेती सूखी पड़ी हो, तो उसके लिए हम किसानों को अपील करते हैं कि वे वहां से मोघे ले लें। वे एक–दों या तीन क्यूसिक्स के मोघे लें

ताकि जो बाढ़ का पानी है, जिसमें मिनलर्ज भी होते हैं और खेती के लिए अच्छा होता है, उसका किसान इस्तेमाल करे। हम किसानो को मोघे देने के लिए तैयार हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी लहरी सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जहां पानी आगे जा कर नुकसान करता है, अगर उस पानी को किसान अपने खेत में ले लें, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। हम इस बात के लिए सरकार की तरफ सै फैसला करते है कि किसान वह पानी ते सकता है। तेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक दो पानी से फसल नही पकती। इसलिए अगर वह बाद में दूसरा पानी लेगा और जब हैम उससे बिल मांगेंगे तो वह कहेगा कि मैंने तो पानी घग्घर नदी से लिया था, इसलिए मैं इससा आबियाना नही दूंगा। अगर नदी के पानी से उसकी फसल पक जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह दूसरा पानी लेगा तो उसे आबियाना देना पड़ेगा।

साथी लहरी सिंह: हमारे यहां तो ट्यूबवैल का पानी लगाते हैं जिसका फ्लैट रेट है।

चौधरी भजन लाल: मैंने कह दिया है कि वाटर पम्प लगाने पर कोई बैन नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, नेहरा जी ने फरमाया कि घग्घर, टांगरी और मारकंडा में बरसात के दिनों में बहुत पानी बहता है जो किसानों का नुकसान करता है। आज पूरे हरियाणा का

जल स्तर नीचे जा रहा है। डा० राम प्रकाश जी के यहां 80 फुट तक यह स्तर नीचे चला गया है जिसकी वे चिन्ता कर रहे हैं। हमारे जिलों में तो तीन सौ फुट तक जल स्तर नीचे चला गया है। यह जल स्तर इतने एलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है कि इसको देखते हुए, उन इलाकों में, 1988 में, बरसात के दिनों में कृष्णावती, साहबी और दोहन नदियों में नहर का पानी छोड़ा गया था। तो क्या मन्त्री महोदय किसानों को बचाने के लिए इन नदियों में नहरों का पानी डालने पर विचार करेंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया की ये बात कर रहे है वहां घग्घर और मारकंडा नदियों का पानी नहीं जा सकता बल्कि वहां पर जे० एल० एन० का पानी जाता है। वहां पर बारिश के दिनों में ही पानी जाता है। जब फ्लड के टाईम में यमुना में पूरा पानी होता है, तो वह पानी हम उधर देते हैं। जो पानी राजस्थान से आता है, उसके बारे में पिछली बार मीटिंग हुई थी और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को कहा था कि आपने जो बांध बना रखे हैं, उनको हटाओ। तो उन्होंने कहा था कि हमने कोई बांध नहीं बना रखे हैं। हम इस बारे में दोबारा राजस्थान सरकार से बात करेंगे।

श्री अध्यक्षः क्या कोई कमेटी उनको चौक करने गई थी?

चौधरी जगदीश नेहराः उन्होंने कहा था कि कमेटी से बाद में चौक करवा देंगे। मैंने उनके मिनिस्टर से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें टाईम नहीं दिया और मे ही ज्वायंट इंस्पैक्शन करवाई। यह बात

पहले हुई थी और अब भी हमारी यही कोशिश है कि ज्वायंट इन्स्पैक्शन हो।

श्री अध्यक्षः आपने प्राइवेट तौर पर भी तो पता किया होगा?

चौधरी जगदीश नेहराः हमने प्राइवेट तौर पर पता किया था। उन्होंने कुछ बांध बना रखे हैं। उन्होंने साहबी और दोहान नदियों पर बांध बना रखे हैं। लेकिन उन्होंने जो ओफर दी है, उसको हमने एक्सैप्ट किया है लेकिन अभी वह काम हुआ नहीं है। हमने सी० डब्ल्यू० सी० से भी कहा है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आपने ठीक सवाल 'किया था। साहबी, कृष्णावती और दोहान नदियों पर राजस्थान सरकार ने अपनी साईड में कच्चे बांध बना रखे है। वे बांध मैंने भी देखे हैं। तकरीबन 9– 10 जगहों पर बांध बना रखे हैं। पहले बड़े–बड़े बांध बांध रखे हैं, फिर उसके बाद छोटे बांध बना रखे हैं। उन बांधों से हरियाणा प्रदेश को दोहरा नुकसान है। पहला नुकसान तो यह है कि पानी नहीं आ रहा है। दूसरा नुकसान यह है कि यदि किसी टाईम पर ज्यादा बारिश हो जाए तो वे बांध कच्चे होने के कारण टूटेगे और टूटने के बाद मसानी बांध मैं रैगुलेटर न होने की वजह से हमारी तरफ बाढ़ की स्थिति हो जाएगी यानि बाढ़ आएगी। अगर बाढ नहीं आएगी तो पानी न आने की वजह से ड्राउट पड़ जाएगा। इसलिए हरियाणा सरकार इस बारे में सीरियस हो कर सैंट्रल वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से मिले और

उनसे मिलकर उस पर दबाव डालें, स्ट्रैस करें और उन बांधों को उनसे रिमूव करवाएं। यह आपस का एग्रीमैंट है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आपने भी ठीक बात पूछी और सम्पत सिंह जी ने भी ठीक कहा है। यह ठीक बात है कि उन नदियों पर राजस्थान वालों ने अपनी साईड में छोटे–छोटे बांध बांध रखे हैं। इन बारे में हमारे से पहले 'जो चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, मैं उस सरकार का सबसे ज्यादा कहर मानता हूं क्योंकि अगर वह सरकार मसानी बैराज नहीं बनाती तो वे अपनी साइड में बांध नहीं बांधते। हमारे से पहले वाली सरकार ने मसानी बैराज बनाना शुरु कर दिया तो उन्होंने अपनी साईड में बांध बांध लिए। वह पानी हमारे इलाके में नुक्सान करेगा। मेरी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात हुई। मैंने उनसे कहा कि मसानी बैराज और साहबी नदी के पानी से रिवाड़ी जिले के किसानों को बड़ा भारी फायदा होता था लेकिन अब वहां पर पानी न आने के कारण वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है और किसान बरबाद हो गए हैं। हमारी राजस्थान के मुख्य मन्त्री से इस बारे में सैट्रल वाटर रिसोर्सिज मन्त्री श्री शुक्ला के सामने बात हुई। उस समय राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि हम आपस में एक ज्वायट मीटिंग कर लेंगे। उस मीटिंग में आप भी आ जाएं और आपके मन्त्री भी आ जाएं, मैं भी आ जाऊंगा और हमारा मन्त्री भी आ जाएगा और आपके महकमे के और हमारे महकमे के औफिसर्ज भी आ जाएंगे। मैंने यह काम नेहरा साहब के जिम्मे लगाया और नेहरा साहब ने इस बारे में पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन राजस्थान के सियासी हालात

ऐसे हो गए कि वह सरकार चली गई और दोबारा चुनाव हो गए और चुनाव के बाद फिर वही मुख्य मन्त्री आ गए हैं। जब यमुना वाटर का समझौता हुआ, उस समय मैंने उनसे इस बारे में दो दफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि चौधरी भजन लाल जी, आप भी आ जाएं और आप अपने मन्त्री को भो साथ ले आए मैं भी आ जाऊंगा। हम बैठ कर इस बारे में बात कर लेंगे। अगर हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान होता होगा, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी बात को माना है। हम फिर उनसे बातचीत करेगे कि उन्होंने जो वहां पर बांध बना रखे हें, उनको वह जरूर हटाए ताकि हरियाणा प्रदेश को कोई नुक्सान न हो।

Incentive to small scale sector in the State

***1042. Shri Jai Singh :** Will the Minister of State for Industries be pleased to state—

(a) whether any special provision has been made for augmenting the production in small scale sector in the State; and

(b) if so, the details thereof ?

उद्योग मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी):

(क) जी हां।

(ख) राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन संवर्धन के लिए किए गए विशेष प्रावधान का ब्यौरा सदन के पटल पर रहे।

ब्यौरा

राज्य सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बड़ाने कें लिए तथा इकाईयों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

1. राज्य में लघु औद्योगिक इकाईयों को बिक्री कर छूट/स्थगन, नकद अनुदान, सरकारी खरीद पर मूल्य अधिमान, बिजली शुल्क छूट, चुंगी कर छूट इत्यादि कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनका ब्यौरा निम्न अनुसार है:–

(क) बिक्री कर छूट/स्थगन

लधु औद्योगिक इकाईयों को बिक्री कर छूट/स्थगन का लाभ अचल पूंजी निवेश के 150 प्रतिशत की दर से जोन ''एं' में आने वाले क्षेत्रों में तथा 125 प्रतिशत की दर से जोन ''बी'' से क्षेत्रों में तथा 100 प्रतिशत की दर से जोन ''सी'' में आने वाले क्षेत्रों में दिया जाता है जबकि बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक इकाईयों को यह लाभ अचल पूंजी निवेश के 125 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत की दर से क्रमशः जोन ए, दी तथा सी में दिया जाता है।

इसी प्रकार उन लघु उद्योगों को जिन्होंने विस्तार/विविधिकरण किया है को भी बिक्री कर छूट/स्थगन का लाभ 100 प्रतिशत की दर से तथा उड़े व मध्यम उद्योगों को 99 प्रतिशत की दर से सभी जोन में प्रदान किया जाता है।

जोन ए, बी, सी में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

जोन ए.	पिछड़े क्षेत्र
जोन बी	पिछड़े क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र तथा फरीदाबाद–बल्लभगढ प्रशासन कम्पलैक्स में आने वाले क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्र
जोन सी	फरीदाबाद–बल्लंभगढ प्रशासन कम्पलैक्स मे पड़ने वाले क्षेत्र।

(ख) मूल्य अधिमान–

राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों की 10 प्रतिशत की दर से जबकि बड़े तथा मध्यम उद्योगी उद्योगो को 6 प्रतिशत की दर से मूल्य अधिमान प्रदान किया जाता है।

(ग) जनरेटिग सैट

जनरेटिंग सैट अनुदान केवल लघु उद्योगों को 1200 रुपये प्रति के०वी०ए० की दर से या 30 प्रतिशत मूल्य जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, प्रदान किया जाता है।

(घ) पूंजी निवेश अनुदान

(1) पूंजी निवेश अनुदान कृषि आधारित तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को राज्य भर में अचल पूजी निवेश पर 25 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये प्रदान किया जाता है।

(2) इलैक्ट्रोनिक इकाईयों को पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

–राज्य में कहीं भी स्थापित इकाई को 15 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा' 15 लाख रुपये है।

–पिछड़े क्षेत्र में, स्थापित इकाई को 25 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नई इकाईयो को 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 16 लाख रुपये है, प्रदान किया जाता है।

(ड) बिजली शूल्क से छूट

राज्य सरकार सभी नई इकाईयों को पांच वर्ष की अवधि के लिए बिजली शुल्क से के प्रदान करती है।

(च) चूंगी शुल्क अदायगी में छूट

सभी नई उद्योगिक इकाईयों को स्थाई यत्न, भवन निर्माण सामग्री तथा कच्चे माल पर जोन ए मे 9 वर्ष, जोन बी में 7 वर्ष तथा

जस्ते ही में 5 वर्ष की अवधि के लिये चुंगी कर की अदायगी के छूट प्रदान की जाती है

(छ) ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत अनुदान

1. ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की दर से पूजी निवेश अनुदान ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जानें वाली नन्ही इंकाईयों को प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।

2 (1) लघु उद्योगिक इकाईयों के समुचित विकास के लिये एनसिलरी उद्योगिक सम्पदाओं को विकसित किया जा रहा है।

(2) ग्रामीण युवको को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा फोकल गांवों का चयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योंग कुंज स्थापित किए जा रहे हैं।

(3) विशेष तौर पर लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के विस्तार के विभिन्न जिलों में ग्रोथ सैंटर, एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र, इण्डस्ट्रीयल पार्क तथा उद्योगिक सम्पदायें विकसित की जा रही हैं।

श्री जय सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई आदमी हरियाणा प्रदेश में कोई लघु उद्योग लगाना चाहे तो क्या उसको रियायती दरों पर प्लाट देंगे?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, मैंने अपना जबाब बड़ी डिटेल में दिया हैं। मेरा जवाब पूरे अढ़ाई पेज का है। इसमें लिखा है

कि किस–किस तरह की छूट हम दे रहे हैं। हमारी बहुत सी स्कीमें हैं जिनके तहत हम छूट दे रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना' चाहता हूं कि किसानों से जमीन लेने के बाद हम जब प्लाट देतें हैं तो उनको यानी प्लाट लेने वाले को 'नो प्रोफिट नो लौस' बेसिज पर प्लाट्स देते हैं। जहाँ तक छूट देनें की बात है, इनको हम सेल्ज टैक्स में एग्जैमशन/डैफरमैंट, कैश सबसिडीज, प्राईस प्रैफरैस इन गवर्नमैंट परचेजिज, इलैक्ट्रीसिटी डियूटी ऐग्जैमप्शन, ओक्ट्राय एग्जैमप्शन आदि की छूट देते हैं। मैंने तो अपना जवाब तफसील में दिया है। फिर भी यदि ये किसी खास मद के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये पूछ लें, मैं बता दूंगा।

श्री जय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'नो प्रोफिट नो लौस' बेसिज पर कितने लोगों को कितने प्लाट्स दिए गए?

श्री ए० सी० चौधरीः हरियाणा में इस वक्त 1, 23,731 स्माल स्केल यूनिट्स हैं। इनमें गई एरण्ड लार्ज हम जितने प्लाट्स सबसिडाईज्ड रेट्स पर दे सकते हैं, दिए हैं इनमें कुछ प्लाट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन में यूनिट्स लगाए हैं। ऐसे यूनिट्स को हमने चेंज आफ लैण्ड यूज, सबजैक्ट टू दी कंडीशन दी है। यानि जो हमारी शर्तें हैं, वे पूरी वरने पर, उन्को वहां पर यूनिट्स चलाने की परमिशन दी है। इन 1, 23,731 यूनिट्स में से कितने यूनिट्स को सबसिडाइज्ड रेट्स पर लोगो को प्लाट दिये हैं, यह बताना मेरे लिये सम्भव नही है। अगर ये चाहेंगे तो अलग से यह सूचना दें दूंगा।

Purchase of new Buses

***1071. Chaudhri Balwant Singh Maina :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the total number of new buses purchased by the Transport Department during the year 1994-95, togetherwith the number of buses out of them allowed to each depot ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह): परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1994–95 में 28–2–96 तक कुल 363 बसें खरीद की गई हैं और डिपोंवार अलाट की गर्ह है। बसो का विवरण अनुबंध ''क'' में दिया गया है।

अनुबंध ''क''

वर्ष 1994–95 में दिनांक 28–2–95 तक डिपोवार अलाट की गई बसों का विवरण

क्रमांक	डिपो का नाम	दिनांक 28–2–95 तक अलाट की गई बसों की संध्या
1	2	3
1	अम्बाला	9

2	भिवानी	7
3.	चण्डीगढ	20
4	चरखी दादरी	6
5.	दिल्ली	22
6.	फरीदाबाद	25
7.	फतेहाबाद	24
8.	गुडगावा	23
9.	हिसार	22
10.	जीन्द	21
11	कैथल	21
12.	कुरुक्षेत्र	19
13.	करनाल	19
14.	पानीपत	16
15.	रोहतक	23
16.	रिवाड़ी	16

17.	सोनीपत	24
18.	सिरसा	18
19.	यमुनानगर	24
	जोड़	363

चौधरी बलवंत सिंह मायनाः अध्यक्ष महोदय, मती महोदय ने बनाया है कि 363 नई इसे खरीदी गई हैं और उनकी डिपो वाइज अलाटमैंट की संख्या भी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी बसें आर्डिनरी है और कितनी एक्सप्रैस हैं? क्या ये बसें जनता की सुविधा के लिये खरीदी गई हैं?

श्री बलवीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, ये सभी बसे जनता की सुविधा के लिये ही है। हमने नई बसें नहीं खरीदीं। जो बसें पुरानी पड़ गई थीं, जिनको शर्तो के आधार पर बदलना होता है, केवल उन्हीं के बदले ये नई बसें खरीदी गई हैं। हम अलग से नई बसें इसीलिये नहीं ले रहे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने हमारे पर फीज लता रखा है कि हरियाणा रोडवेज का 380० बसों का बेड़ा रहेगा, इसलिये हम नई इसे नही ले रहे। जो बसें हम बदलते हैं, उनमें यह देखना होता है कि वे 6 लाख किलोमीटर चल चुकी हों और आठ साल पूरे कर चुकी हों, केवल उन्ही की रिप्लेसमैंट करते हैं। एक्सप्रैस मसे हम वहीं पर देते हैं, जरा से डिमांड आती है, नरमा हम आर्डिनरी सन्ने खरीदते ई।

चौधरी बलवंत सिंह मायनाः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नही आया। मैंनै यह पूछा था कि इन 363 बसों में से एक्सप्रैस कितनी बसें हैं और आर्डिनरी कितनी है?

श्री बलबीर पाल शाहः इसका विवरण इस समय मेरे पास नही है।

10.00 बजे

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होने जो 363 बसों की लिस्ट दी है, उसमें भिवानी जिले के दो डिपुओं–भिवानी और दादरी में सबसे कम नम्बर आफ बसिज क्यों दिया है? हम इस बारे में बार–बार माननीय मन्त्री जी से मिले है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बसों के मामले में भिवानी जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो बसे 3–4 साल पुरानी चल चुकी हैं, उनको ट्रांसफर करके भिवानी और दादरी में रिप्लेस करके दिया गया है, उसका क्या कारण है? भिवानी और दादरी डिपोज मे सबसे कम बसें दिये जाने का क्या कारण है? इन डिपुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि किसी भी डिपो के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अम्बाला में केवल 9 बसें दी गई हैं। सौतेले व्यवहार की कोई बात नही है। जिस डिपो की जितनी रिप्लेसमैंट डयू होती है,

वह उसको दी जा ती है। जहां तक दादरी का ताल्लुक है, दादरी में 4 साल में लगभग ''ए'' पोजीशन मे 4–5 साल एवरेज रही है। ''ए'' एवरेज की पोजीशन में विभिन्न डिपुओ में वेरियेशन है। वहां पर जो बसिज दी गई हैं, वे केवल रिप्लेसमैंट के अगेंस्ट बी गई हैं। स्पीकर सर, भिवानी और दादरी की जो ये बात कह रहे है, उसमें मेनटेनैस की बात दी सकती है। वहां मेनटेनैसं आफ रोड्ज में भी कुछ फर्क हो सकता है। कुछ बम्पिग रोड्ज होती हैं। कुछ कच्ची सड़कें होती हैं। उन पर वसें चलती हैं, वे कुछ जल्दी खराब हो जाती हैं। इस परपज के लिये भी या हमने रीजनल बेसिज पर अथौरिटीज को कहा है कि वे हर साल बसों को फिटनैस सर्टि– फियेट दें। वे बसों के रख–रखाव को पूरी तरह से चौक करें और सर्टिफिकेट देने से पहले इस बात की जांच करें कि बस की पोजीशन ठीक है। क्या वे रोड पर चलने लायक है? क्या उसके शीशे ठीक है और उसकी सीट्स खराब तो नहीं हुई हैं? इस बारे मे अथौरिटीज सुनिश्चित करेगी। इसके लिये हमने बाकायदा एक नार्म फिक्स किया है। उफके मुताबिक ही उन बसों को उसी प्रकार सर्टिफिकेट लेना होगा जिस प्रकार प्राईवेट तौर पर प्राईवेट आपरेटर्ज औंर ट्रक आपरेटर्ज को लेना होता है। हरियाणा रोडवेज की बसों को भी उस नार्म के मुताबिक सर्टिफिकेट लेना होगा कि वे मकैक्किली फिट हैं, उनमें रंग–रोगन, खीझे और सीटें आदि बिल्कुल ठीक हैं? साथ ही उनकें इंजन की भी चौकिंग होगी तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो सिस्टम बनाया गया है, उसके रिजल्टज अगले 6 महीने तक नजर आने लगेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का संतोषजनक जवाव मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है। मैंनै मन्त्री जीं से यहँ पूछा था कि दिल्ली और पानीपत के डिपुओं से जो बसें भिवानी और दादरी में पुरानी रिप्लेस यां ट्रांसफर की गई हैं, उसका क्या कारण है? ये पुरानी बसें नई बसों की एवज में दी गई हैं या किसी और वजह से दी गई हैं? दूसरे मैंने यह जानना चाहा था कि दादरी और भिवानी डिंपुओ की बसों की कण्डीशन सारे हरिंयाणा के डिपुयों को बसों से खराब क्यों हैं? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी डिपों को इन्होंने 20 किसी को 25, किसी को 30 नई बसें दी हैं। दादरी और भिवानी के डिपुओं के साथ स्टेप–मदरली बिहेव क्यों किया जा रहा है?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी' इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जो बसें छ साल चल चुकी हैं और 6 लाख किलो–मीटर कम से कम चल चुकी हैं, उनकी जगह पर नई बसों की रिप्लेसमैंट दी गई है। हो सकता है अगले साल इन डिपुओं में ज्यादा नई बसें आ जाएं और दूसरे डिपुओं में कम बसें पहुंचे। यह उस साईकल पर डिपैंड करता है, जिस के मुताबिक 8 साल पुरानी बसों की जो 6 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, उनके स्थान पर नई बसों की रिप्लेसमैंट दी जानी है। इसके लिये हमने स्ट्रिक्टली क्राईटीरिया बना रखा है और उसको स्ट्रिक्टली फोलो किय जा का है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, नम्बर आफ बसिज हन डिपुओं में कम दिया गया है। दूसरे मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि दिल्ली और पानीपत से जो पुरानी बसें, यहां पर ट्रांसफर की गई हैं, उसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, हमने, ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने डिपार्टमैंट को बुलाया था और इनके डिपार्टमैंट ने खुद इस बात को माना है कि पुरानी बसें वहां पर ट्रांसफर की गई है। मंत्री जी गलत उत्तर दे कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब मन्त्री महोदय को देना चाहिये कि यह सौतेला व्यवहार क्यो है?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, सौतेले व्यवहार की कोई बात रही है जो बसें दी गई हैं उनमें टाटा और लें–लैण्ड की बसें भी थीं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्डी जी से रिप्लेसमैंट के बारे में ही पूछना चाहता हूं। उन्होंने डिपोज के बारे में तो क्लीयर कर दिया है कि मगर बसिज आठ साल और 6 लाख किलोमीटर चली हो तो उसके बाद वह रिप्लेस कर दी जाती हैं। मैं इनसे एक तो यह पूछना चाहता हूं कि जिस रूट की बस रिप्लेस की जाती है, क्या नई बस आने पर उसे उसी रूट पर ही लगाया जाता है या नेशनल हाई–वे पर चलाया जाता है? दूसरे इन्होंने यह कह दिया कि इसमें से आर्डिनरी बसिज और एक्सप्रेस बसिज .....ये इस बारे में भी बताएं। अध्यक्ष महोदय, आठ साल पहले एक्सप्रैस बसीज नहीं थी।

इन्होने उन बसिज की रिप्लेसमेंट एक्सप्रैस बसिज से क्यों की? क्या इस बारे में भी मती जी बताएंगे?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रैस बसिज नैशनल हाई–वे पर तीन साल चलने के बाद हरियाणा की लोकल जगहों पर लगा दी जाती हैं। जों नई बसिज होती हैं, उनको लौंग रूट पर लगाया जाता है और पुरानी बसिज को छोटे रूट्स पर लगाया जाता है। लेकिन अब हम यह कर रहे हैं कि किसी भी बस को फिटनैस सर्टि– फिकेट दिए बगैर, सड़क पर नहीं उतारेंगे। जहां तक एक्सप्रैस बसिज की बात है, उनकी मांग जहां–जहां से आई है, वे हमने वही पर ही दी हैं। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे राज्यों ने भो यह सिस्टम अपनाया है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि आर्डिनरी बसिज को एक्सप्रैस बसित से क्यों बदला गया है? साधारण बसें क्यों नहीं खरीदीं?

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, रसों का नम्बर तो बढ़ा ही है।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह रिप्लेसमैंट नही है, यह तो एडिशन है।

श्री अध्यक्षः यह स्टेट के हित में ही है। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Jhanswa and Salhawas Minor

***I087. Chaudhri Zile Singh Jakhar :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the present stage of construction of Jhanswa and Salhawas Minors together with the time by which these are likely to be completed ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Jhanswa Minor : The construction of this minor was started during 7/84 and uptil now 92% Qty. of earth work, 85% lining work and 38% masonry works have been completed. The balance works of this minor will be undertaken on availability of funds.

Salhawas Minor : The construction of this minor was also started in 7/84 and 71% Qty. of earth work. 45% lining work and 9% masonry works have been completed. The balance works of this minor will be undertaken on availability of funds.

Choudbri Zile Singh Jakhar : Sir, the Hon'ble Minister has replied that 92% of the earth work and 85% of lining work has been competed uptil now. सर, जब झांसवा माईनर पर मिट्टी का कार्य 92 प्रतिशत और लाईनिग का कार्य 85 प्रतिशत कम्पलीट हो गया है, तो फिर इस पर तो थोड़ा–सा ही काम बाकी रह गया है। मंत्री जी यह बताएं कि इन दोनों माईनरो पर 1993–94 में कितना काम हुआ? चीफ मिनिस्टर साहब ने झांसवा गांव के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि इन दोनों माईनरों का काम दो महीने के अन्दर–अन्दर हम पूरा करवा देंगे क्योंकि इनसे गांवो की वाटर सप्लाई अफैक्टिड है। सर, मैंने परसों भीं मंत्री महोदय को इस बारे में एक चिट दी थी और कहा था कि जोहड़ों में पी ने का पानी नहीं है, कुंए खाली हो गए हैं और पशुओं के लिये भी पानी नहीं हूँ। सर, जब लोगों को पीने के लिये ही पानी

उपलब्ध नही है, तो सिंचाई की बात तो दूर रही। इन माईनरों से गांव को पीने का पानी जाता है और इन पर थोड़ा सा काम ही बाकी बचाएं। तो क्या मंत्री जी हमें यह आश्वासन देंगे कि ऐन माईनर्ज को जल्दी ही बनवा दिया जाएगा?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, जिले सिंह जी ने जिन दो माईनरों का जिक्र किया है, इनकी यह बात ठीक है कि इनको पानी की दिक्कत है। सर, इन माईनरों पर 1984–86, 85– 86 और 86–87 में कुछ काम हुआ था लेकिन उस के बाद कोई काम नही हुआ है। यह बात ठीक बै कि झांसवा माईनर पर अर्थ वर्क काफी हो चुका है तथा साल्हावास माईनर का काफी काम हो चुका है। लेकिन हमारे पास क्यों–ज्यो फंडज की अवेलेबिलिटी होगी, काम करवाने की कोशिश करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन माईनरों पर 1993–94 में कितना काम हुआ है? मुझे इनसे आश्वासन चाहिये और बताएं कि कब तक इनको पूरा करवा देंगे? ये तो सभी मामलों में यह बात कह देते हैं कि यह काम फंड्ज की अवेलेबिलिटी पर डिपैडं करेगा। लेकिन ये मुझे बताए कि इन्होंने इन माईनरो पर अब तक कितना पैसा खर्च किया है? सर, ऐस्टीमेट तो सौ रुपये का होता है और सरकार 92 परसैंट खर्च करती है। सर, बाकी आठ परसैंट काम करने के लिये इतना लम्बा समय ले लिया तो फिर 92 प्रतिशत पैसा लगाने की क्या यूटिलिटी है? इस तरह

से तो लोगे का पैसा वाहियात जाता है। मंत्री जी इन माईनरों को कब तक पूरा करवा देंगे?

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, जैसे मैंने टोटल बताया कि 1984, 1985, 1986 और 1987 में इन पर कुछ काम हुआ लेकिन इनकी सरकार के वक्त में कुछ भी काम नही हुआ। इन्होने एक डक्का भी नहीं तोड़ा था। इनके चार साल के राज मे कोई भी काम नही हुआ। (विघ्न)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः स्पीकर सर, इन्होंने अपने साढे तीन साल के राज में इन माईनरों को पूरा करवाने के लिये क्या किया?

चौधरी जगदीश नेहराः सर, 1993–94 मे इन पर कुछ कॉम नही हुआ लेकिन इनके चारे साल के राज्य में भी इन पर कोई काम नही हुआ था। (विघ्न)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः स्पीकर सर, ये हर काम के बारे –में यही कह देते हैं कि अवेलेबिलिंटी आफ फंड पर डिपैडं करेगा। (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर सर, मैं आपको इस बारे में डिटेल बताना चाहता हूं। ये ठीक कहते हैं कि झांसवा माईनर के पूरा होने से पांच गांवों को इसका फायदा है। ये गांव हैं सान्हावास, धारीवाल, झासवा, ढाना और सढाना। इस तप से इनसे पांच या छः गांवों को इरीगेशन का और पीने के पानी का फायदा है। झांसवा माईनर में 9. 82 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है। इममें अमी ईटों का

काम ज्यादा होना है इसलिये दिक्कत आ रही है। तकरीबन 17.30 लाख रुपये का काम और होना है और लैड की पेमैंट भी बाकी है। इसके अलावा, इम माईनर के लिये फंडज की अबेलेबिलिटी न हमारे टाईम में रही और न ही इनके टाईम में रही। इस पर थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। वर्ष 1995–96 में इसके लिये प्रावधान करा कर इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में गए थे। इन्होंने कहा था कि इन माईनरो को दो महीने में पूरा करवा देगे। लेकिन आज तीन माल हो गए हैं, आज तक कोई काम नही हुआ है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, 1984–85 में जा मैं मुख्यमंत्री था तो इसी पार्टी की सरकार ने ही इस पर काम शुरु किया था। उस सरकार के जाने के बाद उस काम पर एक कस्सी भी नहीं लगाई गई। बीच में चार साल इनकी पार्टी, का राज था, उस समय एक भी कस्सी नहीं लगाई गई। हमारी सरकार आने पुर हमने समझा कि वह काम तो कब का हो गया होगा, लेकिन अब पता चला है कि वह काम नहीं हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 6 महीने के अन्दर– अन्दर ये दोनों माईनर्ज कंपलीट करा देंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: 6 महीने किस तारीख से शुरु होंगे?

चौधरी भजन लाल: आज से।

Death occurred due to Gastro-Enteritis and Cholera

***1097. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the district-wise number of persons died on account of Gastro-enteritis and Cholera in the State during the period from March, 1993 to 31st March, 1994 and particularly in village Paksama, district Rohtak ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी) रू जिलावार विवरण निम्न प्रकार है:—

जिला	आन्त्रशोध से मृत्यु	हैजे से मृत्यु
अम्बाला	शून्य	शून्य
भिवानी	शून्य	शून्य
फरीदाबाद	शून्य	शून्य
गुडगांव	शून्य	शून्य
हिसार	शून्य	शून्य
जीन्द	शून्य	शून्य
कैथल	शून्य	शून्य

करनाल	शून्य	शून्य
कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य
महेन्द्रगढ	शून्य	शून्य
पानीपत	शून्य	शून्य
रिवाडी	शून्य	शून्य
रोहतक	7	शून्य
सोनीपत	शून्य	शून्य
सिरसा	शून्य	शून्य
यमुनानगर	शून्य	शून्य
योग	7	शून्य

गांव पाकसमां जिला रोहतक में आन्त्रशोध तथा हैजे से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

चौधरी बलवंत सिंह मायनाः मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि पाकसमां गांव में जौ सात लोगों की मृत्यु आंत्रशोध से हुई थी, उसके बारे में पिछले बजट सैशन में भो चर्चा हुई थी। क्या मंत्री महोदया ने उस मामले की जांच करवाई है? क्या यह बात सही है कि इसमें कम से कम 40– 50 आदमियो की मृत्यु हुई है ?

बहिन करतार देवी: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने अपने सवाल में आंत्रशोध से हुई मृत्यु की संख्या पूछी है। ग्राम पाकसमा में आंत्रशोध से कोई मृत्यु नहीं हुई। 20 आदमियों की मृत्यु जरूर हुई है। हमने उसकी पूरी जांच करवाई है। वह वायरल बुखार था। जैसे ही गांव में यह बुखार फैला, सिविल सर्जन गए, डी०सी० गए, मैडीकल कालेज की टीम गई। जब इससे हमारी संतुष्टि नही हुई तो भारत सरकार से कम्यूनिकेबल डिजिज के स्पैशलिस्ट को बुलाया गया। बुखार के सभी मामलों में रक्त की जांच कराई गई। यह वायरल बुखार था। जिन बीस आदमियों की मृत्यु हुई है, उनमें से 16 आदमी 70 वर्ष से अधिक उम्र के थे। बाकी चार मामलो मे से एक औरत की डैथ गर्भपात के कारण, एक की प्राईवेट डाक्टर से ग्लूकोज चढ़वाने के कारण हुई है। शेष लम्बी बीमारी सै पीड़ित थे और उनकी रजिस्टैस पावर कम हो गई थी, इसलिये हम उनको बचा नही सके। जहां तक प्रयासों का सवाल है, गांव के सभी घरों में मैलाथियोन का छिड़काव किया गया। पानी के सभी स्त्रोतों को क्लोरीनेट किया गया, बी० एच०सी० का 10 प्रतिशत घोल खाद के ढेरों पर छिड़का गया ताकि मस्खियां पैदा होने से रोकी जा सके। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिये लारवा नष्ट करने के तरीके अपनाए गए। ग्राम पचांयत तथा स्वयं सेवको के सहयोग सै विशेष सफाई अभियान चलाया गया। आपात का लीन स्थिति के लिये गांव में ऐंक एम्बुलैंस रखी गई। मैडीकल कालेज, रोहतक से भी बीमारियों के विशेष सर्वेक्षण तथा पहचान हेतु एक चिकित्सा विशेषज्ञ दल भेजा गया। इस दल ने वायरल संक्रमण की रिपोर्ट दी 1 भारतीय चिकित्सा संघ के एक दल ने भी इस गांव का दौरा किया और वायरल

संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए। डी०सी०, रोहतक ने भी इस गांव का दौरा किया तथा वे वहां चल रहे ईलाज एवं बचाव कार्यो मे संतुष्ट थे। डायरैक्टर, हैल्थ सर्विसिज ने भी वहां का दौरा किया तथा तकनीकी सलाह दी। अध्यक्ष महोदय, इनसे ज्यादा चिंता सरकार को थी। पूरी सतर्कता बरती जाती है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पस्ता है कि वायरल का प्रिवैटिव मैयर ही है। उसका कोई इलाज नही है।

चौधरी बलवन्त सिंह मायनाः स्पीकर सर, अभी मन्त्री महोदया ने बतलाया कि एक व्यक्ति की मौत किसी प्राईवेट डाक्टर द्वारा ग्लूकोज चढ़ाने से हुई। क्या सरकार के नोटिस मैं ऐसी कोई बात है कि आया उस डाक्टर के पास कोई लाइसैन्स था या नहीं? क्या सरकार ने ऐसे डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सवाल के उत्तर में बताया था कि बराबर इस तप का कार्य चौकिंग का चलता ही रहता है और हमने ड्रग इंस्पैक्टर्ज को इस तरह की हिदायतें दे रखी हैं कि महीने में कम से कम पांच डाक्टर्ज की चौकिंग की जाया करे कि आया वह क्वालीफाईड है या नहीं। लेकिन जिस पर्टीकुलर केस के बारे में ये पूछ रहे है, वह पर्टीकुलर सूचना अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये लिखकर दें, हम बना देंगे।

Widening of Road

***I1IO. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration

of the Government to widen the road from village Rajaund to Datrath via Alewa ; and

(b) if so, the time by which the road as referred above is likely to be widened ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह):

(क) केवल राजौद से अलेवा तक सड़क चौडी करने का प्रस्ताव है।

(ख) राजौंद से अलेवा तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य शोध अति शीघ्र पूरा करना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री राम कुमार कटवालः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट नही हूं। मैंने पूछा था कि राजौंद से डाटरथ वाया अलेवा सड़क को चौड़ा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? इन्होंने कह दिया कि केवल राजौंद से अलेवा तक सड़क चौड़ी करने का सरकार का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार किसान और मजदूर का आपस में चोली दामन का साथ होता है, उसी प्रकार राजौंद से डाटरथ सड़क का अलेवा से चोली दामन का साथ है। इस रोड से जींद जाएं तो तीन किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अगर यह सड़क अधूरी रह गई, न बनी तो लोगों को आने–जाने में काफी परेशानी होगी। क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि अगर यह सड़क न बनी तो बसों के टायर भी फटेगे, लोग भी दुखी होंगे?

चौधरी अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क है, बह टोटल 24 किलोमीटर लम्बी है। इसको चौड़ा करने में 43,39,399 रुपया खर्च होने को सम्भावना है। इसमें से 13.36 किलोमीटर सड़क 12 से 18 फुट तक चौड़ी कर दी है और यह 1996–96 में पूरी हो जाएगी। शेष 10. 40 किलोमीटर सडक जो बच जाएगी, उस पर 20 लाख रुपये लगने का अनुमान है और यह काम धन को उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री राम कुमार कटवालः पिछली बार भी मैंने इस बारे में कहा था लेकिन. सरकार ने इस पर गौर नहीं कया। हर बार यह कह देते हैं कि खर्चा वहुत होगा, धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्पीकर साहब, जब ये पार्टी बदल कर कांग्रेस में गये थे, उस समय क्या मुख्य मली महोदय ने कम पैसा खर्च किया था और अब इनके पास पैसा नही है। (हंसी)

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया गया)

Supply of Spurious Seed of Paddy

***1127. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that spurious seed of Paddy has been supplied by an Agency of Karnal to the farmers during the last year ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी, हां।

(ख) मै० लिबर्टी सीडज कारपोरेशन, घरौण्डा (करनाल) के विरुद्ध इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा बीज अधिनियम के अधीन एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आठ महीने पहले की घटना है। लिबर्टी सीड कारपोरेशन ने करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिने के किसानों को नकली बीज बेचा, जिसकी वजह से जीरी बोने वाले किसान भावित हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आठ महीनों के दौरान इस कारपोरैशन के खिलाफ कम मुकद्दमा दर्ज –हुआ? क्या इसमें. किसी की गिरफ्तारी भी हुई या नही इसके अलाबा जिन किसानों का नुक्सान हुआ था, क्या उनको मुआवजा मिला?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का सवाल बिलकुल सही है। यह मामला सरकार के ज्यों ही नोटिस में आया, सरकार ने फौरन इस फर्म के खिलाफ 9– 10–94 को एफ०आई० आर० दर्ज करवाई। कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिनमें से सात तो फर्म के पार्टनर थे, और तीन सरकारी अधिकारी थे। अधिकारियों में एक चीफ सर्टीफिकेशन आफिसर है और दो शेड आफिसर्ज हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: आप उनके नाम बताएं।

चौधरी भजन लालः जब आप सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने पूछी है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वैसे मेरे पास नाम भी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो आदमी गिरफ्तार हो चुके हें और आठ आदमियों के खिलाफ तफतीश जारी है। हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अब से पहले सरकार ने इस कम्पनी के खिलाफ क्या–क्या कार्यवाही की है। एक तो उनका सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम बन्द कर दिया है और दूसरे उनका सीड बेचने का प्रोग्राम भी बन्द कर दिया है। हमने वहां पर डी०सी० की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उन्होंने किसानों को सुना और लिबर्टी सीड वालों को भी सुना और उसके बाद नुकसान का अन्दाजा लगाया। अन्दाजे के मुताबिक जो आकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक दो हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ है। सीड के जमीनेशन में कमी नही थी। जो रिपोर्ट आई है, वह यह है कि उसमें एक सीड अरनी वैरायटी का है और दूसरा लेट वैरायटी का है। ये दोनों सीड मिक्स हो गए, जिसकी वजह से एक वैरायटी पहले काटने के लायक हो गई और दूसरी वैरायटी हरी रह गई। उससे लगभग किसान का एक एकड़ में तीन क्विटल जीरी का नुकसान हुआ। ईल्ड जो होनी चाहिये थी, वह एक एकड़ में 45 क्विटल होनी चाहिये थी लेकिन तीन क्विंटल कम हुई। तीन क्विंटल जीरी का मूल्य करीब एक हजार रुपए बनता है। इसमें 238 किसान प्रभावित हुए है और 1560 एकड़ जमीन में यह जीरी बोई गई थी। इसके लिये हमारी कोशिश है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ णै, उनको उचित मुआवजा दिना– या जाए। किसान तो कहते हैं कि हमें पांच हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। लेकिन

अन्दाजे के मुताबिक मुआवजा एक हजार रुपए फी एकड़ बनता है। फिर भी डी० सी० ने कहा है कि दो हजार रुपए एकड़ के हिसाब से पेमैंट हो जाए तो भी ठीक है ताकि उनका फैसला हो जाए। हम चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले। सरकार की तरफ से दोषियों के खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्षः अब सवालो का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर'

Unemployed persons registered with Employment Exchanges

***1113. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state the number of persons belonging to Scheduled Castes registered with the Employment Exchanges in the State during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 separately togetherwith the number of persons provided employment during the said years separately amongst them ?

श्रम एनं रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): ब्यौरा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

'ब्यौरा'

वर्ष 1991– 92, 1992– 93, 1993– 94 व 1–4– 94 से 31– 12– 94 में राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व नौकरी पर लगे अनुसूचित जोति के प्रार्थियों की संख्या निम्न है:

अवधि	अन्तिम दिवस को सजीव रजिस्टर पर प्रतीक्षा कर रहे अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की संख्या	नौकरी पर लगे, अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की संख्या
1—4—91 से 31—3—92	103549	2090
1—4—92 से 31—3—93	108170	982
1—4—93 से 31—3—94	111630	1192
1—4—94 से 31—3—95	110185	919

Educated Un-employed Persons in the State

***H06. Sathi Lehri Singh :** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state-

(a) the category-wise number of educated un-employed persons registered with the employment exchanges in the State during the last three years, year-wise separately ?

(b) whether the Government have formulated any comprehensive scheme to provide employment to educated un-employed persons; if so, the details thereof ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्णमूर्ति हुड्डा): ब्यौरा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है। ब्यौरा

(क) पिछले तीन वर्षो में वर्षानुसार रोजगार कार्यालयों में दर्ज श्रेणी अनुसार शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या निम्न है

वर्ष के अन्तिम दिवम की प्रतीक्षा कर रहे श्रेणी अनुसार शिक्षित बेरोजगार प्राथिंयों की संख्या

	कुल	महिलाएं	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग
1992	421659	77413	47263	23028
1993	449138	81732	50905	26142
1994	458257	84054	52231	28071

(ख) पड़े लिखे बेरोजगार प्रार्थियों को स्वः रोजगार प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित योजना कार्यरत की जा रही है

	स्कीम का नाम	स्कीम का संक्षिप्त ब्यौरा	योग्यता
	1	2	3
1	प्रधान मन्त्री रोजगार योजना	इस स्कीम के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के प्रार्थियों को स्वः रोजगार दिलवाने के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 5 प्रति– शत राशि मार्जन मनी के रूप में प्रार्थी द्वारा स्वयं लगानी पड़ती है। 15 प्रतिशत राशि अनुदान (अधिकतम सीमा 7603 रुपये) के रूप में दी जाती है। 95 प्रतिशत राशि बैक हारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।	प्रार्थी दसवीं (पास या फेल)। आई० टी आई० सरकार दारा प्रायोजित 6 मास का टैक्नीकल कोर्स। परिवार की वार्षिक आय 24000 रुपये तक
2.	सहकारिता समितियों की क्सों के लिये	परिवहन विभाग द्वारा 1177 सहकारिता समितियों की बसों के	सहकारिता समिति में 5 सदस्य होंगे। सामान्य श्रेणी हेतु

	स्टेज कैरियर्ज परमिट स्कीम	लिये स्टेज कैरियर्ज परमिट दिए गए /सहकारिता बैक हारा ऋण दिए गए।	10वीं पास अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग हेतु छवी पास (चालको को विशेष अनुभव की अवस्था में शैक्षणिक योग्यताओं में छूट है)।
3	ग्रामीण उद्योग स्कीम	यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करती हैं'। इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता /अनुदाना/बिक्री कर चुंगी, विद्युत डयूटी में छूट/टालना। निवेश का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में है। प्लाट और मशीनरी की निवेश सीमा 5 लाख है।	प्रार्थी पढ़ा लिखा होना चाहिए।
4.	एक परिवार एक रोजगार स्कीम	यह स्कीम निम्नलिखित क्षेत्रों में शिक्षित तथा	गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार।

		अशिक्षित युवको को रोजगार प्रदान करती है (क) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (ख) निजी क्षेत्र में रोजगार (ग) दैनिक वेतन पर रोजगार (घ) स्व–रोजगार (ड) रोजगार/स्व–रोजगार के लिये प्रशिक्षण	

Construction of New Roads

***1125. Shri Ramesh Kumar :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether here is any proposal under consideration of the Government to construct the following new roads of district Sonepat

(i) Chhatehera to Ahmedpur-Majra ;

(ii) Butana to Janta School etc. ;

(iii) Gangana to Rana-Kheri ;

(iv) Rana-Kheri to Bagaru ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह):

(क) (1) छतेहरा से अहमदपुर माजरा सड़क की मैटलिंग पूरी की जा चुकी है केवल ब्लैक टौपिंग करनी शेष है।

(2) बुटाना से जनता स्कूल तक सडक की मैटलिग पूरी हो चुकी है। इस सड़क पर 3 कि० मी० तक सरफोंसंग का कार्य भी किया जा चूका है तथा 2. 30 कि० मी 9 की शेष लम्बाई पर कार्य 30—6—95 तक पूरा कर दिया जायेगा।

(3) तथा (4) नही श्रीमान जी।

(ख) छतेहरा से अहमदपुर माजरा सड़क तथा बुटाना से जन ता स्कूल सड़क पर ब्लैक टौपिग का कार्य जून, 1995 तक पूरा कर दिया जायेगा।

(3) और (4) को सम्मुख रखते हुए गगाना से राणा खेडी तथा राणा खेडी से बागरु सड्कों को बनाने का प्रश्न पैदा नही होता।

10+2 System Schools in the State

***1142. Shri Azmat Khan :** Will the Minister for

Education be pleased to State —

(a) the prescribed qualification for getting admission in J.B.T. course in the State ; and

(b) the district-wise and tehsil-wise number of 10+2 system schools in rural and urban areas in the State at present separately togetherwith the places at which these are located ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) डिप्लोमा–इन–एजुकेशन कोर्स मे प्रवेश हेतु हरियाणा में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित हैं:–

अभ्यार्थी ने विद्यालय शिक्षा बौर्ड, हरियाणा की 10 + 2 परीक्षा या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्य किसी अन्य बोर्ड के समकक्ष परीक्षा 60 प्रतिशत अंक लेकर पास की हो। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, भूतपूर्व सैनिक, परित्यक्ता स्त्री एवं विधवाओं की अवस्था में 10 प्रतिशत अंकों की ढील देय है।

(ख) सूचना की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

हरियाणा में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तहसीलदार तथा जिलावार सच्चा के आकड़े

	तहसील / जिला	हरियाणा शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध				केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड			कुल	
		राजकीय		प्राईवेट						
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
	तहसील		3		15		5			
	त० चराड़ा			3						
	त० नारायणगढ़	5		1						
	त० पंचकूला	35			2					
	त० कालका	5	1	1	1	3				
	जिला अम्बाला	30			18	3	9	38	33	71

	त० भिवानी	4	2		4		2			
	त० बवानी खेड़ा	2	1							
	त० तोशाम	1	1							
	त० चरखी दादरी	12	2		2		1			
	त० लोहारु	2	2							
2	जिला भिवानी	21	8		6		3	19	15	34
	त० बल्लबगढ	3	2		2		1			
	त० फरीदाबाद	2	6		12		12			
	त० पलचल	5	4		2					
	त० हथीन	3	2							
3	जिला फरीदाबाद	13	14		1		13	13	41	54

	त० गुड़गांव	1	5		8		5			
	ता० पटौदी	1	3		1					
	त० नूह	2								
	त० फिरोजपुर झिरका	1	3							
4	जिला गुड़गांव	7	11	1	9		5	8	26	33
	त० हिसार	12	2	1	7		4			
	त० सिवानी		2							
	त० आदमपुर	11								
	त० टोहाना	1	2		1					
	त० फतेहाबाद	8	1		2	1				

	त० रतिया	..	2							
	त० हांसी	5	2							
	त० नारनौंद	3	1							
5	जिला हिसार	40	12	1	10	1	4	42	26	68
	त० जीन्द	3	3		2					
	त० सफीदों	5	2	1		1				
	त० नरवाना	5	2	1	2					
6	जिला जीन्द	13	7	2	4	1	1	16	12	28
	त० कैथल	11	2		4					
	त० गुलहा	4								
7	जिला कैथल	15	2		4			15	6	21

	त० करनाल	8	9		7	1	4			
	त० असंध	1	1	1	1					
8	जिला करनाल	9	10	1	8	1	4	11	22	33
	त० थानेसर	6	3	1	9		2			
	त० पेहवा	1	1				1			
9	जिला कुरुक्षेत्र	7	4	1	9		3	4	16	24
	त० महेन्द्रगढ़	4	2							
	त० नारनौल	6	2							
10	जिला महेन्द्रगढ़	10	4		1			10	5	15
	त० पानीपत	7	2	1	5		5			

	त० समालखा	3	1	1						
11	जिला पानीपत	10	3	6			5	11	14	25
	त० रेवाड़ी	6	2		5		2			
	त० बावल		2							
	त० कोसली	4								
	जिला रेवाड़ी	10	4		5		2	10	11	21
	त० रोहतक	16	2	3	7		5			
	त० महम	7								
	त० बहादुरगढ	7	2		4					
	त० झज्जर	14	2		2		1			
	जिला रोहतक	44	6	3	13		6	47	25	72

	त० सिरसा	9	2		2		2			
	त० डबवाली	6	1		1	1				
	त० ऐलनाबाद	3								
	त० रानियां	3								
	जिला सिरसा	21	3		3	1	2	22	8	30
	त० गन्नौर	8	1	1	2		1			
	त० गोहाना	9	1	1	2					
	त० सोनीपत	12	3	2	16	1	2			
	जिला सोनीपत	8	5	4	20	1	3	34	28	62
	त० छछरौली	2	1							
	त० जगाधरी	7	3	2	15		1			

	जिला यमुनानगर	9	4	2	15		1	11	20	31
	कुल योग हरियाणा	288	103	21	147	8	61	317	311	628

	ग्रामीण	शहरी	कुल
राजकींय विद्यालय	288	103	391
प्राईवेट विद्यालय	21	147	168
केन्द्री मा० शिक्षा बोर्ड	8	61	69
योग	317	311	628

हरियाणा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 10 जमा दो विद्यालयों की तहसीलवार व जिलावार सूची।

	हरियाणा शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध				केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध	
	राजकीय		प्राईवेट			
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
	1	2	3	4	5	6
1	जिला अम्बाला					
	तहसील अम्बाला	अम्बाला छावनी– 1		अम्बाला छावनी– 8		अम्बाला छावनी 5
	बलाना– 1	अम्बाला शहर– 1		अम्बाला		

				शहर 7		
	शाहपुर– 1	बलदेव नगर– 1				
	जलवेड़ा– 1					
2	तहसील बराड़ा					
	अधोया – 1		बराड़ा– 3			
	बीहटा– 1					
	केसरी–1					
	बराड़ा– 1					
	मदलाना– 1					
	सांहा–1					
	उगाला – 1					

	गोकलगढ– 1					
	धीन – 1					
	जकरपदर– 1					
	समलेहेड़ी – 1					
	सम्भालको– 1					
3	तहसील नारायणगढ		शाहजादपुर– 1			
	नारायणगढ़– 1					
	जटवाड– 1					
	कक्कड माजरा– 1					
	बषौली– 1					
	रायपुर रानी– 1					

4	तहसील पंचकूला					
	बरवाला– 1	पंचकूलां– 2		पंचकूला– 2		पंचकूलां– 4
	करना– 1					
	रत्तेवाली– 1					
	मांधना– 1					
	रामगढ़– 1					
5	तहसील कालका					
	नानकपुर– 1	कालका– 1	पिंजौर– 1	कालका– 1	पिंजौर चंडी मंदिर– 2	
	पिंजौर– 1					
	करनपर– 1					

	रज्जीपुरे– 1					
	मल्लाह– 1					
	जिला भिवानी					
1	तहसील भिवानी					
	बामला–1	भिवानी– 2		भिवानी– 4		भिवानी– 2
	बापोरा– 1					
	मुंढाल खुर्द– 1					
	धरेरू– 1					
2	तहसील बवानी खेड़ा					
	कगर– 1	बवानीखेड़ा– 1				
	सुई– 1					

3	तहसील तोशाम					
	जुई खुर्द– 1	तोशाम– 1				
4	तहसील दादरी					
	अटेली कलां– 1	चरखी दादरी –2		दादरी – 2		दादरी – 1
	अचीना– 1					
	बौंद कला– 1					
	बाढड़ा– 1					
	चिराया– 1					
	झमलौटा– 1					
	झोजू कलां– 1					
	कादमो– 1					

	मकराना– 1					
	मिसरी– 1					
	रानीला– 1					
	पेंतावास कलां – 1					
5	तहसील लोहारू					
	बहल– 1	लौहारु– 2				
	चह लां– 1					
	जिला फरीदाबाद					
1	तहसील बल्लभगढ़					
	फतेहपुर बिलौच– 1	बल्लभगढ–2		बल्लबगढ़– 2		बल्लभगढ़– 1

	कोरालो– 1					
	पन्हेड़ा खुर्द – 1					
2	तहसील फरीदाबाद					
	जसराना – 1	फरीदाबाद –6		फरीदाबाद – 12		फरीदाबाद – 12
	तिगाओ – 1					
3	तहसील पलवल					
	अलातलपुर – 1	हसनपुर – 1		होडल – 1		
		होडल – 1		पलवल –1		
	औरंगाबाद 1	पलवल – 2				
	बरौली – 1					

	चाढट – 1					
	पिरथला – 1					
	तहसील हथीन					
	बहीन – 1	हथीन – 2				
	मालर्ड – 1					
	मंडकोला – 1					
	जिला गुडगांव					
1	तहसील गुड़गांव					
	भोन्डसी – 1	गुड़गांव –3		गुड़गांव – 8		गुड़गांव –5
	कोसन 1	सोहना –2				

	धनकोट – 1					
2	तहसील पटौदी गढ़ी					
	हरसरु – 1	फरुखनगर – 1		पटौदी – 1		
		हलीमंडौ –1				
		शेरपुर – 1				
3	तहसील नह					
	हसनपुर तावडू					
	तावडू – 1		तावडू			
	तहसील फिरोजपुर झिरका					
	पिनगवा – 1	फिरोजपुर झिरका – 1				

		पुन्हाना – 2				
	जिला हिसार					
1	तहसील हिसार					
	आर्यनगर –2	हिसार –2	उकलाना मंडी– 1	हिसार – 7		हिसार – 4
	बरवाला – 1					
	बेहबलपुर – 1					
	जाखौद खेड़ा – 1					
	मंगाली – 2					
	सातरोड़ खुर्द –1					
	सातरोड खास – 1					

	उकलाना मन्डी – 1					
	कालता – 1					
	धीरनवास – 1					
2	तहसील सिवानी					
	सिवानी – 1					
	सिवानी मंडी– 1					
3	तहसील आदमपुर					
	बालसमंद– 2					
	चिन्दा–– 1					
	सदलपुर–– 1					
	सिसवाल– 1					

	आदमपुर–– 1					
	कुलेरी –1					
	मोड़ाखेड़ा–– 1					
	किरसान–– 1					
	लादड़ी–– 1					
	डाभी– 1					
4	तहसील फतेहाबाद					
	भट्टू कला– 1	फतेहाबाद–1		फतेहाबाद–2	पाबड़ा–1	
	भूना– 2					
	धागंड– 1					
	मूहम्मदपुर– 1					

	रोडी					
	नेहला– 1					
	मुहम्मदपूर– 1					
	बडोपल– 1					
5	तहसील रतिया					
		रतिया– 2				
6	तहसील टोहाना					
	मैमैन– 1	टोहाना– 1		टोहाना – 1		
		जाखल– 1				
7	तहसील हांसी	हांसी– 2				
	भाटला– 1					

	चौधरी बास– 1					
	धिराए– 1					
	मोरखी– 1					
	सिसर– 1					
8	तहसील नारनौल					
	मिर्चपुर– 1	नारनौल– 1				
	राखी शाहपुर– 1					
	बरक पूनीयां– 1					
	जिला जींद					
1	तहसील जींद					
	अलेवा– 1					

	शामलो कली– 1	जींद– 2		जींद–2		जींद–1
		जुलाना–1				
	सिधवी खेड़ा– 1					
2	तहसील सफीदों					
	भुसलाना– 1	सफीदों– 2	गेदा खेड़ा– 1		खूगों कोठी– 1	
	गत हैड़ी पोपड़ा–1					
	हाट–					
	कालथा–					
3	तहसील नरवाना					
	अमरगढ– 1	नरवाना– 1				

	दनोदा– 1	उचाना मंडी– 1	खरल–1	नरवाना– 2		
	कालवन– 1					
	कटसिंह– 1					
	उचाना– 1					
	जिला कैथल					
	बाल– 1	कैथल– 2		कैथल– 4		
	चौमीला– 1					
	गुल्याना– 1					
	जाखौली– 1					
	कलायत–1					
	पाई–1					

	पुन्डरी– 1					
	राजौंद– 1					
	ढाकल–1					
	हाबरी– 1					
	करोडा –1					
2	तहसील गुलहा					
	कंगथली – 1					
	क्योडक – 1					
	पाडला– 1					
	सिवन– 1					
	जिला करनाल					

1	तहसील करनाल					
	अरांइपुरा– 1	करनाल– 3				
	काछवा– 1	धरौन्डा – 2				
	कतलेहडी– 1	इन्दरी– 2		करनाल– 6		
	खेडी मान सिंह– 1	नीलोखेड़ी – 1		नीलोखेड़ी– 1	कुंजपुरा– 1	करनाल– 4
	कुंजपुरा– 1	तरावड़ी – 1				
	निसिंग– 1					
	सांभली – 1					
	गोंडर– 1					
2	तहसील असन्ध					

	सालवान– 1	असन्ध 1	शाहपुरा– 1	असन्ध– 1		कुरुक्षेत्र– 2
	जिला कुरुक्षेत्र					
1	तहसील थानेसर					
	इसमायलाबाद– 1	कुरुक्षेत्र– 1	भेरीया– 1	कुरुक्षेत्र– 6		पेहवा – 1
	कलसाना– 1	शाहबाद– 1		शाहबाद– 1		
	किरमच– 1	थानेसर– 1		थानेसर– 1		
	गधाना– 1			लाडवा – 1		
	झासा –1					
	नलवी – 1					
2	तहसील पेहवा					
	थाना– 1	पेहवा– 1				

	जिला महेन्द्रगढ					
1	तहसील महेन्द्रगढ	कनीना– 1				
	खेड़ी तलवाना– 1	महेन्द्रगढ़– 1				
	पोटा– 1					
	सतनाली– 1					
	नंगल सरोही– 1					
2	तहसील नारनौल					
	मन्डी–– 1	अटेली– 1				
	नंगल दुर्ग– 1	नारनौल– 1		नारनौल– 1		
	नंगल चौधरी– 1					
	सिहमा– 1					

	कृष्ण नगर– 1					
	जिला पानीपत					
1	तहसील पानीपत					
	अडयाना– 1	पानीपत–2	मोरमाजरा– 1	पानीपत– 5		पानीपत– 5
	आहर– 1					
	मन्डी– 1					
	सिवाह– 1					
	बल्लाह– 1					
	उगराहेड़ी– 1					
2	तहसील समालखा					
	बापोली– 1	समालखा– 1		समालखा–		

				1		
	महावली– 1					
	मनौलो खुर्द– 1					
	जिला रेवाड़ी					
1	तहसील रेवाड़ी	रेवाडी–2		रेवाडी– 5		रेवाडी – 2
	धारुहेड़ा– 1					
	गुरावडा– 1					
	जाटूसाना– 1					
	करवाडा मानकपुर– 1					
	मसानी– 1					

	माजरा श्योराज– 1					
2	तहसील बावल					
		रेवाडी – 2				
3	तहसील कौसली					
	कौसली– 1					
	कुन्ड– 1					
	मडोला– 1					
	खोरी– 1					
	जिला रोहतक					
1	तहसील रोहतक					
	कलानोर– 1	रोहतक– 2	सांपला– 1	रोहतक–7		रोहतक – 5

	रिथाल– 1		सिपपुरा– 1			
	खरक कलां– 1		हसनगढ– 1			
	खिदवाली– 1					
	किलोई– 1					
	लाखन माजरा– 1					
	पाकसमा– 2					
	रोहतक–2					
	साधी– 1					
	संढाना– 1					
	भालोट– 1					
	बहु अकबरपुर– 1					

	इसमायला– 1					
	खरावड– 1					
2	तहसील महम					
	बेहलवा– 1					
	फरमाना– 1					
	खरकड़ा– 1					
	मदीना– 1					
	महम– 1					
	निडाना– 1					
	मोखरों– 1					
3	तहसील बहादुरगढ़					

	बादली– 1	बहादुरगढ़–2		बहादुरगढ– 4		
	बापडोके– 1					
	छारा– 1					
	ननना माजरा– 2					
	मन्डौथी– 1					
	जसौर खेड़ी– 1					
4	तहसील झज्जर					
	बिरधाना– 1	बेरी– 1		झज्जर– 2		झज्जर– 1
	दादनपुर– 1	झज्जर– 1				
	ढाकलां–– 1					

	डीघल– 1					
	जहाजगढ़– 1					
	झारली– 1					
	मातन हेल– 1					
	महराना– 1					
	लडैम्र– 1					
	सिलानी– 1					
	सौल्हावास– 1					
	सबाना– 1					
	पैल्पा– 1					
	दादरी ताय– 1					

	जिला सिरसा					
1	तहसील सिरसा					
	भारोखां– 1	सिरसा2		सिरसा2		सिरसा2
	दडबी –1					
	जमाल–1					
	माधो सिंधाना– 1					
	मूंगाला – 1					
	साहूवाला–।।– 1					
	डिन्ग– 1					
	नेजाडेला खुर्द– 1					
	रोड़ी– 1					

2	तहसील डबवाली					
	चौटाला– 2	डबवाली– 1		डबवाली– 1	ओढा– 1	
	गंगा– 1					
	कलांवाली–– 1					
	पानीबाला मोटा– 1					
	रिसालीया खेड़ा– 1					
3	तहसील ऐलनाबाद					
	ऐलनाबाद– 2					
	कारीवाला– 1					
4	तहसील रानीया					
	केहरवाला– 1					

	रानीया– 1					
	खारीया– 1					
	जिला सोनीपत					
1	तहसील गन्नौर					
	धासौली– 1	गन्नौर– 1	बुटाना– 1	गन्नौर–– 2		गन्नौर– 1
	मुरथल– 2					
	पिपली खेड़ा– 1					
	पुरखास–– 1					
	खेड़ी गुज्जर– 1					
	खुवडू– 1					
	जुगलाना– 1					

2	तहसील गोहाना					
	बडौद– 1					
	भन्सवाल कलां–2	गोहाना–1	खानपुरकलां– 1	गोहाना– 2		
	विधल पिनाना– 1					
	चिडाना– 1.					
	जौली– 1					
	कथरा– 1					
	राबुडा– 1					
	नूरां खेड़ा– 1					
3	तहसील सोनीपत					
	बिधला – 1	सोनीपत–2	रोहतक– 1	सोनीपत–	राई– 1	सोनीपत– 2

				16		
	मटिन्ड– 1	खरखोदा– 1	मोहना– 1			
	नाहरा – 1					
	सैदपुर – 1					
	शहजादपुर– 1					
	सिलाना– 1					
	मडोरा– 1					
	जआन– 1					
	फरमाना – 1					
	सिसाना– 1					
	रोहना– 1					

	बटेरना– 1					
	जिला यमुनानगर					
1	तहसील छछरौली					
	खिदराबाद– 1	छछरौली– 1				
	ललहाडी कलां– 1					
2	तहसील जगाधरी					
	बिलासपुर– 1	जगाधरी– 1	मुस्तफाबाद– 2	जगाधरी– 5		यमुनानगर
	दामला– 1	यमुनानगर– 2		यमुनानगर– 8		
	नगल–1			सढौरा– 1		
	रादौर – 1			रादौर– 1		

	बूडिया– 1					
	मुस्तफाबाद– 1					
	भरथल– 1					

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Local Bus Service

245. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start Local Bus Service in Palwal City ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid service is likely to be started ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) जी, नही।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Expenditure incurred on Suraj Kund Mela.

246. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Tourism be pleased to state the total expenditure incurred to organize the Suraj Kund Crafts Mela in district Faridabad during the year 1995, togetherwith the income accrued therefrom ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण): सूरजकुण्ड शिल्प मेले–– 1995 के आयोजन पर हुए खर्चे तथा इससे हुई आमदनी का अन्तिम लेखा–जोखा अभी तैयार किया जाना है। फिर भी, अस्थाई आधार पर, यह निम्न प्रकार से है:–

(क)	खर्चा	42.80 लाख रुपये
(ख)	आमदनी	46.40 लाख रुपये
		(इसमें भारत सरकार से 26.50 लाख रुपये की सहायता भी सम्मिलित है)

Opening of a Women Degree College

247. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a degree college for women at Hodal in district Faridabad ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना):

(क) जी नहीं।

(ख) होडल में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने बारे ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य में ओलावृष्टि के का रण फसलों को हुए नुकसान सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 10 given notice of by Shri Om Parkash and 12 other M.L. As ., regarding damage of crops due to hailstrom in Haryana State and Calling attention motion No. 12 given notice of by Smt. Chadrawati regarding damage of crops due to hailstrom in District Bhiwani(bracketed with Calling attention notice No. 10). Now Sh. Om Parkash and Smt. Chandrawati may read their notices.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्वीकर साहब, सबसे पहले काल अटैंशन मोशन मैंने दिया था इसलिए आप मुझे पहले पढ्ने दें।

श्री अध्यक्षः जी नही, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया था, उसके बाद आपने दिया था।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, हमारा भी कई मैम्बर्ज का इसी बारे में काल अटैंशन मोशन दिया हुआ है। आपने हमारा नाम ही नहीं लिया?

श्री अध्यक्षः जिन जिन माननीय सदस्यों का इस बारे में काल अटैंशन नोटिस दिया हुआ है, उन सब को सप्लीमैंटरी पूछने देंगे। अब श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा श्रीमती चन्द्रावती अपना–अपना नोटिस पढ़ें।

सर्वश्री ओम प्रकाश चौटाला सम्पत सिंह, धीरपाल सिंह, अमर सिंह ढांडे, बलवन्त सिंह, सूरजनान काजल, जिले सिंह, जयपाल सिंह, कृष्ण लाल रमेश कुमार, राम कुमार कटवाल, भरत सिंह तथा जसविन्द्र सिंहः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश मे पिछले दिनों सैकड़ों गांवों में किसानों की खडी फसलें ओला–वृष्टि से नष्ट हो मई है। इस बार पर्याप्त वर्षा होने से फसले बहुत अच्छी हैं। किसानों ने अपनी फसलों पर काफी खर्च किया था। परन्तु कुछ गावों में प्रकृति प्रकोप से हजारों एकड़ भूमि में खड़ी किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं विशेषकर जिला करनाल, हिसार, सोनीपत तथा भिवानी में। जिला करनाल के गांव दुपेडी, फफडाना, सालवन, कब्लपुर खेड़ा, ठरी, कुरलन, कमालपुर, झबाला, फेजपुर खेड़ा, हिसार जिले के गांव शामसुख संडोल तथा खरकड़ा आदि, सोनीपत जिले के गांव गढ सहजानपुर, देवली, शाहपुर, तुर्क, राठधाना, फाजिलपुर तथा रायपुर आदि तथा भिवानी जिले के गाव दौरा, वीरन, बापोड़ा, बलियाली, सीमली, मोदकारी, बरसाना, लेगा, अटेला, कैरु, शामकलां, बुडाना, बिलावल, चहड, काकड़ोली– हटी, कापड़ोली–सरदारा–हुकमी, जगराम–बास, हडौदा, हड़ौदी आदि 80 गांवों की फसलें ओलों से काफी प्रभावित हुई हैं।

परन्तु सरकार ने अभी तक न तो फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष गिरदावरी करवाई है और

न ही प्रभावित किसानों को मुआवजा आदि देने बारे कोई कदम उठाए है। कोई भी सरकारी अधिकारी गरीब किसानों के आमू तक पोछने नहीं आया है। उक्त ओलों से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हे। किसानों ने कर्जा आदि लेकर काफी पैसा फसलों पर लगाया हुआ था। किसानों व जनता में इस बात को लेकर बहुत रोष है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्षः अब श्रीमती चन्द्रावती अपना मोशन पढ़ दें।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि भिवानी जिले तथा राज्य के अन्य भागों में 13–14 फरवरी और शायद 27–28 फरवरी, 1995 को ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को सभी जगह प्रभावित किसानों को और अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए क्योंकि 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा बहुत कम है। लोहारु निर्वाचन क्षेत्र के गांव सिरसी, चहड खुर्द, चहड कलां, बीठण, लडास, बिधनोई, बढेड़ा तथा सोरडा, जहीद, कदीम तथा डिगावा–जाटण इत्यादि के कुछ भाग, बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र के गाव कारीतोखा कापड़ी, काकडौली हुक्म, सरदारा डान्डमा, सिरसली भोपाली, लाडास, शामकलाण तथा गुढ़ाण, तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव सामली, लेधा, जतिवा बास इत्यादि तथा दादरी निर्वाचन क्षेत्र के गाव दादरी, रावलधी, कमोद तथा खातीबास आदि में ओले पड़े

हैं। उक्त गांवो में सरसों, गेहूं तथा चने की फसल को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए ठीक से गिरदावरी करवाई जाए। जिसे खेतीबाड़ी का ज्ञान न हो वह फसलो को हुए नुकसान का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ओला लगने सें फसलो की फली, टाट और बाल सफेद पड़ गई हैं। अतः मिले खेतीबाड़ी का ज्ञान नहीं है वह 25 प्रतिशत नुकसान बताता है। वास्तव में अधिकतर जगहों पर 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। पूरी तरह बढ़े हुए चनों को भी नुकसान हुआ है। अतः सरकार ने किसानों को तुरन्त उचित मुआवजा देना चाहिए।

अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह मदन मे इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

(इस समय श्री राम बिलास शर्मा तथा श्री छत्तर सिंह चौहान बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए, 5 तारीख को ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, 6 तारीख को चन्द्रावती जी की तरफ से, 7 तारीख को छतर सिंह और राम बिलास जी की तरफ से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, आप यह तो एडमिट करते हैं कि छतर सिंह जी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है और आप इनको बोलने के लिए भी कह रहे है, लेकिन मैं यह

पूछना चाहता हूं कि इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? हमारा नाम न आने में किसका कसूर रहा है?

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि 5 तारीख को चौटाला जी की तरफ से, 6 तारीख को बहन चन्द्रावती जी की तरफ से और 7 तारीख को छत्तर सिंह और मेरी तरफ सै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। आपने चौटाला साहब का और चन्द्रावती जी का तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम दे दिया लेकिन हमारा नाम नही आया। इसका एक प्रोसीजर है। ये बड़ी पार्टी के मैम्बर हैं, क्या इसीलिए इनका नाम आ गया? हमारी छोटी पार्टी है और मैं अकेला विधायक हू क्या इसलिये मेरा नाम नही आया? चन्द्रावती जी कांग्रेस मे चली गई, इसलिए इनका भी सर्कुलेट हो गया। हमारा भी बराबर का प्रिविलेज है, इसलिए हमारा भी नोटिस सर्कुलेट होना चाहिए क्योंकि किसानों की फसल की बर्बादी से यह मामला जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्षः छत्तर सिंह जो, आप अब अपना मोशन पढ़ दें।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले हमारा नोटिस सर्कुलेट कराइए। उसके बाद मै इसको पढूंगा। (विघ्न) पहले भी ऐसा होता रहा है।

श्री अध्यक्षः कायदा यही है कि दूसरे सबधित सदम्यो को सप्लीमेटंरी पूछने की इजाजत दी जाती ई। (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि हाउस का एकं प्रोसिजर है even the, Chairman is also controlled by the Rules of Procedure arid list of business circulated in the House.

तो यह नोटिस सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ? आपने उन पार्टियों के मैम्बरों के नाम लिए, जो बड़ी पाटीज के मैम्बर हैं। हम तो छोटी पाटी के मैम्बर हैं, हम कहां जाएं? हमारा यह काल अटैन्शन मोशन सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ? यह डिस्क्रिमिनेशन आपके मातहत हमारे साथ क्यों हो रहा है? (विज) यह ठीक है कि हमने नोटिस बाद में दिया था, यानी 7 तारीख को दिया था और आज 10 तारीख हो 'गई है, लेकिन हमारे नाम इसमें शामिल नहीं किये गये हैं। हम इस तरह से कामु नही चलने देंगे। पहले आप हमारे नाम सर्कुलेट करें, तब हम अपना कालिंग अटैशन नोटिस पढ़ेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैं इस बारे में अपनी रूलिंग कल दूंगा। (विघ्न)

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि पहने बाप इसको सर्कुलेट करवाईये क्योंकि हमारे नाम भी इहमें अने चाहिए। अगर ऐर होना पोसिबल नहीं है, तो आप इस मामले को पोस्टपोन कर दे। हमरे इस बारे में कालिंग अटैशन नोटिस दिये हैं और हमारे नाम भी इन्कल्यूड होने चाहिए (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, यह वाकई ही बहुत 'सीरियस बात' है। बिजली के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था, वह भी सर्कुलेट नहीं किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में अपने सैक्रेटेरियेट से पता करवाइये कि यह क्यों सर्कुलेट नहीं हुआ? (विध्न) जो रूल्ज बने हुए हैं, एक सैट प्रोसीजर हैं, उनके मुताबिक ही कार्यवाही होती चाहिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि सर्कुलेट ही न हो। (विध्न)

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह हैं कि नोटिसिज सर्कुलेट किये जानै चाहियें।

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि आप अगर इस बारे में अपनी रूलिंग कल देंगे, तो क्या इसको आज डिस्कस किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैशन मोशन का मामला है और यह जरूरी नही है कि कालिंग अटैशन मोशन मैं सारे मैम्बर्ज के नाम आए। एक या दो मैम्बर्ज के नाम आ सकते है, इस बारे में शकधर ने भी लिखा है। यह जरूरी नहीं है कि अगर 15 पार्टियों ने नोटिस दिया है तो उन सब के नाम आए। मारी पार्टियों के नाम दिया जाना जरूरी नहीं है। कालिंग अटैंशन का मतलब तो यह है कि उस पर सरकार का ध्यान दिलाया जाए और पूछा जाए कि सरकार की तरफ से इसमें क्या रिलीफ मिलेगा या सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या किसको क्या रिलीफ दिया जाएगा? कालिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार कर लिया गया है और सदन में मुख्य मंत्री जी

जवाब देंगे। जो सप्लीमैंटरी ये पूछेंगे, इनको जवाब मिल जाएगा। इसमें नाम सर्कुलेट करने के लिए इनसिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। (विघ्न)

प्रो० राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग आने से पहले ऐक सबमिशन करना चाहूंगा। नेहरा साहब तो लाजवाब हें। स्पीकर सर, एक ही सटजैक्ट पर कई मैम्बर्ज ने कालिंग अटैंशन मोशन दी है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान की असैबली में रात के 10 बजे तक कालिंग अटैंशन मोशन में 20–20 लोगों के नाम आते हैं। वहां पर हरीशंकर भाभड़ा स्पीकर थे। मैंने राजस्थान असैम्बली की सारी कार्यवाही अपनी आखों से देखी है और कानों से सुनी है। अखबारों में भी पढ़ा है। कई बार 30–30 मैम्बर्ज कालिंग अटैशन मोशन द्वारा अपनी चिन्ता जाहिर करते हैं और सारी स्थिति स्पष्ट होती है। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है। चिन्ता का विषय है, पता नहीं नेहरा साहब क्यों इसको अपनी प्रैस्टिज का ईशू बना रहे हैं? स्पीकर साहब, इस बारे मैं आपकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्ज है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको गलत सुजेशन नही देना चाहिए। जितने मैम्बर्ज ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है, आपने उन सभी के नाम ब्रेकेटिड किए हें। आप उनको अपना नोटिस पढ्ने का मौका देंगे। इनका असैम्बली मे सर्कुलेट करना चाहिए। हाउस का जो रूल्ज आफ प्रोसीजर है, वह एडाप्ट किया जाना चाहिए।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, असैम्बली रूल्ज एंड प्रोसीजर के अनुसार चलती है। ये जैसा कह वै, वैसे नहीं होता है। मैं इस बारे मे रूल 73 पढ़ देता हूं–

"73.(l) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent Public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made.

(3) Not more than one such matter shall be raised at the same sitting.

(4) In The event of more then one matter being presented for the same day, priority shall be given to the mattter which in the opinion of the Speaker, is more urgent and important.

(5) The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

इसलिए स्पीकर साहब, क्य रूल के तहत ही कार्यवाही चलनी चाहिए, जैसे ये चाहते हैं, वैसे नहीं होता।

डा० राम प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर की कालिंग अटैन्शन मोशन तो सर्कुलेट हो जाए और दूसरे की नहीं। जब कालिंग अटैन्शन मोशन एडमिट हो गई है तो सबके नाम सर्कुलेट क्यों नहीं किए गए? अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यूरिया के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, तब भी यही बात थी। मुझे खुशी है कि सदन का ध्यान आज इस तरफ आकर्षित किया गया है।

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, जो रूल बनता है वह पोजिटिव बनता हैं, नगेटिव नही। अध्यक्ष महोदय, आप जैसा फैसला करेगे, हम वैसे ही कर लेंगे। आप क्हे कहें कि सप्लीमेंटरी कर लें और मुख्यमत्री जी जवाब दे देंगे। इसमें नाम की कोई बात नहीं है। सदन का समय ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हम यह बात मान लेंगे, अगर आप सबका नाम सर्कुलेट करवा दें। इसे चौटाला जी पढ़ देंगे। कम से कम यह सर्कुलेट तो होनी चाहिए। It must be circulated before the House. It has not been circulated as if we have not given the notice of the calling attention motion.

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, आप इन्हे इस बारे में आश्वासन दे दें कि सर्कुलेट हो जाएंगी और सदन का बिजनैस चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) This assurance can be given which is the one way out.

Ch. Bansi Lal : But it must be circulated before the House.

Mr. Speaker : Ram Bilas ji are you ready to read out your notice ?

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं तैयार हूं। आप सर्कुलेट करवा दे।

Mr. Speaker : It will be deemed to have been circulated. ठीक है, अब आप पढ़े। (शोर एव व्यवधान)

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, आप हमें सर्कुलेटिड मोशन की कापी दे दें तो हम पढ़ देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह मोशन के बारे में सीरियस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम बिलास जी, अब आप इस बारे में जुबानी ही बोल दें।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मंत्री महोदय को रिस्ट्रेन करे, ये हम पर हर बार छींटाकशी क्यों करते हैं और शको– शुबाह से क्यों देखते हैं? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (चो० भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सदस्य इस बात के लिए बहुत एजिटेटिड हैं। आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंगलवार तक

पैडिंग कर लीजिए, तब तक आप अपना पूरा काम कर लीजिए। हमें इस पार कोई ऐतराज नही है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हमें भी यह बात मंजूर है लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि बेचारे नेहरा साहब को पार्लियामैंट्री अफेयर्ज का कोई काम तो आता है नहीं, लेकिन चौधरी वीरेन्द्र सिंह भले आदमी हैं। अगर इस काम के लिए उनको बिठा लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

Mr. Speaker: This matter is postponed for Tuesday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, यह कालिंग अटैशन मोशन पढ़ी जा चुकी है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इसका जबाव दे दिया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Now, the matter is before the House and I have postponed it for Tuesday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, मेरो मोगा हाउस में पढो जा चुकी है इसलिए इसका जबाव दिया जाना चाहिए। इनका मोशन तो अलग है। सर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि अगर कोई मोशन हाउस में पढ़ी जा चुकी हो, तो क्या सरकार को इसके लिए दो–या–तीन दिन का समय दिया जा सकता है? सर, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा।

Mr. Speaker : Now Prof. Chhattar Singh Chauhan

may read his Calling attention notice No. 17.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I beg to draw the attention of this August House towards a matter of great public interest and importance that the hailing in the last month and in this month, has caused an immense loss the standing crops of the poor farmers throughout the State.

The hailstrems c used a heavy loss in the District of Bhiwani, particularly Laghan, Jitwan Bas, Simli, Kairu, Obra Chahar Kalan, Chahar Kurd, Mithan, Sirsi Bardu Paju, Badru Mughal, Rawaldhi, Kamod, Jinjhar, Baund Khurd, Ranila, Khatiwas etc. villages are the worst affected villages.

Hence I request the Government to lay on the table of the House, the list of the affected villages of the State and make a statement. I also request the Government that special Girdawari be ordered, adequate compensation be paid to the farmers and recovery of all types of loan be suspended for a year with the exemption of interest for the effected period and Agriculture Insurance Scheme be implemented to give a standing relief to the farmers and the rate of compensation be enhanced keeping in view the raised cost of inputs and out puts .

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैंने भी आपकी सेवा में अपना एक मोशन दिया है जो कि फरीदाबाद में हुई ओलावृष्टि के बारे में है। अगर आप कहें तो मै भी अपने मोशन की दो लाईनें इसी के साथ पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्षः आप भी बैठिए। आपके मोशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं He has read this notice on your behalf also. अब राम बिलास जी अपना कालिंग अटैंशन नोटिस नं० 20 पढ़ दें।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, भैंस तो वही ले जाता है जिसके पास लाठी होती है। आखिर चली तो चौटाला साहब की ही है।

श्री अध्यक्षः इनके कहने के मुताबिक इन्हें मोशन की कपि। दे दो।

प्रो० राम बिलास शर्माः थैक यू स्पीकर सर, कितना रोने के बाद चूची मिली है। आप भी यह जानते हैं। सर, अब मैं अपने मोशन की दो लाइनें पढ़ देता हूं –

''स्पीकर सर, मैं एतद्वारा इस महान सदन का ध्यान एक लोक हित के अत्यावश्यक मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों में हरियाणा के कई स्थानों पर ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं इससे किसान बहुत चिन्तित हैं। सरकार इस सम्बन्ध में गिरदावरी करवाए। सर, कई बार किसान की फसल हरी देखकर के और खड़ी देखकर के सरकार यह समझती है कि यह खराबा 20 परसैन्ट है 25 परसैन्ट है। परन्तु जिस टाट पर गिर जाता है, वह साफ हो जाती है जिस पौधे पर ओला गिर जाता है, उस पर फल फूल नही लगते।

इसलिए उन सब किसानों को इसमें शामिल करके उनको तुरन्त मुआवजा दिलवाया जाए। सादर

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरी भी एक काल अटैशन मोशन है।

श्री अध्यक्षः आपने कब दी है?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दी है।

Mr. Speaker : It cannot be included.

Shri Karan Singh Dalal : Sir.....

श्री अध्यक्षः यह तो आपने अभी दी है, फिर भी यह इसी सब्जैक्ट पर है तो आप पढ़ लो।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद में ओलावृष्टि से बहुंत अधिक नुकसान हुआ है अतः सरकार इस बारे में सदन में बयान दे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्याइंट ऑफ आर्डर है। सपीकर सर, यह काल अटैशन मोशन वैसे तो सैशन में तकरीबन रोज ही आती रहती हैं। इस बारे में पार्लियामैंट के प्रोसीजर के बा रें में कौल एण्ड शकधर की एक बुक है जिसे अथोरिटी मानते हैं उसके बारे में जो मैं समझ पाया हूं perhaps it may benefit the House. जैसे चार काल अटैंशन मोशन आ गई।

एक पांच तारीख को या गई, दूसरी छह तारीख को आ गई। आपने चार–पांच मोशन गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेज दी। रिप्लाई के लिए भेजने के पश्चात फर्ज करो दो मोशन और आ गई। फर्ज करो कि इन मोशज में 40 गांवों को और लिस्ट किया गया है पांच तारखि की मोशन में तो केवल 10 गांवों को लिस्ट किया गया जा आप के पास जवाब आएगा तो उस जवाब में केवल उन्हीं गांवों के बारे में इनफर्मेशन दी गई होगी जिन्हें आ पने पहले ऐडमिट करके गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेजा था और जो बाद मे मोशंज आई और आपने उनको पहले वाली मोशंज के साथ ब्रेक्टिड कर दिया तो इन मोशज मे जिन गांवों को लिस्ट किया गया था या उनकी इनफर्मेशन तो नही आएगी, इसलिए प्रोसीजर है। गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेजने से पहले उनको ब्रैकिट किया जाए जो पहले रिसीव हुई हैं, बाद में नहीं।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आप यह पहले ले चुके हैं हमारी मोशन के बारे मे भी गवर्नमैट को भेज दिया गया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, स्टेट में ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। किन–किन गांवो में कितना हुआ है, उसके लिए डिमांड की गई है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए ओर उसी आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। इसमें यह सवाल नही कि वह गांव रह गया। गांव इसमें थोड़ो ब्रैकेट किए जाएंगे।

वक्तव्य–

11.00 बजे

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजनलाल): अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि फरवरी, 1995 में ओलावृष्टि से हरियाणा राज्य मे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। पहली बार राज्य में दिनांक 13– 14 फरवरी, 1995 व फिर दोबारा दिनांक 27–28 फरवरी, 1996 को ओलावृष्टि हुई थी। इस ओलावृष्टि से राज्य के 6 जिलों में 155 गांव प्रभावित हुये।

2 सम्बन्धित उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला भिवानी के 64 गांव, जिला महेन्द्रगढ के 10 गांव, जिला करनाल के 10 गांव, जिला रोहतक के 11 गांव, जिला हिसार के 56 गांव व जिला सोनीपत के 4 गांव ओना–वृष्टि से प्रभावित हुये हैं। इन जिलों में कुल 64,837 एकड़ कृषि भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला करनाल को छोड़कर बाकी सब जिलों में विशेष गिरदावरी हो चुकी है। हिसार जिला के 66 गांवों में 17,990 एकड़ भूमि में हुई ओलावृष्टि से नुकसान की प्रतिशतता 20 प्रतिशत से कम रही व जिला रोहतक में हुई ओला– वृष्टि से 11 गांव में हानि केवल 5 से 10 प्रतिशत थी। इस ओलावृष्टि से सबसे अधिक प्रभाव जिला भिवानी में हुआ जहां 64 गांव की 39,978 एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। भिवानी

जिला में की गई विशेष गिरदावरी के अनुसार 8,125 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान 25 प्रतिशत से कम रहा और बाकी क्षेत्र में नुकसान 26 प्रतिशत से अधिक हुआ। इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ के 10 गांवों में 1, 670 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान 25 प्रतिशत से कम पाया गया व 1 ,096 एकड़ भूमि में नुकसान 26 प्रतिशत से अधिक है। जिला करनाल के 10 गांव में ओलावृष्टि से प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 41000 एकड़ भूमि मे खड़ी फसलों को नुकसान हुवा। वहां विशेष गिरदावरी की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। जिला सोनीपत के चार गांवों में 103 एकड़ भुमि में फसलों को नुकसान हुआ जोकि 18 प्रतिशत से कम है।

3. उपायुक्त करनाल की रिपोर्ट के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना नं० 10 में वर्णित गांव कुरलान व कमलपीर ओलावृष्टि से प्रभावित नही हुये है और फासेपुर खेड़ा नामक कोई गांव करनाल जिला में नही है। इसी प्रकार उपायुक्त सोनीपत के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 10 में वर्णित कोई भी गांव ओलावृष्टि से प्रभावित नही हुआ है।

4. सरकारी की नीति के अनुसार प्रभावित किसानों/ मुजारों को नीचे दिये गये ब्यौरे अनुसार अनुदान की राशि प्रदान की जाती है:–

		खडी फसलो (अनाज/	सब्जियों के नुकसान

		तिलहन) के नुकसान पर	पर
(1)	जहां नुक्सान 75 प्रतिशत से अधिक हो	400/– रुपय प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	600/ – प्रति रुपये क्षतिग्रस्त एकड़
(2)	जहां नुक्सान 50 प्रतिशत से अधिक हो परन्तु 75 प्रतिशत से कम हो	300/–रुपये प्रति क्षतिंग्रस्त एकड़	600/ – रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़
(3)	जहां नुक्सान 25 प्रतिशत से अधिक हो परन्तु 50 प्रतिशत से कम हो	200/ –रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	400/– रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़

किसी भी गांव में ओला–वृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों/मुजारों को दो जाने वाली अनुदान राहत की कुल राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कृषक मजदूरों (हरिजनों) में बांटने के लिये राहत के रूप में नकद राशि भी दीं जाती है।

5 उपरोक्त नीति के मद्देनजर सम्बन्धित उपायुक्तों को राहत राशि यथाशीघ्र दे दी जायेगी।

6 मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानो/मुजारों को दी जाने वाली अनुदान राशि की दरों मे 60 पतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के राज में यह राशि 100,200 व 300 रुपये दी जाती थी उसके बाद जब मैं मुख्य मंत्री बना तो हमने इस राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था यानि 200, 400 व 600 और अब मैं यह हाउस मे घोषणा करता हूं कि अब हमने इस राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है। (तालियां)

7 पंजाब भू–अभिलेख मैनुअल के अनुसार गिरदावरी का कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अतः चिरकाल से यह कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हो किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी/अधिकारी किसानों तथा उनकी भूमि आदि से भलीभांति परिचित होते हैं और वे इस कार्य को भली भाती निभा रहे हैं।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखेगे कि सरकार स्थिति से पूरी तरह परिचिंत है और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा ओं की सूरत में पात्र तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिय तुरन्त कार्यवाही की जाती है। मैं एक बार पुन इस महान सदन को आश्वासन दिलाना चाहूगा कि ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में पात्र किसानों /मुजारो तथा कृषक मजदूर (हरिजन) की कठिनाईयो को दूर करने/ कम करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाता है और किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित नार्मज तथा नीति के अनुसार राहत राशि शीत बांट दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, चाहे फरीदाबाद जिले का जिक्र हो या कोई और

जिला बाकी रहे गया हो, जहां कहीं से भी समाचार आएगा कि ओलावृष्टि हो गई, तो फौरन स्पेशल गिरदावरी करवा कर बढाए हुए नार्म्ज के मुताबिक किसानो को जल्द यानि तीस दिन के अन्दर मुआवजा देगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैने अपने काल अटैन्शन मोशन मे इस हाउस का ध्यान दिलाया है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री के मानने के मुताबिक दो सौ से कुछ कम गांवों में ओलावृष्टि मे बहुत भयंकर नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उन गांवों में जाने का मौका मिला शै। मैं विशेष रूप से करनाल और भिवानी के उन गावों में गया हूं पिछले फ्लड की वजह से भिवानी जिले का क्षेत्र बर्बाद हो गया था। आज स्थिति यह है कि किसान के पास खेत में द्रांति ले जाने का भी काम नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने बडे लच्छेदार तरीके से अपनी बात को कहा कि 25 परसैन्ट से कम नुक्सान इतने इलाके में हुआ है। इस बारे में जब चौधरी देवीलाल ने कानून वनाया था तो दुर्भाग्य से ये उनकी वजारत में मन्त्री थे। उस वक्त मे 25 परसैन्ट के हिसाब से कोई कम्पनसेशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद जहां कही नुकसान छिपाने की कोशिश की है तो वहां कहते हैं कि नुक्सान 25 परसैन्ट से कम है। जब उसमें विवरण नहीं दिखा गया कि 25 परसैटं से कितना कम है? शत प्रतिशत नुक्सान हुआ है, और कहते हैं कि कम है। यह भी कहते हैं कि हमने राशि को बढ़ा दिया है। गिरदावरी की रिपोर्ट 25 परसैट से

कम है और कम्पनसेशन की राशि अगर पांच हजार रुपये एकड़ हो जाएगी तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा। स्पैशल गिरदावरी की बात कही गई है। यह स्पैशल गिरदावरी का भी मुख्य मन्त्री ने अपनी स्पीच में कहा है। (विघन) ए० सी० चौधरी साहब आपने तो ..... की है, आपको खेती का ज्ञान नही है। यह गिरदावदी होने के बाद की बात है। आपने तो महकमें बदल कर चूम लिया और अब उद्योग में चले गए।

श्री अध्यक्षः यह ठग्गी ठोरी वाली बात 'रिकार्ड पर न लाई जाए।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। ये मेरे बारे में ऐसी बात कहते हैं। ये मेरे वे भाई हैं जिनको कस्टम वालों ने पकड़ा था। मेरे को नही पकड़ा था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इसमें कम्पनसेशन बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसा कह कर इन्होंने हाउस को गुमराह किया है। अगर किसी किसान का नुकसान 25 परसैन्ट से कम होगा तो किसी भी किसान को कम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अभी क्वैश्चन आवर में मुख्य मन्त्री जी ने लिबर्टी सीडज कार्पोरेशन के बारे मे कहा। इन्होंने कहा कि उसमें किसान का एक हजार प्रति एकड का नुकसान हुआ लेकिन किसान पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के, हिसाब से मुआवजा मांग

रहे हैं। उन्होने कहा कि हम किसानों को ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके गलत सीड की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई है सरकार ने उनको दों–तीन हजार रुपए पर एकड़ मुआवजा मै की कोशिश है। जो किसान ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गए, उनकी सरकार वो गिरदावरी करवाई है और उस गिरदावरी में किसानों को कम्पनसेशन से वंचित रखने का प्रयास किया गया है। आज हाउस में सरकार यह आदेश दे कि नए सिरे से गिरदावरी करवाई जाएगा इस बारे में हाउस की एक कमेटी बनाई जाए, जो स्वयं जा कर उन किसानों की हालत देखे जिनका ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। जहां–जहां पर ओलावृष्टि से नुक्सान हुआ है, वहां के किसानों को अपने खेतों में क्रांति ले जाने की आवश्यकता नही है। इस बा रै में मुख्य मैत्री स्पष्ट उत्तर दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्वैश्चन ऐसै किया है कि जैसे किसानों इनकी बहुत ज्यादा हमदर्दी हो। सारे प्रदेश के किसान यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी किसानों के साथ कितनी हमदर्दी है? आप किसानों को गुमराह करने की बात तो कर सकते हैं कि थारा कर्जा माफ करेगे। बिजली के बिल न दो या पानी नही है। इस तरह की बात कडु करके आप किसानों को गुमराह कर सकते हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होने सारे जिलों का जिक्र करके कहा कि 80 गांवों में नुक्सान हुआ है लेकिन सरकार कहती है कि 6 जिलों के 165

गांवों में नुक्सान हुआ है। ये चार जिले और 80 गांव बताते हैं। मैं कहता हूं कि जहां– जहां पर भी ओलावृष्टि से नुक्सान हुआ है, सरकार को उन सभी किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी, आपको मैं पहलवान कहूं कि पहल– वान साहब, आपको सुनने में तो कोई दिक्कत नही होनी चाहिये। आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। (शोर) सरकार की किसानो के साथ पूरी हमदर्दी है। चाहे वह भाव की बात है और चाहे किसानों की मदद करने की बात है। हम किसानों की हर तरह से मदद करेंगे। पहले हमने किसानों को ओलावृष्टि के कारण जो मुआवजा दिया जाता था, फिर उसको डबल किया ओर अब उसको डेढ़ा किया है। जिस जिस जिले में ओले पड़े हैं, वहा के किसानों को हम 30 दिन के अन्दर अन्दर मुआवजा देंगे। अभी एक जिले में गिरदावरी चल रही है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। वहां से भी रिपोर्ट आ जाएगी। जहां कहीं भी ओले पड़ने से नुक्सान हुआ है, 30 दिन के अन्दर मुआवजा पहुंचा दिया जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में पांच तारीख तक जितनी इन्फर्मेशन हमारे पास आई थी, उसके हिसाब से हमने आपकी सेवा में कालिग अटैशन मोशन दिया था। हम यह नही कह रहे कि पांच तारीख के बाद ओले पड़ गए। स्पीकर साहब, सरकार के पास तो वायरलैस सिस्टम है और की० सीज० मंग। एक घंटे के अन्दर इनको यह पता लग सकता है कि कहां पर क्या हुआ है। हमारे वर्कर्ज जिस–जिस जिले में जा कर

देखकर आए हैं, उस हिसाब से हमने काल अटैन्शन मोशन दिया है। अगर स्पीकर साहब, सरकार ने यह जो गिरदावरी करवाई है, यह टोटली बोगस है। मैं खुद अपने हल्के के शामसुख गांव मे ओले पड़ने के अगले दिन गया था, वह गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है। मुख्य मन्त्री जी ने अभी जवाब देते हुए कहा था कि हिसार जिले में 20 परसैन्ट से कम नुक्सान हुआ है। वहा के किसानों को कम्पनसेशन न देने के लिये यह बहाना बनाया गया है। मैंने उस गांव के किसानों से कहा कि आप डी० सी० के पास जाएं और नुक्सान की एप्लीकेशन दे। मैं भी उनको कहूंगा। पहले तो किसान कद्रुने लगे कि डी० सी० के पास जाने का कोई फायदा नही है। वह मानने वाले नही है। लेकिन मेरे कहने के बाद, अगले दिन वहां के किसान डी० सी० के पास गए। उसके बाद वहां की गिरदावरी हुई। उसके बाद सारे जिले की. यह रिपोर्ट आई है कि वहां पर 20 परसैन्ट से कम नुक्सान हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सरकार वहां के किसानों को कुछ नहीं देना चाहती है। वहां का 20 परसैन्ट से कम नुक्सान दिखाया है ताकि वहां के किसानों को कम्पनसेशन न देना पड़े। अगला सवाल मैं यह करना चाहूंगा कि जहां पर 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक नुक्सान की रिपोर्ट आई है, वहां पर क्या दुबारा गिरदावरी करवायेंगे? बेशक आप इसके लिये कोई कमेटी बना में और जिलों के जो पाटीज प्रैजिडेंट आदि हैं, उनको शामिल करके दुबारा गिरदावरी करवा लें। हमें भले ही शामिल न करे लेकिन ऐसा करे तो सही। इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता

हूं कि प्राईसिज हर साल बढ़ रही हैं। आम तौर पर हर साल प्राईसिज इन्फलेशन की वजह से 10 परसैन्ट बढ़ जाते हैं। ये जो 300, 400 और 600 रपये दे रहे हैं, यह कीमतों के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए बहुत कम हैं। खाद्यानों की कीमते कम से कम 10 गुना बढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि क्या सरकार प्राईस इन्फलेशन को ध्यान में रखते हुए कम्पनसेशन की राशि को बढ़ायेगी। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार जहां पर ओले पड़े हैं, वहां के एरिया के जिन लोगों ने बैकों का कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेगी और उनके बिजली के बिल को भी माफ करेगी?

श्री अध्यक्षः छत्तर सिंह जी आप भी सवाल पूछ लें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह शुरू से ही प्रोसीजर पा है कि जब एक विधायक एक सवाल पूछता है तो मंत्री उसका जवाब देता है। उसके बाद दूसरा सदस्य पूछता है। चार साल से आप भी स्पीकर हैं। हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। अब नया प्रोसीजर एडोप्ट क्यों किया जा रहा है? मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः आपने जो सवाल किए हैं, उनका जवाब सरकार की तरफ से आने पर क्या दुबारा सवाल नही पूछेंगे? क्या वह फाईनल रिप्लाई होगा?

प्रो० सम्पत सिंहः अगर हमारी तसल्ली नही होगी तो पूछेंगे?

श्री अध्यक्षः ऐसे तो आप सारा दिन ही सवाल पूछते रहेंगे। अब आप बैठिये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी बहुत पूराने मैम्बर हैं। जब ये अपनी बात एक आख मीच कर कहते हैं तो इनका मुह ऐसा लगता है जैसे ये तम्बाकू खा रहे हों।

प्रो० सम्पत सिंहः आप ही खाते होंगे, मैं तो चाय तक भी नहीं पीता।

चौधरी भजन लालः आप कह दो कि मैं तम्बाकू खाता हूं। मान लूंगा।

प्रो० सम्पत सिंहः मुझे क्या पता?

चौधरी भजन लालः आप भी हिसार जिले के हो, इतना तो आपम का पता होना चाहिए। कौन क्या खाता–पीता है?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए कहा कि 5 तारीख तक इनके पास जो रिपोर्ट आई थी, वह इन्होंने बताई है, जानकारी तो इनकी इतनी ही है। 27– 28 फरवरी के बाद तो ओले ही नही पड़े। आपने 5 तारीख के प्रस्ताव में 80 गांवों का जिक्र किया है। जबकि हम 165 गांवों के बारे में आप को बता रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि सारी रिपोर्ट हमारे सामने आए। (विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होने कह दिया कि गिरदावरी बोगस हुई इन्होंने यह भी कह दिया कि हिसार जिले के गांव शामिल नहीं किये गये। नुक्सान कम हुआ दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हिसार जिले के अकेले यही ठेकेदार हैं? हिसार जिला मेरा खुद का जिला है। हिसार जिले में भी ओले पड़े हैं और मेरे हल्के के 7–8 गांवों में ओलों से किसानों का नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हिसार मेरा अपना जिला है। (विध्न)

एक आवाजः क्या सारा जिला आपका ही है और उस पर पिसी. का हक नहीं है?

चौधरी भजन लालः हक सब का है., लेकिन रहने वाला तो मैं भी उसी जिले का हूं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बाकायदा कई जगह जा कर डिप्टी कमिश्नर खुद चौक करता है। कहीं पर एस० डी० एम० खुद देखता है कि जो स्पैशल गिरदावरी, हुई है, वह ठीक हुई है या नही। किसानों का जो नुक्सान हुआ है, वह सही दिखाया गया है या नहीं। कही पर पटवारी ने गड़बड़ी तो नहीं की। जो नुक्सान, हुआ है, उसको कही कम तो नही दिखाया गया। अध्यक्ष महोदय, इनको अपने राज के दिन याद आते हैं, जब बिना नुक्सान हुए भी ओलो के नाम पर लोग पैसे ले गए। (विध्न)

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर नुक्सान हुआ है, वहां पर कर्जा डैफर करवाने की बात हो सकती है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः यह कर्जा माफ होना चाहिये। (विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कर्जा डैफर हो सकता है लेकिन माफ नही हो सकता है। बिन भी माफ नही हो सकते लेकिन कुछ देर के लिए उनकी अदायगी टाली जा सकती है। जहां पर ओलों की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहा पर ऐसा करने के लिए सरकार विचार कर सकती है।

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों फर खड़े हो कर बोलने लय गये)

(शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप अपनी सीट पर बैठिये। (विध्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः सवाल पूछना मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्षः आप मैकिसमम दो सवाल पूछ सकते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चोटाला: दो सवाल पूछने। का तो मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण नही कर रहा हूं। (विध्न) मैंने अपनी सप्लीमैट्री में इस बात को कहा था तथा मुख्य मन्त्री जी ने भी व्यान में कहा है कि इस प्रकार के 167 गांव हैं। मैंने जो गांव दिए हैं, वह 200 से कम गांव हैं। मै स्वयं इन में से 80 गांवों में जा कर आया हूं। सेकडों गावों में भंयकर नुक्सान हुआ है। मुख्य मन्त्री जी ने 25 प्रतिशत से नीचे की जो बात कही है, उसके मुताबिक तो किसानों को कम्पनसेट नहीं किया जा सकता। ये खुद किसानों को कम्पनसेट नहीं करना चाहते। जो हमारी सरकार के टाईम के आकड़े हैं, वे ये खुद पढ लें। हमारी सरकार ने उस वक्त किसानों को 400 रुपये आम फसल के लिए और 600 रुपए सब्जी के लिये कम्पनसेशन दिया था। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: आपने जो कम्पनसेशन दिया था, उसके लिये आपने कोई परसैन्टेज भी तो फिक्स किया होगा?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: जी हां। यदि 'गिरदावरी में 25 प्रतिशत से कम नुक्सान दिखाया गया है तो उनको कम्पनसेशन नहीं मिलेगा और 26 प्रतिशत से अधिक जो कम्पनसेशन देंगे, उसकी तफसील नहीं दी है। उसका तफसील से विवरण नहीं दिया गया है। स्पीकर साहब, इस सरकार की नीति किसानों को कम्पनसेशन नही देने की है, नहीं तो इनको इस तरह की परसैन्टज फिक्स नहीं करनी चाहिए थी। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप अपना सवाल पूछें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये पैसा बडाने की धात करते हैं लेकिन नुक्सान को नहीं देखते। जो किसान फ्लड मे बरबाद डुए हैं, उनको कम्पनसेट करवाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए स्पैशल गिरदावरी करवाएगी? जिसका जितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान के मुताबिक यह सरकार कम्पनसेशन देगो या नहीं देगी? जो स्पैशल गिरदावरी हुई, वह मुनासिब नहीं हुई। स्पैशल गिरदावरी करवा कर, क्या नुकसान के मुताबिक किसानों को कम्पनसेशन सरदार देगी या नही देगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जवाब दिया है कि स्पैशल गिरदावरी ही करवाई जाती है, जिसमे यह देखा जाता है कि कितने एकड़ में ओला– वृष्टि हुई है और कितने परसैंट नुकसान हुआ है। इस बात के हिसाब से स्पैशल गिरदावरी हो चुकी है। इस मे बाकायदा मौके पर जा कर डिप्टी कमिश्नर, एस० डी० एम० तथा ए० डी० सी० देखते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये 25 प्रतिशत से कम नुक्सान बता रहे है। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय जहां पर नुकसान कम है, वहां पर मुआवजा नही मिलेगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये हमें यह बताएं कि 25 प्रतिशत तक कितने रकबे की गिरदावरी हुई है और 26 प्रतिशत तक कितने रकबे की गिरदावरी हुई है।

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, आप बैठ जाएं।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमन्त्री जी की मैनिपुलेटिड तरीके से हाउस को गुमराह करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में 39 गांवों में नुक्सान हुआ है। मैं और मेरे साथी 23 फरवरी को उन गांवो में गए थे। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की नौलेज में भी लेगा गांव का नाम है, वहां पर 100 प्रतिशत नुक्सान है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों मे 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत नुक्सान हुआ है? इन्होंने जो भी बताया है, वह असत्य है। वहां पर जो गिरदावरी करने वाले कानूनगो है, हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि हमारे पास सरकार के निर्देश आए हुए हैं कि सरसों की खेती की गिरदावरी करें। अध्यक्ष महोदय, अगर गेहूं की फसल में ओला गिर जाए तो उसके पते तो झड जाते हैं और नाली रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, लेगा, सीमली, जीतवान और बास इत्यादि गांव जो बहन जी के हल्के के हैं, वहां पर भी 100 प्रतिशत नुक्सान है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें 26 प्रतिशत भी और 27 प्रतिशत नुक्सान भी हो सकता है। क्या ये उन गांवों की लिस्ट देखेंगे जिन गांवों में 60 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान है? अध्यक्ष महोदय, इनकी गिरदावरी का ढंग ही गलत है। ये पटवारी को पहले ही कह देते हैं कि 26 प्रतिशत से ज्यादा खराबा शो नही करना है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हमें उन गांवों के नाम बताएं जिन गांवों में 80 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान हैं। ....

श्री अध्यक्षः इन्होंने ये जो अभी शब्द कहें हैं, उनको रिकार्ड न किया जाए।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, उन किसानों की जिनकी फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके इन–पुटस और आउट–पुटस का प्रपोर्शनेटली यह सरकार मुआवजा दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमीर चन्द मक्कडः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। छत्तर सिंह जी ने जो हाउस को गुमराह करने वलि।. बात कही है, वह गलत है। हाउस में हम भी बैठे हैं, हम तो गुमराह नहीं हुए हैं। हां, ये अगर अपना नाम लेकर गुमराह की बात करें, तो अलग बात है। ये हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं करें, क्योंकि हाउस गुमराह नहीं हुआ है।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्ल मंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन गांवों की फसलें ओलावृष्टि से बुरी तक से नष्ट हो गयी हैं, वहां कम से कम एक साल के लिए लोन की रिकवरी बन्द की जानी चाहिए। रेट आफ इंट्स्ट को माफ किया जाना चाहिए और बिजली के बिलों को भी माफ किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी यह बताएं कि किन–किन गांवों में फसलों का 70 या 80 परसैन्ट नुक्सान हआ है? अध्यक्ष महोदय, इनका 25 परसैन्ट नुक्सान वाला आकलन ठीक नही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौहान साहब ने एक तो कह दिया कि भजन लाल को किसानो की बातों का कोई पता नही है। ये इस बात को क्या समझेंगे? लेकिन अगर कोई इनमें पूछने वाला हो तो बताएं। भिवानी जिले में तो ये कह देते हैं कि गुड़ की ''भेली'' पेड पर लगती है तो ठीक है। ये भी उसी जिले के रहने वाले है और ये हसी तरह कं किसान हैं जबकि ये भजन लाल को भी ऐसा ही कहते है। ये लोक तो गेहूं का नाम तब सुना करते थे जब कदे बटेउ आ जाता था तो सारा घर कांसे के बर्तन बजाया करता था कि आज गेहूं के माण्डे बनेंगे इस लिए ये खेती के बारे मे क्या जानें?

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सहमत है कि हमारे यहां न तो पहले गुड हुआ करता था और न आज ही हफ्तो है। इनकी यह बात भी ठीक है कि हम तो बाजर की रोटी खाया करते थे कटे गेहूं की रोटी नही 'खायी या कोई

बटेउ आ जांदा तो मिला करती थी। लेकिन मैं एक बात मुख्य मंत्रा जी से कहना चाहूंगा कि जहां–जहां पर भी एम० एल० ए० इस चीज को कंटैस्ट करते हैं कि गिरदावर गलत हुई है तो आप अधिक। रियो को आदेश देकर कहें कि वहां– वहां पर एम० एल० ए० के साय मौके पर जाकर गिरदावरी करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ठीक बात है कि भिवानी जिले में सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है। इस जिले मे 39,948 एकड में से 8,125 एकड़ छोड़कर 31, 853 एकड़ मे नुक्सान 25 परसैन्ट से ज्यादा हुआ है। कही पत्र नुक्सान 25 परसैंट है, कही पर 26 से 5० परसैन्ट के बीच है और कही पर 50 से 75 नुक्सान हुआ है। इसके इलावा, दो या तीन गांवों में तो 75 परसैन्ट से भी ज्यादा नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर 75 परमैन्ट से ज्यादा नुक्सान हुआ है, वहां पर जिन किसानों ने लोन ले रखा है, उसकी वसूली रोक देंगे। अगर वे बिजली के बिल देने की स्थिति में नही होंगे, तो वह भी रोक सकते है यानि जो भी सहायता कर सकते हैं, वह करेंगे। जहां से भी शिकायतें आएगी, उन को देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनरल गिरदावरी तो हो चुकी है और उसको सैम्पल के तौर पर एस० डी० एम० ने भी चौक कर लिया है। फिर भी अगर कही पर कोई शिकायत हों तो सदस्य साहिबा न फौरन डी० सी० को बता दें। हम डी० सी० को हिदायतें कर देंगे कि जिस किसी विधायक की तरफ से कोई

शिकायत आए कि वहां पर गिरदावरी ठीक नही हुई, तो आप वहां पर दोबारा गिरदावरी करवाए।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही है कि स्पैशल गिरदावरी करवा देगे। लेकिन अगर विधायक कहता है कि उसे भी साथ ले जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है? खुद ही पता लग जाएगा कि विधायक गलत है या वह गलत है। गांव के बीच में विधायक जाएगा तो सब देखेगे, इसलिए गांव में कोई गलत बात हो नहीं सकती।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर विधायक साथ में जाना चाहे, तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मुखर मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। यह ठीक है कि वह खेती के बारे में जानते हैं लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो उनको पता होगा कि केवल 23 परसैन्ट, 50 परसैन्ट या 75 परसैन्ट की ही हानि नही होती बल्कि ओलावृष्टि तो पौयजन वृष्टि होती है फसलों में जैसे चना को टाट नही लगती। यही नही परन्तु उस पर फूल और फलिया भी नही लगतीं और जो आयी होती हैं उनमें फल नहीं लगता। वह 100 परसैन्ट फसल खराब होती है। उसके चारे को पशु भी नहीं खाने हैं। सरसों की फलों लगी हो तो वह पूरी खत्म हो जाती है। फूल लगे हों तो उनके बाद फन नहीं

लगते। गेहूं की वाली आई हो, तो वह खराब हो जाती है उसकी तुडी बैल भी नहीं खाता है।

श्री अध्यक्षः आप क्वैश्चन पूछिए।

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्हेंने ओलावृष्टि से हुए नुक्सान की जो गिरदावरी करवाई है, और मुआवजे का जो ऐलान किया है, उसमें कहा है कि जिन कि किसानो की फसल में 25 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हुआ है, उनको मुआवजा मिलेगा। किसान होने के नाते से मैं गुजारिश करता हूं कि यह नुकसान 100 परसैन्ट होता है, ओलावृष्टि से 60– 70 या 80 परसैन्ट नुकसान नही होता बल्कि 100 परसैन्ट नुकसान होता है। मैं मुख्य मली जी से गुजारिश करूंगा कि इस खराबे को 100 प्रतिशत खराबा मानें। जैसे टमाटर का बीज इजराइल से लाए हैं, 569 ग्राम बीज 66,27–8 रुपये का लाए हैं। उस प्रोपोर्शन में किसान को मुआवजा दे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो बात कही है, वह पूरी तरह से ठीक नही है। ठीक इसलिए नहीं है कि ओला कई जगह छोटा पड़ता है कई जगह बड़ा पड़ता है। जब छोटा ओला पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा नुक्सान नहीं होता। कुछ फसल ऐसी है, जो छोटी है। उसमें नुक्सान बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका फायदा है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः वह कौन सी फसल है?

चौधरी भजन लालः आज गेहूं भी छोटी नहीं है, सरसों भी छोटी नहीं है, चना भी छोटा नही है। जैसे अगर छोटा ओला पड़ा है तो उससे नुकसान की बात नही हो सकती बल्कि उससे फसल को पानी मिल जाएगा।

श्री धीर पाल सिंहः ओले का पानी भी जाए तो पानी भी जहरीला हो जाए। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये कभी विदेश जाए। गेहूं के०पर बर्फ जमी हुई मैंने देखी है।

प्रो० सम्पत सिंहः ओले में और बर्फ में बहुत फर्क होता है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः आपकी ठीक बात है। बर्फ आहिस्ता से पड़ती है। ओला कनक की बलि।. को लग जाए तो खराब हो जाएगी। सरसो को लग जाएगा तो वह खराब हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंहः मैं मानता हू कि आप बाहर गए थे और बर्फ देखकर आए है। बर्फ का जो एक समान पिघलना णै, उसका वातावरण के ट्रैम्प्रेचर के हिसाब से ऐसा असर हो जाता है कि प्लांट अपने आपको उस हिसाब से ढाल लेता है। अपने यहां हिन्दुस्तान में जहां बर्फ गिरती है, उससे नुकसान होना ही होना

है। गेहूं पर ओला गिरने से कटाई वारने ने रेट बढ़ा दिया। तीन मन की जगह 4 मन तौ वैसे ही कर दिया।

चौधरी भजन लालः ठंडी हवा से पाला मार जाए तो नुक्सान होता है। नैचुरल कैलेमिटी जैसे बाढ़ आ जाए तो उससे नुक्सान होता है।, उसमें भी सरकार मदद करती है। एक नार्म बना हुआ है। उस नार्म के मुताबक किसानों को मुआवजा देंगे। यह तो हो नहीं सकता कि सैन्ट–पर–सैन्ट फसल खराब हो गई हो, यह मानने वाली बात नही हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मै खुद कुछ गांव मे होकर आई हूं, जिसका मैंने पहले नाम भी लिया है। एक गांव डिगावा शमशान है। वहा के किसानों ने पंचायत की जमीन नीलामी में ले रखी है और उस जमीन में बहुत अच्छी सरसों हुई थी। परन्तु ओलावृष्टि के प्रकोप के कारण सारी की सारी फसल बिछ गई। हुआ क्या? जब उस क्षेत्र की गिरदावरी के लिये कर्मचारी गये, तो वह खड़ी है और हरी–भरी है लेकिन उसकी फली जौ है, वह सफेद हो गई है। सभी जगहों पर गांवों में किसानों की फसलों का बुरा हाल है। नुक्सान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन गिरदावरी जो हुई है, वह ठीक नहीं हुई। हमें कई जगहों से किसानों की शिकायते भी मिली हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि जिन जगहों पर गिरदावरी की शिकायतें जिप्सी हैं, वहां पर अगर दोबारा गिरदावरी करवा दी जाए तो किसानो। को काफी राहत मिलेगी।

किसानों को नुक्सान के अनुसार मुआवजा मिलेगा। क्या सरकार ऐसा करेगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने अभी गिरदावरी दोबारा करवाने की बात कही है। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि जहां कहीं भी गिरदावरी के बारे मैम्बर साहेबान को कोई शिकायत है, वे हमें लिख दें या डी०सी० साहब को इस बारे में लिख कर भेजे तो वे मौके पर जाकर दोबारा नुक्सान का जायजा लेंगे और उसी के अनुसार ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण जो नुक्सान हुआ है, ख्य वारे में मुख्य मन्त्री महोदय ने मुआवजा देने के लिये तीन स्लैब्ज बताए है। एक 75 परसैंट से०पर का नुक्सान, दूसरा 50 परसैन्ट से 75 पर–सैन्ट व तीसरा स्लैब 26 परसैन्ट से लेकर 50 परसैन्ट तक। तो मैं उन से यह अनुरोध करूंगा कि इस समय जहा–जहां ओलावृष्टि हुई है, वहां वहां किसानों का बुरा हाल है और इस हालत में किसानों जितनी की मदद की जाए, वह थोडी है। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि तीन स्लैब्ज की बजाये चार स्लैब्ज बनाये जाने चाहिये जिसमें 25 परसैन्ट से नीचे होने वाले नुक्सान को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि थोड़े नुक्सान होने पर भी किसानों को उसी के अनुसार राहत मिल सके।

श्री अध्यक्षः यह बात बेरी साहब आपको अब सूझी या कि पहले भी इसका ध्यान था?

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः नहीं, स्पीकर साहब, इस का मुझे पहले भी ध्यान था। दूसरी बात मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय देश के अन्दर प्राइसिज काफी बढ़ चुकी हैं। उसी प्राईस इंडैक्स के हिसाब से ही क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? जो मुआवजे में बढ़ोतरी का संशोधन अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने किया है, क्या उसमे कोई और अमैन्डमैंट सरकार करने का विचार रखती है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग पता नहीं किस मुंह से किसानों के हमदर्द बनते हैं? अब तक पहले इन लोगो मे से किसी एक ने भी ऐसा प्रस्ताव नही रखा था कि मुआवजा बढ़ाया जाए। अब जबकि हमने खुद मुआवजा की रकम बढ़ा दी एं तो इनको याद आया (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, हमें सारा ध्यान था.। मैं बताऊंगा कि इस के क्या कर्म होने चाहिये। कितना मुआवजा देना चाहिये। (शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वेरी साहब स्लैब्ज तीन की बजाये चार स्लैब्ज करने की बात कह रहे हैं। तीन ही उचित रहेगे क्योकि फिर तो 10 परसैन्ट 15 परसैन्ट वाला और

फिर सैन्ट–परसैन्ट वा ला भी बीच में आ जाएगा जो कि वाजिब नही है।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, करनाल जिला में, मेरे हल्के असन्ध में 14 फरवरी को नौ–दस गांवो का ओलावृष्टि से बुरी तरह से नुक्सान हुआ है और किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इन गांव के नाम हैं दुपेडी, फफडाना, सालवान, कबूलपुर खेड़ा, फैजपुर खेड़ा, कुरलियान थ्री व जबाला वगैरह। आज तक इन नांवों की कोई गिरदावरी नही हुई है। वहां के किसान खुद कट्टे भर–भर कर के डी०सी० साहब के पास गये थे कि जना ब हमारे गांवों में ओलावृष्टि के कारण बहुत नुक्सान हुआ है, लेकिन वहां पर अभी तक गिरदावरी नही हुई है। सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन गांवो के अन्दर फसल के साथ –साथ पशुओं के खाने वाला चारा भी बिल्कुल बर्बाद हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कब तक गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा? जो अब तक गिरदावरी नही हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, करनाल में चार हजार एकड़ खड़ी फसल में नुक्सान हुआ है। उसकी गिरदावरी हो चुकी है। अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। डी० सी० ने यह टैलीफोन पर बताया है। रिपोर्ट आने पर जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सदन में ओलावृष्टि पर चर्चा हो रही है। सारे हरियाणा प्रदेश के लिये इसमें चर्चा की गई थी कि सारे प्रदेश में इससे नुक्सान हुआ है। मुझे अफसोस यह है कि अगर कुछ लेना हो फरीदाबाद याद आ जाता है और अगर कुछ देना हो तो याद नहीं आ ता। फरीदाबाद में भी कई जगहो पर ओला– वृष्टि हुई है लेकिन इन्होंने फरीदाबाद का नाम नही लिया। .....

श्री अध्यक्षः यह बात रिकार्ड पर न लाई जाए। दलाल साहब, आप सवाल पूछे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद के किसानों का जो ओलावृष्टि से नुक्सान हुआ है, क्या मुख्य मती जी जब तक एक महीने के अन्दर उस नुक्सान की रिपोर्ट नही आती, तब तक वहां के किसानों के बिजली के बिलों की पेमैंट रोकने का आदेश देंगे? बिजली महकमे के लोग तब तक उन लोगों को बिल भरने के लिये मजबूर न करें जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता।

चौधरी भजन लालः यह नहीं हो सकता है। बिजली के बिल तो पहले के हैं वे तो भरने ही पड़ेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, हमारे फरीदाबाद जिले के किसानों के खेतों में पानी नही लगता है। वहां पर नहर के पानी की व्यवस्था नही है और न ही बिजली की व्यवस्था है जिस वजह

से किसान ट्यूबवैल भी नही चला सकते। जो उन्होंने मेहनत करके कमाई की थी, वह भगवान ने छीन ली। इसलिये जब तक इनकी रिपोर्ट तैयार नहीं होती, तब तक उनके बिजली के बिलों को भरने पर रोक लगा दे।

चौधरी भजन लालः ऐसा नही हो सकता। रिपोर्ट हमारे पास जल्द आ जाएगी और किसानों को तीस दिन के अन्दर मुआवजा दे देंगे।

श्री सतबीर सिंह कायदानः स्पीकर साहब, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान चौधरी देवी लाल जी द्वारॉ चलाई गई नीति को तरफ दिलाना चाहता हूं। चौधरी साहब ने जब इस नीति को लागू किया था उस समय तीन सौ रुपए प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। उस समय गेहूं का भाव 75/– रुपए क्विंटल था और तीन सौ रुपए मे चार क्विटल गेहू आ जाता था। आज गेहूं का भाव चार सौ रुपये क्विंटल है। क्या सरकार इतना मुआवजा बढ़ाएगी जिससे आज भी चार क्विंटल गेंहूं मिल सके?

श्री अध्यक्षः आपका राज तो बीच में भी आया था, उस समय आपने क्या किया? (हंसी)

श्री सतवीर सिह कादयानः स्पीकर साहब, उस समय चार क्विंटल अनाज मिलता था, लेकिन आज एक क्विंटल मिलता है। क्या इसे चार क्विंटल के बराबर करने की सोचेगे?

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि प्रो० छतरपाल सिंह को सदन से निष्कासित किए हुए आज तीन दिन हो गए हैं। आज आप उनको यहां हाउस में आने की इजाजत दे दें। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि डिबेट को चलते हुए चार दिन हो गए हैं। मुझे गवर्नर एड्रैस का जवाब देना है और जवाब देने के लिये मुझे कम से कम दो घटे का समय चाहिये ताकि इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं उनका मैं तफसील से जवाब दे सकू। आप मेहरबानी करके मुझे 12.00 बजे बोलने के लिये इजाजत दें क्योंकि 1.30 बजे तो सैशन खत्म हो जाना है। मुझे बोलने के लिये कम से कम आप 1½ घंटे का टाईम तो जरूर दें।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैन्शन मोशन दिया था कि कुरुक्षेत्र में शराब के ठेके की नीलामी के खिलाफ पीसफुल डिमौनस्ट्रेटर अपनी रिप्रैजेन्टेशन देकर वापिस आ रहे थे। उस समय उन पर लाठी चार्ज किया गया। वह आपने डिसअलाऊ कर दिया शै। आपने लिखा है कि सिर्फ उनको रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, उनको रोका ही नहीं गया था। उन पर बड़ा भारी लाठी चार्ज भी किया गया था। उन लोगों के पीछे घोड़े दौड़ाए गए। वहां पर एक बूढ़ा

आदमी जो कुरुक्षेत्र का है, जिसको शायद आप जानते भी होंगे, उसके पीछे घोड़ा दौडने मे वहू गिर गया, और उसकी अहे की हड्डी टूट गई।

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठें। वह मोशन डिस–अलाऊ हो चुका है। अब प्रो० राम बिलास शर्मा गवर्नर एंड्रैस पर बोलेंगे। (व्यवधान व शोर) चौधरी साहब, आप बैठिए।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे कालिंग अटैन्शन मोशन के बारे मैं सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, वह सत्य नहीं है। वह बूढा आदमी जेल के अन्दर एक कम्बल ओढ़े पड़ा था। जेल में कम्बल ऐसे हैं, जिसके अन्दर से आदमी का शरीर दिखाई देता है। सर्दी के मारे जेल में जो आदमी हैं, उनकी बुरी हालत है। मेरी आपने प्रार्थना है कि आप मेरे कालिंग अटैन्शन मोशन को री–कसिडर करें और उसको एडमिट करें ताकि गवर्नमैंट उसका जवाब दे सके। वहां पर महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया गया है और उनके साथ अत्याचार हुआ है।

श्री अध्यक्षः वह डिस–अलाऊ हो चुका है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, प्रो० छतर पाल सिंह को तीन दिन तक की सजा मिल गई हए इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसको हाउस में आने की इजाजत दे दे।

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री रमेश कुमारः स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था। हरिजनों के लिये मरने जीने का सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्षः आप उस बारे में कल पूछ लेना।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, कल की तो छुट्टी है। (शोर)

श्री अध्यक्षः जब नैक्सट सीटिंग होगी, उस समय पूछ लेना। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो काल अटैन्शन मोशन दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हे। (शोर)

श्री रमेश कुमारः स्पीकर साहब, हरिजनों की जमीन हथियाने का मामला है, जो कि उनके लिये मरने जीने का सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्षः आप नैक्सट सिटिंग में इस बारे में पूछ लेना। (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी बसी लाल जी का काल अटैन्शन मोशन डिस अलाऊ हो गया फिर भी आपने उनको उसके बारे में बोलने की इजाजत दे दी। ये न० मैम्बर हैं। इसलिये आप इनको भी टाईम दे दें।

श्री अध्यक्षः वह अंडर कंसिड्रेशन है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, यह मामला हरिजनों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्षः इनकी तरफ से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 8 बज कर 20 मिनट पर दिया गया आ और इसका मैंने जवाब भी दिया था कि यह गवर्नमैंट के अंडर कंसीड्रेशन **श्री रमेश कुमारः** यह गवर्नमैंट हरिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिवानी मंडी गांव ..... (व्यवधान) .....

श्री अध्यक्षः मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ भी बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाये। जो इनका यह काल अटैन्शन था वह डिस अलाऊ हो गया है। अब आप सभी बैठिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः आन ए प्वायंट आफ आडर सर, (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You are not allowed to speak. please take your seat.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have not allowed you to speak. This may not be recorded. (व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब सारे हरियाणा के लोग मेरे अपने आदमी है। भजन लान का कोई रिश्तेदार गलत काम नही करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सदस्य ने मुद्दा उठाया है, उस पर आप ध्यान दे।

Mr. Speaker : The way he has spoken shows that he is not serious about the matter. Had he acted according to the procedure we would have sent his calling attention motion the Government for comments.

12.00 बजे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आ पले मेरी सबमिशन है कि सदन के सम्मानित सदस्य बड़े ही सीरियस हो कर बोल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया। आप के माध्यम से वे अपनी बात कहने की कोशिश कैर रहे हैं। एक गम्भीर मुद्दे पर हाउस का ध्यान उन्हेने दिलाया है। उन्होंने हाउस में जो वात कही है हा उस के सभी सम्मानित सदस्यों ने उसको सुना है। मुख्य मंत्री जी की इस मामले मे खुद की इन्वाल्वमैंट है। इनके रिश्तेदार का नाम लिया गया है। मुख्य मन्त्री जी को इस बारे में देखना चाहिये। हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। लीडर आफ दि हाउस के रिश्तेदार ने यहं कार्य किया जो कि बडी शेमफुल बात है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सिवानी में मेरा के रिश्तेदार गलत काम नही करता है (विघ्न)

श्री रमेश कुमारः मेरे पास लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कोई भी गलत काम करने वा ला आदमी भजन लाल का आदमी नही हो सकता। अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। किसी को बख्शने का कोई सवाल नही है। (विघ्न)

लोक निर्माण मन्त्री (भवन तथा सड़कें) (चौधरी अमर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मै प्वायंट आफ आर्डर पर खडा हुआ हूं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ये बिलकुल निराधार बात कह रहे है। कहीं कोई बुल्डोजर नहीं चना। सिवानी मेरी कांस्टीच्यूऐसी का हिस्सा है। श्री रमेश कुमार हमारे एक आनरेबल मैम्बर हैं। इनको एक्सप्लायट किया जा रहा है। सिवानी के हरिजनों के बारे में जो ये बोल रहे हैं, ये सब चौटाला साहब के पढाए हुए है। चौटाला साहब को कहने के लिए और तो कोई बात मिलती नहीं है बे–सिर पैर की बातों को चौधरी भजन लाल जी के साथ जोड़ देते हैं। मेरे पास भी सिवाना सै आदमी आए थे। ऐसी कोई बात नहीं हुई 11000 गज जमीन के कलेम की बात थी और एस०डी०एम० ने आकर उसको रोक दिया था। बुल्डोजर चलाने का

कोई जिक्र हीं नही जबकि ये चौधरी भजन लाल का नाम ले रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां पर कोई बुल्डोजर नहीं चला। ओम प्रकाश चौटाला जी कोई भी बात हो इधर–उधर से उठा कर उसको चोधरी भजन लाल जी के साथ जोड़ देते हैं (विघ्न) कल भी यहां हाउस में कुछ कारतूसों के खोल रुमाल में बांध कर ले आए। अध्यक्ष महोदय, इन्होने इनकी .. ..जैसी हालत बना रखी है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (विघ्न)

चौधरी अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्वायंट आफ आर्डर पर खडे हुआ हूं। चौटाला साहब, 3 बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं। एक बार 3 दिन के लिये और एक बार 13 दिन के लिये ये भूतपूर्व मुख्य मंत्री है, लेकिन इनको इस बात की भी जानकारी नही है कि प्वायंट आफ आर्डर पर प्वायंट आफ आर्डर नही हो सकता। चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते हुए अपने मोशन के बारे में कुछ कहा था, (विघ्न) सिवानी मेरा हल्का है। कमेटी के मैम्बर्ज की बात भी आई। उन्होंने कहा मैम्बर्ज को हिसार ले गए और वहां दस्तखत करवाए। सिवानी के 13 मैम्बर्ज हैं। उनमें से 8 मैम्बर्ज हरियाणा विकास पार्टी के थे। 2 बड़े नेता जो हाउस के मेम्बर्ज नही हैं, वे कुछ लोगों को जबरदस्ती उठा कर ले गए जबकि वहां पर यूनानिमस इलैक्शन हुआ और कांग्रेस की जीत हुई जिसमें अध्यक्ष महोदय, सिवानी में कोई भी वारदात नही हुई है।

कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही वहां पर कोई बुलडोजर चला है। पांच आदमी रात को मेरे पास भी आए थे जिन्होने ऐसा नही कहा। हाथों और पैरों के अंगूठे लगाकर रमेश कुमार को इस्तेमाल किया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। मेरी अर्ज यह है कि सम्मानित मंत्री जी ने असल बात नही करी और इधर–उधर की बात पर चलेगा। दूसरे अध्यक्ष महोदय, क्या किसी सदस्य को ..... कहा जा सकता है। वह सदस्य एक सम्मानित सदस्य है और वह हाउस से बाहर जाएगा तो क्या लोग उसे कहेंगे कि वह ..... बन गया है। आज ये मंत्री बन गार हैं, हरिजन नही हैं, इसलिये ये अब उनकी बात नहीं करते है।

श्री अध्यक्ष: ये शब्द एक्सपंज कर दिए जाए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यह बताए कि क्या हाउस की कार्यवाही आगे चलाई जाए? आप सब बैठ जाए। आप सब को बोलने का टाईम दिया जायेगा और उन बातों का जवाब भी दिया जाएगा। क्या इस तरह से इन्ट्रप्शन ही करते रहेगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल लिहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। मंत्री जी ने जिन बातो की चर्चा की है, उससे इन्होने मंत्री पद की गरिमा को भंग किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक साथी रमेश जी ने हरिजनों पर अत्याचार की जो बात कही थी उस पर चर्चा करनी चाहिये थी लेकिन मत्री जी ने कह दिया कि चौटाला साहब ने रमेश को इस्तेमाल किया है। यह बात आज के रिकार्ड में हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि हाउस की एक कमेटी बना ई जाए और पता किया जाए कि रमेश कुमार के पास हरिजन आए थे या नही। अध्यक्ष महोदय, वे रो रहे थे कि उनको तंग. किग्रा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय हमारे सदस्य के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरे इन्होने .... वाली बात भी कह दी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि मंत्री जी इस बात का खेद प्रकट करें।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह): स्पीकर साहब, मैरा भी प्वायट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्षः ऐसा है, आप बीच मे डिस्टर्ब न करे। यह सारी कार्यवाही ही प्यायंट आफ आर्डर पर हो रही है। (शोर) यादव जी आप बैठिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जब तक मंत्री जी की तरफ से उस सम्मानित सदस्य के लिये कहे गये शब्दों ..... के लिये

माफी नही मांगी जाएगी, तब तक हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है। अध्यक्ष महोदय, यह शब्द पहले कार्यवाही में आया है और खुद आपने इसको ऐक्सपंज कराया है। (विघ्न)

चौधरी अमर सिंहः स्पीकर सर, मैंने रामकुमार कटबाल का नाम नही लिया। मैंने उनको बिल्कुल भी ऐसा नही कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिग चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर सर, पहले मती जी को इस बात के लिये हाउस से माफी मांगनी चाहिये। (शोर एव व्यवधान)

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रुलिंग चाहता हूं कि जब एक माननीय सदस्य चौटाला जी ने अपनी सारी शराफत की सीमा लाघकर एक मंत्री को 'बेईमान' कहा था और वे लफ्ज विदड्रा भी हो गए थे। स्पीकर सर, एक दुकानदार को दुकानदार ही कहा जाता है, घडियो की स्मगलिग करने वालो को स्मगलर ही कहा जाता है। इनको ईमानदारी का लबादा ओड़कर प्रोसीडिग रोकने का कोई अधिकार नट्टी दिया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो इससे गलत परम्परा क्रिएट होगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा तो यह है कि आज जो मैंने सदन में अपना जवाब देना पै, इनमे उसको मूनने की शक्ति रही है। ये यहां से आज राक आउट करना चाहते है लेकिन हम इनको यहां मे भागने नहीं देंगे। अगर कटवाल साहब को यह बात कहने से तकलीफ हुई है तो हमें इस बात के लिये खेद है। अब आप आगे हाउस को चला है।

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। कल इस हाउस में छतर पाल सिह के निलम्बन को रह करने के बारे में बात आयी थी (शोर)

श्री अध्यक्षः ऐसा है कि इस बारे मे कल काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये इसमें अब बोलने की कोई बात नहीं है। अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, ...

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। .....

श्री अध्यक्षः जो ये बोल रहे है, उसको रिकार्ड न किया जाए क्योंकि ये बिना इजाजत से बोल रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ इसके विरोध में ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

श्री ओम प्रकाश बेरी: मैं भी वाक आउट करता हूं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन मे उपस्थित सभी सदस्य तथा असम्बद्ध सदस्य श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब प्रो० राम बिलास शर्मा गवर्नर ऐड्रैस पर बोलेंगे। केवल 1० मिनट।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 20 मिनट से अपने पांवों पर खडा हुआ हूं। अभी तो मेरा तवा चढ़ा नही, गर्म नहीं हुआ और आप 10 मिनट का समय देने के लिये कह रहे है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज तो मेरे लिये कम से कम आधे घण्टे का समय रखें।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण यहां पढ़ा और इस देश के महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के

बारे में उन्होंने सबसे पहले चर्चा की। वैसे तो, स्पीकर सर, कांग्रेस सरकार की यह परम्परा रही है कि जो भी पाप करते हैं, महात्मा गांधी के नाम से करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार कौंग्रेस सरकार चिला रही है जो अपना आशीर्वाद देकर उस महापुरुष के बारे में गालियां देते हैं। उस सरकार के नेता उस महापुरुष को गालिया देने है। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। यु० पी० में कांग्रेस के वरदहस्त से सरकार चल रही है। बहिन मायावती तथा कांशीराम ने महात्मा गांधी को क्या नही कह दिया? यह बात इस सदन से छिपी हुई नही है। महात्मा गांधी जी की 125 वीं जयन्ती मनाई जा रहा है। उनके साथ विनोबा भावे जी की भी चर्चा की। स्पीकर सर, आपात स्थिति में हम लोग तो जेलों में थे। एमरजैसी के बारे मे श्रीमती इंदिरा जी ने भी माफी मांगी था और उसके बाद अब तो लोग एमरजैसी को अच्छा बताने लगे। अम्बाला की सैडल जेल की उन कोठरियों में हमने जो दिन बिताए, उस बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी चश्मदीद गवाह हैं।

(इस समय भी उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उन दिनो हम रेडियो पर रत्नाकर भारती को सुना करते थे। विनोबा जी से जेल में इंदिरा जी मिलने गई। विनोबा जी ने मुंह पर पट्टी बांध ली औंर बात नही की। पट्टी बांधने से उस महापुरूष का यह संकेत था कि आजाद मुल्क में बोलने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिये। उपा ध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज हरियाणा में नई राजनैतिक संस्कृति पनप गई है कि अपराध

करो और उस पर पर्दा डाल दो। हरियाणा में सी०बी०आई० इतनी पापुलर हो गई है कि कही चुनाव लड़ा दो, तो चुनाव जीत जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बात का विरोधी नही हूं कि सरकार ने एक हरिजन के बेटे को डी०जी०पी० क्यों बना दिया। इस बात को मैं अच्छा मानता हूं और सरकार का प्रशंसा भी करता हूं। हमें खुशी है कि हरिजनों को भी इस तरह के अवसर मिलने चाहिये लेकिन ला एण्ड आर्डर के मामले अकेले डी० जी०पी० की जिम्मेवारी नहीं बनती। उसमें हर प्रकार से सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह ला एण्ड आर्डर का ध्यान रखे।

डिप्टी स्पीकर साहब, 1991 में कुरुक्षेत्र के अन्दर भूतमाजरा गांव में क्या हुआ? दो ब्राह्मणो की लड़कियां कुसुम व बिमला, एक 19 साल की और दूसरी 21 साल की, का अपहरण हुआ। इस सम्बन्ध में आन्दोलन चला और इसके लिये, हमारे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, स्वतन्त्रता सेनानी, आज वह शख्सीयत इस संसार में नही है, को इसी बात के विरोध मे दिल्ली वोट कलब पर आन्दोलन करना पड़ा लेकिन आज तक सिवाए बिमला की एक चप्पल के और उसकी मरी हुई लाश के और कोई सुराग नही मिला और दूसरी लड़की आज तक मिली ही नही। कितनी लज्जा की बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम चौधरी भजन लाल जी के दुश्मन नहीं है। वे एक सरकार की भूमिका निभा रहे है। वे सरकार चला रहे हैं। 1991 में हरियाणा के अन्दर जो सरकार बनी, वह कोई पार्टी की सरकार नहीं थी। वह एक काली

रात हरियाणा में गुजरी और उसके बाद चौधरी भजन लाल के०पर हमने विश्वास किया कि वे भले आदमी हैं। जो कहते हैं, करते हैं। ज्यादती नही करते। इस तरह की उनकी एक छवि थी। इसलिये उनके नेतृत्व मे हरियाणा की डेढ़ करोड़ जनता ने उनको सरकार दी। उनकी सरकार ने 12 जुलाई 1991 को सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उस अभिभाषण की प्रति मेरे पास है। वे कहते हैं कि अगर बहू– बेटी रात के 12 बजे घर से बाहर जाएगी, तो कोई बदमाश उसकी तरफ आख उठाकर नहीं देख सकता। सेर सोना डालकर अगर कोई घर से निकलेगी, तो वह बहु बेटी घर में सुरक्षित पहुंच जाएगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, बिमला व कुसुम भूतमाजरा के श्रीं कृष्ण लाल की बेटिया नहीं थीं। एक बेटी जो होती है, वह पूरे समाज को बेटी होती है। बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, जाट की हो, सुनार की हो, धानक की हो, या चमार की हो। बेटियां सभी की बराबर होती हैं।

इसी तरह से सुशीला नाम की हिसार की एक अध्यापिका थी। बहुत अच्छी अध्यापिका थी। कई बार उसको सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया और यह मामला दो सालो से यू ही चल रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि उसकी हत्या करने धाले अपराधी का पता तक हो लग रहा? अपराध एक निश्चित घेरे में आकर समाप्त हो जाता है। अपराधी का, अपरा धो का पता तो लग सकता है लेकिन एक नई संस्कृति आज हरियाणा

में चली है कि अपराध कर लो और पर्दा डाल दो और पर्दे के अन्दर समझौता कर लो। इसी तरह से रणधीर सिंह सुहाग नामक लैक्चरर का कुछ पता नही चला। होता क्या है कि सभी लाशें नहरों में मिलती हैं। इसो तरह से अशोक नाम के लड़का, जोकि धधवा गांव का था, के साथ भी आज से डेढ साल पहले यही हुआ। उसके परिवार के लोग रो–रो कर बेहाल हो गये। उन्होने खुद कहा कि जिस जीप में वे लोग आये थे, वह जीप किसी के चुनाव में चली है। यह जीप उत्तर– प्रदेश के मुजफफर नगर की है लेकिन पुलिस की वर्दी में अफसर क्या कहते हैं कि जिस गिरोह में यह लड़का है, उस गिरोह के हाथ लम्बे हैं। हम इसको बरामद नही कर सकते। भजन लाल जी यह एक उदाहरण है। इसको आलोचना न समझें। आप कृपया इस पर पुनर्विचार करें।

मैं यह कहुंगा कि सुशीला कांड जो है, उस बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगो के०पर बराबर यह इम्प्रैशन बैठाया जा रहा है कि सी०बी आ ई० द्वारा खुलकर इस बात का पर्दा फाल क्यों नहीं करवाया जा रहा? यह इनके अपने हल्के का मामला है।

इसी तरह से नारनौल में 10 तारीख को पुलिस की गोली से दो नौजवान मरे–। सुरेन्द्र यादव, जोकि 22 साल का था। राज कुमार शर्मा 24 साल का था। सुरेन्द्र मडलाना गांव से अपनी बहन का छूछक लेकर जा रहा था। सराये सुरानी में उसकी छाती में गोलियां लगी और उसकी बहन की चूड़ियां बिखर कर च्र–चूर हो गई। इस लिये' मेरी रिकवैस्ट है कि चौधरी भजन लाल

जी सुशीला कांड की भी सी० बी० आई० से जांच करवाएं और इसका भण्डा फोड़ करें। उनके अपने जिले की यह घटना है।

इसी तरह से नारनौद के अन्दर क्या हुआ? किसान आन्दोलित हो गये। पुलिस की गोली चले औंर छत पर खडा लड़का गोली लगने से मरकर नी चे गिर जाए और फिर ये कहते हैं कि छत से गिर कर मरा है। कमी कह दिया कि पानी से उसकी लाश मिली है और जब ये मुद्दे हम यहां पर उठाएं तो हमको दबाया जाता है। चार साल पुरानी यह सरकार हो गई। जब दिल्ली की सरकार तीन साल पुरानी हुई थी तो वहा पर मिठाइयां बाटे। गई थों। लोगों ने कहा था कि जोओ मेरे लाल। क्योंकि नरसिम्हा राव के बारे मे किसी ने सोचा नहीं था कि वे तीन साल निकाल जाएंगे। .....

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान मन्त्री के बारे में ये ऐसी बात कहें यह मुनासिब नही है। यह भाषा राम बिलास शर्मा की नहीं हो सकती। अगर इधर वाले कहते, दू सरी बात थी। इसलिये आप इन शब्दों को कार्य– वाही से निकलवाए।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, ये शब्द रिकार्ड पर न लाए जाएं।

प्रो० राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, संगत का असर तो पड़ता ही है। (हंसी) तो यह चार साल पुरानी सरकार

हो गई। आप कोई असैम्बली का सवाल उठा कर देख लें। कोई गवर्नर एड्रैस या बजट स्पीच उठा कर देख लें, इस आगस्ट हाउस का 80 परसैन्ट टाईम छीटा कसी पर खर्च हुआ है। यहां कहा गया कि पिछली सरकार ने यह कहा कि हमने यह किया। उन्होंने जो किया, उसकी उन्होंने सजा पा ली। वे आज बेचारे मारे–मारे फिर रहे हैं। क्या आप भी वैसा ही करना चाहते हैं? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार हर सवाल के जवाब में और एड्रैस मे यह कहती है कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था। कल एक सवाल था और मन्त्रीगण को शायद यह ट्रेनिंग दी हुई है कि तैयारी मत करो। वह कितना (बढ़िया सवाल था। उसका नं० 1037 था। हमने पूछा था कि इसमें 11 परसैन्ट किंसलटैसी फीस ली गई। आपके पास पी०डब्ल्यू०डी० में इतने इंजीनियर्ज हैं, उनके होते हुए आपने 11 परसैन्ट फीस दे दी। योजना 1190.16 लाख रुपए की थी और आपने 1330.22 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिए। सरकार के ऐसे फैसले जनता को प्रभावित करते हैं। इस तरह से यहां पर चार साल से ड्रामा चल रहा है। कल जो प्रधान थे, आज वे नही रहे। इनका मन्त्रिमंडल भी इतना बड़ा है कि सारे देख में एक मिसाल है। उन्होंने कोई एम० एल०ए० नही छोडा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास हरियाणा के बहुत पुराने और सम्मानित अखबार 'दैनिक ट्रिब्युन' की एक प्रति है। हमारे यहां अपराधों पर पर्दा डालने की जो संस्कृति है, जनता के मानस पर लगातार चोट पहचाने की जो संस्कृति है, उसके बारे मे सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। यह 24 फरवरी, 1990 का अखबार है। इसके

सम्पादकीय का हैडिंग है ''सुप्रीम कोर्ट की लताड़''। मैं इसको विस्तार से नही पढूंगा। सम्पादक ने कहा है कि हमारे सुप्रीम कौर्ट ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा कि ''सबसे चिन्ताजनक बात उसके दारा न्यायपालिका को भी गच्चा देने की है ''। अगर ऐसा है तब तो पुलिस पर से रहा सहा विश्वास भी उठ जाएगा, उसकी छवि में सुधार की बा तें खोखली रह जाएंगी। यह सम्पादक महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिखा है कि इस पर चिन्ता होनी चाहिए। इस पर छीटा कसी से काम नहीं चलेगा। इसमें, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बेच नहीं सकती कानून व्यवस्था के बारे में भी बहुत चिन्ता की स्थिति है। आज कुछ लोग सरकार में रहते हुए उसकी। प्रशंसा करते हैं, लेकिन सरकारें तो बदलती रहती हैं। अब जो लोग ऐसी, बातें करते हैं, वे समय फर काम नहीं आते। सब लोग आपके पास दरंख्वास्त लेकर नहीं आ सकते। सब लोग आपके दरवाजे पर आ करके एड़िया नहीं रगड सकते। कृष्ण लाल पंडित, जिसको अपनी दो लड़कियों के बारे में आज तक न्याय नही मिला है, इसके कारण जनता जनार्दन में पुलिस के प्रति एक अविश्वास फैला है। उससे जनता में एक दहशत का वातावरण बना है। इसी तरह सें रणबीर सिंह सुहाग की हत्या की गई, जिसके कारण रोहतक विश्वविद्यालय में अविश्वास पनप रहा है। आक्रोश पनप रहो हए। इस पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। इस पर सरकार को अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि सरकार से पीने के पानी के बारे में

कोई सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि फण्डज की उपलब्धि पर इस पर विचार होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अस्पतालों की बहुत कुरी हालत है। आज से लगभग 11 दिन पहले की बात है। हमारी सडक पर एक संजय यादव नाम का नौजवान पड़ा कराह रहा था। उसको वहां से उठा कर अस्पताल में ले जाने के लिए. किसी ने गाडी नही रोकी। मैं उसको वहां से उठा कर नारनौल के अस्पताल में ले कर क्या। उस समय रात के लगभग 8.00 बजे थे। हमने सब डाक्टर इक्ट्ठे किए। उस नौजवान का सिर फटा पड़ा था और दिमाग बाहर निकला हुआ था। डाक्टर कहते हैं कि यह बच नही सकता। मैंने कहा, बच नहीं सकता, यह अधिकार तो मालिक के हाथ में हैं परन्तु आप इसको आप्रेशन थिएटर में ले जा कर इमकी स्टीचिंग तो करें। मेरे कहने के बाद डाक्टर उसको आप्रेशन थिएटर में ले गए। लेकिन आप्रेशन थिएटर में लाईट नहीं थी, टयूब नही थी। उस समय किसी चौकीदार से बैटरी ले करके उस 22 वर्ष के नौजवान को जैसे एक पशु को आड़ा गेर करके टका लगाया जाता है उसी तरह से उसकी स्टीचिंग की गई। फिर वह कहां बचना था? हमारे मंत्री मण्डल के बहुत से साथी रोहतक मैडीकल कालेज में विश्राम करने के लिए जाते हैं। रोहतक मैडीकल कालेज की तीन वार्ड मजिंल की इमारत पर पूरा एक करोड़ रुपया लगा दिया होगा। शायद उस बिल्डिग का उद्घाटन करने से पहले उसमें करैक्स आ गए। उस बारे मे सवाल पूछा

गया तो दाएं–बाएं की बात करके कहते है कि तुम्हारे समय में यह काम हुआ था, पिछली सरकार ने किया था। डिप्टी स्पीकर साहब जो करता है, उसी को भूगतना पड़ता है। यह जनता जनार्दन सब को देखती है। इस जनता जनार्दन के०पर भी एक आख है, जो सब को देख रही है। डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आमके पास जितने साधन हैं उनमे मे अस्पतालो के एमरजैंसी वाईज जो कैजुअलिटी को डील करते हैं उन के लिए दवाईयां जरूर भिजवाए। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों महेन्द्रगढ और गुडगांव के बीच में तीन मम्मीने पहले चार एक्सीडैंट्स हुए थे। उनमे 28 जानें गई थीं। रिवाड़ी अस्पताल में एमरजैसी नहीं है। वहां पर डाक्टर्ज नहीं है। दूसरे साधन नहीं हैं। गुड़गांव के अस्पताल में कोई साधन नहीं हैं। आगे जाते–जाते लोग दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली के नर्सिग होम ऐसे हैं जैसे लोगों ने फाईव स्टार होटल खोल रखे हैं। गरीब आदमी उनकी तरफ मुह झांक कर नहीं देख सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरका री अस्पतालों में एमरजैंसी केसिज को तो जरुर इन्टरटेन किया जाए लेकिन ऐसा नही किया जाता है। मैं यह बात कह कर बहन करतारी देवी पर कोई इल्जाम नही लगा जा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे स्वयं जा करके देखे कि अस्पतालों में वार्डज की क्या हालत है? एमरजैसी की क्या हालत है? आप्रेशन थिएटर्ज की क्या हालत है और इक्विपमेंटस की क्या हालत है? अस्पताल में एक्स–रे की मशीन है, लेकिन आप्रेटर नही है अगर आप्रेटर है तो वह दारू पी कर पड़ा

हुआ है। आप अस्पतालों से यह रिकार्ड मंगवा कर देख लें कि पिछले दिनों में कितने इक्विपमैंट्स को यूटिलाईज किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एस०वाई०एल० के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी ने 12 जूलाई, 1991 के भाषण में कहा था कि हम 6 महीने के अन्दर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, सारे विपक्ष के लीडर्ज ने, हमने, प्रो० सम्पत सिंह ने, चौधरी बंसी लाल ने, यह कहा कि एस०वाई०एल० के बारे में एक प्रस्ताव पास करते हैं लेकिन इन्होंने उस बात को नही माना। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार के बनने के बाद एस०वाई०एल० नहर का कोई भी काम नहीं हुआ। बात एक कदम भी आगे नहीं चली। एक तरफ तो हमारे वह जिले हैं, जहां पर जल स्तर बहुत नी चे जा रहा है। आज सिंचाई मन्त्री चौधरी जगदीश नेहरा ने यह माना है कि जल स्तर 40 फुट तक नीचे चला गया है। लेकिन मैं जिस इलाके से चुन कर आता हू, उस इलाके का जल स्तर 400, 450 और 500 फुट तक नीचे चला गया है। लगभग 500 फुट नीचे जा कर किसानों को सिंचाई के लायक पानी मिलता है। जहां पहले 3 हार्स पावर की मोटर काम करती थी, वहां आज 15 हार्सपावर की मोटर भी काम नहीं कर पा रही। ऐसी हालत आज हमारे यहां पर हुई पड़ी है। हमने इस बारे में अपनी चिंता प्रकट करते हुए रूल 84 के तहत नोटिस भी दिया था। सरकार को बताना चाहिए कि हम इतनी बिजली पैदा करे गे किसान अपनी फसल बोये या न बोये। समय पर बिजली न आने

के कारण बच्चे भी नहीं पड़ पाते। मुझे तो लगता है कि सरकार ने लैम्प बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ समझौता किया हुआ पै कि तुम लैम्प बनाओ, तुम्हारे बिकेंगे क्योकि बिजली तो होगी नही। इस बारें मे मेरा अनुरोध है कि कम से कम सांय 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तो बिजली अवश्य रहनी चाहिए ताकि बच्चे पड़ सकें और दूसरे काम हो सके। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी काबिल बिजली मन्त्री रहे कुए और पिछली सरका र में इन्होने काफी बिजली जनरेट की थी। इनको चाहिए कि लाईन लौसिज 27 परसैटं से घटाकर 10 परसैट लायें। प्लांट लोड फैक्टर 45 परसट से क्या 95 परसैट नही कर सकते? जब टाटा 95 परसैटं बिजली पैदा कर सकता है और आन्ध्र प्रदेश 97 परसट बिजली पैदा कर सकता है तो हमारे यहां पर ऐसा क्यों नही हो सकता? इनको अपने इक्विपमेंट्स का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज 27 परसैटं बिजली चोरी होती है। बिजली की चोरी ऐसी नहीं है कि इसे कोई खेत से उठा कर अपने साथ ले जाए। यह तारों से होती है। It is a managed theft of electricity.

डिप्टी स्पीकर साहब, विश्वविद्यालय का वातावरण और औद्योगिक वातावरण बिजली के कारण काफी परेशान है। आज हरियाणा में आकड़ों को आगे–पीछे करके विकास किया हुआ बताते हैं। एक बार सदन में बोलते हुए कृषि मन्त्री जी कह रहे थे कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। मैं कृषि मन्त्री जी को बताना चाहता हू कि यदि बरसात नहीं होती, तो फिर क्या होता?

इसका पता किसानों के साथ हुक्का पीने वाले लोगों के साथ बैठकर लगाया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज कांग्रेस बेचा री का जहाज समुद्र में डूब रहा है। इस डूबते हुए जहाज में मुझे कुछ अपने साथियों का चिंता है, जिनमें वीरेन्द्र सिंह जी भी शामिल है। मुझे चिंता है कि कहीं ये मेरे प्रिय साथी इस समुद्र में शहीद न हो जाएं। हमारे यहां पर एक परम्परा, संस्कृति राजनीति की रही है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, गांव में डंगर चराने वालों को 'पाली' कहते हैं और यह सौभाग्य गऊए चराने का मुझे भी प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी पाली रहे है। उन्होंने भी गऊएं चराई हैं। लेकिन कुछ पाली अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जब साय को वापस आते है, तो यदि उसके पास 10० डंगर हैं, तो उनमें से 30 गायब मिलेंगे और 30 की सिर–पूछ टूटे–फूटे मिलेंगे। इसलिए चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को तो ऐसा पाली मिला हुआ था, उसने इनको भगाया हुआ है, ये खुद नहीं भागे। इनके साथ हालात ही कुछ ऐसे हो गए। डिप्टी स्पीकर सर, आपको तो रहम करना चाहिए। इस सदन में हरिजनों और ब्राह्मणों पर कुल्हाड़ा चल रहा है। कल को आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछेंगे (हंसी) आपको भी जवाब देना पड़ेगा। (विघ्न तथा घंटी) जो रैलेवैन्ट बोलता है, उसको भी आप बोलने नही देते हैं और जो इर–रैलेवैन्ट बोलता है, उसको भी बोलने नही देते हैं।

श्री उपाध्यक्षः प्रोफैसर साहब, स्पीकर साहब आपको 18 मिनट बोलने के लिए समय दे कर गए थे और आपको आधा घण्टा हो गया है। 15 मिनट का समय तो मैं अपनी तरफ से आपको पहले ही दे चुका हूं।

प्रो० राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नर एड्रैस में हरिजनों के कल्याण की बात कही है। जब चुनाव आने है, काग्रेस की टोली हरिजनों में भाषण देते हुए कहते हैं कि हम तुमको स्वर्ग मे ले चलेंगे, हम तुमको प्लाट देंगे। उस गरीब को जो प्लाट दिया जाता है वह मावे दिखावा है। जेठ बैसाख के महीने मे पटवारी गांव मे जाएगा, जोहड़ की तली मे हरिजनो के लिए प्लाट काटेगा। सावन के महीने में मींह बरसेगा। उस बेचारे हरिजन की झुग्गी भी जाएगी और प्लाट भी जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इस इशू पर हम लोगो को ईमानदार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी और मध्ये प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी हमारी सरकार ने 14 सितम्बर 1987 को मनाई थी। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म दिन मनाया गया था। वहां 4 लाख एकड़ जमीन एक लाख हरिजनों और आदिवासियों को हमारी सरकार ने दी और उनको कहा कि यह जमीन तुम्हारी है और तुम्हारे खानदान की हैं। इन्तकाल चढ़ा कर, गिरदावरी चढ़ा कर खतौनी की किताब उनके हाथ मे दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों का कल्याण इस प्रकार से होता है। केवल लिख देने मे कुछ नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, आज

हरिजनों की स्थिति क्यो है हरियाणा मे कितने ऐसे मामले है, जिनमें उनकी जान पर नहीं बीतती? सग्रेहणी का मामला आखिर में रफा दफा हो गया। सन्तोष 24 वर्षीय गरीब हरिजन बहन के पति को किस तरह से मार दिया गया। उस महिला के साथ सलीम खान और 4 आदमियों ने मुह काला किया। उसका घरवाला रघुवीर उनका उलाहना देने गया लेकिन उसको मार दिया गया। बाद में मुकदमा दर्ज हुआ तो राजनेताओ ने मिल कर राजीनामा करवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है। आग के०पर कितना ही फुस डाल दो, आग दबेगी नहीं सच्चाई और आग में इतना दम होता है कि आग घास को जला देती है और राख बना देती शै तथा अगारा फिर०पर आ जाता है। यह बात दबने वाली नही है। हरिजनो के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जाखल थासे मे क्या हुआ? न्याय मांगने जाए तो उनको कैसा जवाब मिलता है? ये ऐसी बाते है, जिन के०पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

एस०वाई० एल० के मुद्दे को सरकार को हल करना चाहिए था। चौधरी भजन लाल की सरकार को बने हुए 4 साल हो गए हैं। कभी वे बेअन्त सिंह जी के साथ चाय की रहे है। आज यह बात हुई। कल वह बात हुई। लेकिन मामला कोई तय नही हुंका। अब फिर जमुना जल समझौता चारो मुख्य मन्त्रियों ने मिल कर कर लिया है। हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हमारा हिस्सा कम नही हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो जो फैसला पढ़ा है, जो बाकायदा आकड़े दिए गए हैं, जितना हिसाब–किताब हमें आता है,

उसके हिसाब से तो हमारी पानी की माता कम हुई है। मुख्य मन्त्री जी जवाब देते समय इस बारे भी बता दें, तो उचित होगा। यह सरकार एस० वाई० एल० के मुद्दे पर बिल्कुल फ्लाप हो गई है। इस वायदे पर इस सरकार ने हरियाणा की जनता के सा विश्वासघात किया है। इस मामले पर निर्णय होना चाहिए लेकिन इधर–उधर की बात करके इस सरकार ने एस०वाई०एल० के मुद्दे को डाल्यूट कर दिया है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० से महत्वपूर्ण कोई दूसरा मुद्दा नही है। हमारे इलाके में पानी का लैवल 450 फुट से 500 फुट के करीब नीचे जा लगा है। बहन चन्द्रावती जी यहां हाउस में बैठी हुई हैं। वे अपने हल्के की बात को जानती हैं। वे लोहारु से विधायक हैं। वे सारी हालत को जानता हैं कि वहां पर किसान की क्या हालत हो रही. है और वह कैसे जिन्दा है? स्पीकर सर, एस०वाई०एल० का पानी आना चाहिए। महेन्द्रगढ़ रिवाडी, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले के किसानों की हालत अगर पानी न मिला तो 4– 5 साल बाद क्या होगी, आप उसका अन्दाजा नही लगा सकते हैं। 3 हौर्स पावर की मोटर की बजाये 15 हौर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। उसका खर्च बढ गया है और कैपेसिटी कम हो गई है। डिप्टी स्पीकर सर, अगर इस मुद्दे को और ज्यादा देर तक लटकाया जाता है, तो यह अच्छी बात नही है। 1991 के चुनाव में लोगो को विश्वास मिला था कि हम 6 महीने में किसान की क्यारी के अन्दर पानी पहुंचा देंगे। हम 90 दिन के अन्दर इस पर काम शुरु करा देंगे। लेकिन 4 साल के

बाद भी उस पर कोई काम नही हुआ। किसान की क्यारी के अन्दर पानी का सपना पूरा नही हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, एस०वाई०एल० के मुद्दे पर यह सरकार गुनाहगार है। मैं इन शब्दों के साथ कहता हूं जो हरियाणा के हितों के साथ जुड़े हुए है, चाहे वह एस०वाई०एल० का मुद्दा है, चाहे वह रावी– व्यास का मुद्दा है, उन पर हरियाणा की जनता अपने को ठगा गया महसूस करती है। उसके साथ इस मामले पर धोखा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थति के बारे में 1991 में चौधरी भजन लाल जी ने लोगों को विश्वास दिलाया था लेकिन लोग आज नाराज है। लौगों के विश्वास पर चौधरी भजन लाल जी की सरकार खरी नही उतरी।। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस अभिभाषण का विरोध करता हूं तथा आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हू।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, आप को कितना समय चाहिये।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी काफी समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्षः अभी लहरी सिंह जी को पांच मिनट बोलना है। श्री लहरी सिंह जी, आप बोलें।

साथी लहरी सिंह (रादौर एस०सी०): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद

करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भाई शेर सिंह जी ने गवर्नर साहब का धन्यवाद करने के लिए. प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्सान अपने बुजुर्गो को याद रखता है, उसकी भगवान भी सुनता है। महात्मा गांधी जी ने सपना दिखाया था कि गरीब आदमी को सहूलियत मिले और जो भी फायदा हो, वह गरीब आदमी को ही मिले। आज अमीरों का स्टेटस तो वही है, लेकिन आज गरीब आदमी यह महसूस करता है कि अगर उसकी बात नही सुनी जाती है तो वह किसी को भी चाहे वह प्रधान मन्त्री हो, मुख्य मन्दी हो या कोई और हो, उसको ललकार सकता है। अगर महात्मा गांधी जी का सपना न होता और अम्बेदकर जी की कलम न चली होती तो आज हालात कुछ और ही होते। आज गरीब आदमी का ख्याल रखा जाता है। आज ये सब किसान–किसान कहते रहते हैं। उनका नाम लेकर के उनकी एक्सपलाए– टेशन करते हैं। आज जो सरकार है, इन्होंने गरीबों और किसानों की भलाई के लिए काम किया। इस सरकार ने सर छोटू राम जी के नाम पर डाक टिकट निकलवाया है। आज की सरकार ने ही सब कुछ कर दिखाया है। इस सरकार से पहले भी कई सरकारें आई लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये इस बात का दावा करते थे कि हम किसानों की भलाई के लिए यह करेंगे, वह करेंगे। इन्होंने गेहू का रेट 3 या 5 रुपए और गन्ने का रेट 2 रुपए से०पर नहीं बढ़ाया। आज हमारी सरकार ने गन्ने का रिकार्ड तोड़ 60 रुपए का रेट दिया है ओर गेहूं का 25 और 30 रुपए का रेट बढ़ाकर दिया

है। जिससे आज किसानो को बहुत फायदा हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि जो इन्सान सच्ची नीयत से अपने बुजुर्गो को याद रखता है उनकी भगवान भी सुनता है। इस बार जो हरियाणा गे फसल हुई है, वह रिकार्ड तोड़ फसल हुई है।

यह इसलिए हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की और सारे ओफिसर्ज की नीयत अच्छी थी। गांव–गांव मे और एक–एक ब्लांक में जाकर बाकायदा जो इंसैटिव दे सकते थे, वह उन्होंने दिया है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की फसलों का, किसानों की मेहनत का और किसानों के हकों का जो ध्यान रखता है, वह आज की सरकार ही है। आज क्वैश्चन उठता है दक्षिणी हरियाणा का और उत्तरी हरियाणा का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आप पुराने अम्बाला और पुराने करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों को आज इस बात की चिढ़ हो गयी है कि यह मुख्य मक्की क्यों पुराने अम्बाला और पुराने करनाल को आगे ला रहा है? मेरी समझ में नही आता कि जो काम करना चाहता है, उसे ये काम करने नही देना चाहते। सर, यह तो वहीं बात है कि एक आदमी बैठा था। जब वह उठने लगा तो किसी ने छीक दिया और जब वह बैठने लगा तो फिर किसी ने छीक दिया तो वह आदमी कहने लगा कि न तो मुझे बैठने देते हैं और न ही मुझे उठने देते हैं। अगर आज यह सरकार कोई काम करती है, तो कहने लगते हैं कि खारा काम कालका में हो रहा है और कभी कहने लगते हैं कि आज कोई काम दी नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं

कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यानी 1947 के बाद जो भी सरकार बनी, उनमें पानी के मामलों के मिनिस्टर चौधरी लहरी सिंह, रणबीर सिह और उनके बाद चौधरी रिजक राम ही मिनिस्टर बने। ये सारे के सारे मन्त्री जो कि पानी के मामलों को देखते थे, रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा जिलो, के ही बने हैं और इनमें से किसी ने भी पानी के बारे में कुछ नही सोचा। इनके वक्त से पानी का जो बंटवारा चला आ रहा था, वह इंतजाम पानी का आज भी है। क्या उनको उस समय इस इलाके का ख्याल नही था? इसके अला वा, ये यहां पर बा ते कर देते है कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरुरत है? 31 दिसम्बर, 1981 को प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी इस हरियाणा में आयी थी और उन्हेंने पंजाव के बोर्डर पर एस०वाई०एल० का काम शुरु किया था। उससे पहले तो पंजाब के हिस्से में कोई काम शुरु ही नही हुआ था जबकि ये उल्टे कह देते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। पिछली सरकार ने कहा कि भाई प्रकाश सिंह बादल कस्सी लगाएंगे और चौधरी देवी लाल टोकरी उठाएंगे। लेकिन इनका वह व श्रदा वायदा ही रहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आज इस पर कोई अचीवमैंट नही पै। कहों कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो काम करना चाहते हैं, उनको ये लोग काम करने नही देते। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको बड़ी शांति से इस देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस

प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके मे हुए। कहीं भी किसी पार्टी को किसी बात की शिकायत नही आया। जो आदमी मैरिट में आया उसको ही चुना गया है। मैं इस बात के लिए सरकार और सारे औफिसर्ज को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आज भारतवर्ष में कोई प्रगति के काम हो रहे हैं, तो हरियाणा में वह काम सबसे पहले चालू होते हैं। यह काम हरियाणा में पहले क्यों चालू होते हैं? वह इसलिए कि सरकार वास्तव में हरियाणा का विकास करना चाहती है। इसलिए केरा सबसे नल निवेदन है कि विकास के कार्य करने दें और हरियाणा को आगे बढ़ने दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जब सारे देश में चुनाव के लित पहचान पद बनने शुरु हुए तो हरियाणा ने सबसे पहले ये पहचान पत्र बनाए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट सारे देश में लगातार दो साल से खर्चे में और सेवा में फर्स्ट आ रहा है। (घंटी) सर, अभी तो मैंने शुरु ही किया है। मुझे थोड़ा समय और दें। मैं कह रहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट सारे देश में प्रथम आया है। सर, मैं इसके लिये सारे औफिसर्ज को और श्री बलबीर पाल शाह को बधाई देता हूं कि इन्हेंने बहुत बढ़िया काम किया है। इसी तरह से आपने कृषि के बारे में देखा होगा। इसके बारे में मैं नाथ ही कहना चाहता हूं कि नेकनीयती के साथ अगर काम किया जाए तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। हमारे०पर बडी ज्यादतियां हुई हैं। उसके बावजूद आज के किसान ने बहुत मेहनत करके, काम करके और सारी सरकार ने भी मेहनत? करके अपना रिकार्ड तोड़ दिया है। इसकी जलन

अपोजीशन के भाइयों को नहीं होनी चाहिए। जहां तक कृषि के लिए पानी की बात है, कृषि के मामले में भी हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेरे हल्के की छाती को के चीरती हुई आगुमैन्टेशन कैनाल का सारा का सारा पानी भिवानी, सिरसा और हिसार को जा रहा है। यह क्या बात है? जब हमारी फसल पकने को तैयार होती है, उसमें एक–दो पानी की कसर रह जाती है तो उस नहर से हमें पानी मिलना चाहिए वाटर रीचार्जिग के बारे में आज क्वैश्चन भी पुट हुआ था। उस तरीके से भी किसानों को पानी दिया जा सकता है। किसान पर बड़ा भारी बोझ है। उपाध्यक्ष महोदय आपके एरिया में पानी का लैवल 100 से 150 फुट नी नीचे चला गया है।

Mr. Deputy Speaker : I trust Nehra Sahib he is taking fall note of what is being said.

साथी लहरी सिंहः पानी का जो लैवल नीचे चचा गया है, उसका इंतजाम आज किसी किसान के पास नहीं है। पहले मोनोब्लाक पम्प होते थे, उससे पानी निकल आता था। किसान को 2 हजार से लेकर 6 हजार रुपये तक टैक्स देना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुखयमन्त्री जी से कहना चाहुंगा कि यह किसान के साथ ज्यादती है। जो किसान सारे देश का पेट पालता हैं आज अगर हमारे इलाके का किसान खेती करनी बन्द कर दे तो ये स्टेट तो भूखी रहेगी ही साथ ही दूसरी स्टेटस भी भूखी मरेगी। इसलिए किसान का पूरी तौर से ध्यान रखना चाहिए हैं

सबमर्सिबल पम्प टैक्स फ्री करने चाहिएं क्योंकि वह किसान ही खरीदता है किसान का टयूबवैल के बगैर काम नहीं चलता।

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग का महकमा नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़ा अहम महकमा है। अब इमकी जगह जगह से डिमांड आ रही है। सरका र ने आई० टी० आई० और वी० आई० खोले हैं। यह बहुत अच्छा कदम है। भारतवर्ष में जो भी स्कीम आती है, सबसे पहले उसे यहां ट्राई करते हैं। यमुनानगर करनाल, पानीपत का जो गंदा पानी यमुना नदी में जाता था, उससे हजारों डगर हर साल मर जाते थे। उसके पानी को साफ करने केलिये डेढ़ करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट शुरु होने जा रहा है। उसका नींव पत्थर मुख्यमन्त्री जी ने रखा है इस प्रोजैक्ट के चालू हो जाने के से गन्दे पानी की एक बूद भी यमुना नदी में नही जाएगी और जो पानी गंदा है, उमकी खाद बनाकर किसानों को दो जाएगी। एक एकड़ एरिया में एक कट्टा कम यूरिया खाद डालनी पडेगी। इतना फायदा किसा नो को होगा यह बहुत अच्छा कदम है। एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने और चलाई है जिसके लिए भारत के प्रधान मन्त्री जी ने मुख्यमन्त्री जी को बधाई दो है और कहा? है कि यह स्कीम सारे भारत मैं लागू कराएंगे।

13.00 बजे

यह जो सरकार ने किया है इसके लिये मैं चौधरी भजनलाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जो बच्ची पैदा होगी, उसकी मां को उसी वक्त 600 रुपया दे दिया जाता है और 2500 रुपये उस बच्ची के नाम जमा कर दिया जाता है ताकि 18 सालों के बाद उसको 26000 रुपया मिल जाए चाहे वह नौकरी करे चाहे वह अपना काम करे। इस से वह समाज की एक सम्मानित सदस्या बनकर गुजारा कर सकेगी। यह कोई छोटी मोटी बात नही है।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब मैं साक्षरता अभियान पर कुछ कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ शिक्षा के बारे में भी कहूंगा। शिक्षा मन्त्री महोदय व मुख्यमन्त्री महोदय से कहूंगा कि मेरा जो इलाका है वह रुरल एरिया है। उस एरिया में स्कूलों की अपग्रेडेशन में बहुत कमी है। जैसे बबैन थारा व गुमथला गांव ऐसे हैं, जहां पर स्कूलों को जल्दी से जल्दी 10 + 2 बना दिया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें दूर दूर जाने से बचाया जा सके।

यहां पर हर बार यही कह दिया जाता है कि जुल्म हो गया और ला एण्ड आर्डर की स्थिति बडी खराब है। मैं इन अपोजीशन के भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि क्या ये कभी जनता को ला एण्ड आर्डर दे भी पाये हैं? ये तो सिर्फ दूसरों की जमी नो पर कब्जे करते रहे और दूसरी तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। दुकानों पर कब्जे करते रहे। आज ये यहां पर बैठे हैं। इनके पार्टी के लीडर यमुनानगर में, फरीदाबाद में चले जाते हैं तो सारी

फैक्टरियां बन्द हो जाती है और 10– 10 दिनों के लिये सारे इंडस्ट्रीयलिस्ट बाहर चले जाते हैं। इनको तो नोटों की बोरिया चाहिए थीं। (शोर) यहां पर पुलिस की बात आई इधर बैठने वाले, जो इधर बैठे हुए पार्टी के लीडर्ज हैं, उन्होंने तुक बात उठा दी कि डी० जी० पी० को कार देने के लिये फरीदाबाद के एस० पी० ने पैसे इकट्ठे कर लिये। डी० जी० पी० के बेटे के विवाह में देने के लिये फरीदाबाद के एस० पी० ने पैसे इकट्ठे किये। मैं तो कहता हूं कि वह डी० जी० पी० बहुत हो अच्छा आदमी है। जब वह डी० जी० पी० हिसार में एस० पी० था और जब वे मुख्यमन्त्री थे

चौधरी भजन लालः कौन मुख्य मन्त्री थे? क्या चौधरी बंसी लाल थे? (शोर)।

साथी लहरी सिंहः जी हां हिसार के अन्दर मनीराम गोदारा के आदमियों ने एक आदमी को मार दिया था और वहां के एस० एच० ओ० मिलखा सिंह को उन्होंने कहा कि इस केस को बन्द कर दो और एस० पी० को भो बुलाकर कहा। इसके साथ जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि यह काम नही हो सकता क्योंकि केस दर्ज हो चुका है। तो इन्होने उस एस० एच० ओ० मिलखा सिंह की दादी पाट दी। सिन् थानेदार की दाही का एक एक वाल नोंच दिया और बाद में उसको कत्ल करवा दिया गया। इस से बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है? इसके साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 15–3– 68 को थाना तोशाम में इनके विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखी गई उस वक्त चौधरी

बंसी लाल मुख्य मन्द्री. नहीं थे लेकिन एक्स एम० पी० थे और उन्होंने मुख्य मची बनने पर एक राम स्वरूप एस० एच० ओ० क इतना बुरा हाल किया कि उसको भी जान से मार दिया गया। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो रिपोर्ट लिखी हुई है, उसके आधार पर इनके०पर तो मर्डर असैसीनेशन की मुकदमा चलाया जाना चाहिये था (शोर) और अब ये डी० जी० पी० की कार की बात पता नहीं किस मुंह से करते हैं? मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज के पेपर्ज में भी यह लिखा हुआ है कि डी० जी० पी० के बेटे कोई को कार वगैरह भेंट नहीं की गयी और फरीदाबाद के एस० पी० ने यह कहा है कि यह बात बिल्कुल निराधार है। इसके साथ साथ मेरा एक ओर निवेदन है जो हमारे नेता के लिये सब से ज्यादा द्ख की बात है, वह यह है किं हमारे डी० जो० पी० साहब के लड़के की शादी थी। उसमें भारत के प्रधान मन्त्री आए, पांच छः गवर्नर भी आए। उनको कहां इस बात की सहन थी कि वहां पर मुख्य मत्ती भी जाएं और प्रधान मन्त्री जी भी जाएं। इनको असल तकलीफ तो यह हुई कि एक हरिजन के यहां इतने बड़े–बड़े लीडर क्यों आए? इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्षः अब मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री धीरपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय देने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्षः आपके लीडर पहले ही 90 मिनट बोल चुके हैं।

श्री धीरपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह 90 सदस्यों का हाउस है। तो क्या 9० में से केवल तीन आदमी ही अपोजीशन के बोलेंगे? अभी तक एक तो बी० जे० पी० के सदस्य, एक हविपा के लीडर और एक हमारे लीडर बोले हैं। केवल हमारे तीन सदस्य बोले है और मुख्यमन्त्री जी कहते हैं कि मैं दो घंटे लूगा। वे किस बात का जवाब देंगे? क्या हमारा बोलने का हक नही है?

श्री उपाध्यक्षः आपका हक जरूर है लेकिन आपके लीडर ने पहले ही 90 मिनट ले लिए हैं।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। जब सम्पत सिंह जी बोल रहे थे तो उस वक्त मैंने दो बार कहा था कि कि हमारी स्ट्रैग्थ के हिसाब से टाईम का ध्यान रखना यानी उसका रेशो के हिसाब से ठीक वितरण होना चाहिए। इनके कुल 17 सदस्य हैं और इन्होंने 90 मिनट ले लिए। जब उन्होंने 9० मिनट ले लिये तो मुख्य मन्त्री जी तो कम से कम डेट घंटा तो बोलेंगे ही। इसलिये आप चौक कर लें कि टोटल कितने टाईम के लिये बोला गया और उसमें से इन्होंने कितना टाईम लिया और हमने कितना टाईम लिया? टाईम तो हिसाब से ही बटेंगा। समय ज्यादा इन्होंने नष्ट किया है, हमने नही किया।

श्री उपाध्यक्षः अब तक सौ मिनट तो ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से बोला गया है और 162 मिनट अपोजीशन की तरफ से बोला गया है। पार्टी वाईज पोजीशन यह है कि श्री शेर सिंह 57 मिनट बोले, श्री मनी राम केहरवाला 25 मिनट और श्री लहरी सिंह 18 मिनट। दूसरी तरफ प्रो० सम्पत सिंह 90 मिनट बोले और चौधरी बंसी लाल 42 मिनट तथा श्री राम बिलास शर्मा जी 30 मिनट बोले हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि जो टोका टोका की है, उसका पीरीयड भी बीच में आ जाता है।

श्री उपाध्यक्षः ये तो दोनों तरफ ही आ जाता है।

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पार्टी के हिसाब से टाईम देने की बात की। आप देखें कांग्रेस पा टी के एम० एल० ए० तो केवल 5– 7 ही हैं, बाकी तो सब मच्छी हैं। दूसरी बात यह है बी० जे० पी० का एक सदस्य है और वे 30 मिनट बोले हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हम 17 सदस्य है, इस हिसाब से तो हमें साढ़े आठ घंटे मिलने चाहिएं। यहां पर हर मैम्बर को अपनी बात कहने का हक शै। यह तो विधान समा का पहला इतिहास होगा कि एक–एक पार्टी का एक एक मैम्बर ही बोले। इस पर जो सदस्य और बोलना चाहते हैं, आप उनको टाईम दे दें और उसके बाद मुख्य मन्त्री जी अपना

जवाब दे देंगे या आप ऐसा कर सकते हैं कि बीच में लंच टाइम कर लें और उसके बाद दूसरी सिटिंग रख लें। सदस्यों को बोलने के लिये पूरा समय देना चाहिये। बजट सैशन में तो मेन मुद्दे होते हैं, यूक तो गवर्नर एड्रैस और दूसरा बजट पर चर्चा। इन पर तो खुल कर चर्चा होनी चाहिए।

सदन की बैठक दो दिन और बढ़ाना

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट पेश होना है। ये बजट पर बोल सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंहः बजट तो 13 तारीख को पेश किया जाएगा और उस पर 14 और 15 तारीख को बहस होगी तथा 20 तारीख को फाइनैंस मिनिस्टर उसका जवाब देंगे।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के बोलने वाले लीडर को यह देखना चाहिए कि इनके साथ 16 आदमी और भी बोलने वाले हैं इसलिये उनको भी बोलने के लिये इनको समय देना चाहिये लेकिन ये खुद ही 90 मिनट तक बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों को टाईम नहीं दिया। यह कोई मुनासिब गत नहीं है। बजट पेश हो जाएगा, उस पर आप बोल लेना हमें कोई दिक्कत नही है। उपाध्यक्ष महोदय, बी० ए० सी० ने टाईम फिक्स किया हुआ है। आप में से बी०ए० सी० की मीटिंग में किसी ने भी यह नही कहा कि सैशन का टाईम बढाओं। यदि आप

उस समय सैशन का टाईम बडाने को कहत्ते तो हम. बम देते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री धीरपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 8 तारीख को भी हाउस का टाईम बढ़ाया गया था।

Mr. Deputy Speaker : Dhir Pal ii, please take your Seat. At the time of the meeting of the Business Advisory Committee, this matter was discussed.

श्री धीरपाल सिंहः बी० ए०सी० की मीटिग में यह भी जिक्र नही आया था कि 8 तारीख को हाउस का टाईम आधा घंटा बजाया जाएगा। वह हाउस की सहमति से ही आधा घंटा बढ़ाया गया था। अगर उस दिन हाउस का समय नहीं बढ़ाया जाता तो चौधरी बंसी लाल जी नही बोल सकते थे। आज ये ड्रामा कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय से यहां पर अभिभाषण दिलवाया जाता है। उस पर हमें गेलने का मौका नही मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के एम० एल० ए० अपने अपने हल्को की बात फिर कहां पर कहेंगे? अगर गांवों में जा कर हम कहेंगे तो उस पर कोई कार्यवाही नही होती। हम यदि गांव में जा कर कोई बात कहें उस पर तो ये क्या कार्यवाही करेगे। हम जो बात यहां पर कहते हैं, उस पर भी कोई कार्यवाही नही होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक साल के बाद हमें अपने हल्को की समस्याओ के बारे में कहने का मौका मिलता है। यदि सैशन में हों हमें बोलने का मौका नही दिया जाता है तो फिर इस बैठक की क्या

आवश्यकता है? हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा। यह बैठक तो संवैधानिक मजबूरी के कारण मुख्य मन्त्री जी ने बुलाई है क्योंकि यदि 6 महीने के अन्दर सैशन नहीं होता है तो सरकार को निश्चित रूप से जाना पड़ता है। इसलिये यह संवैधानिक परम्परा को पूरा करने केलिये सैशन बुलाया गया है। ये मैजोरिटी के आधार पर अपने सभी लोगों को इकट्ठा कर लें और इनकी चाहे ये कोई जायज बात कहें और चाहे कोई नाजायज बात कहें, सारी बातों को पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे, उसका पालन करना हमारा धर्म है। हम अपनी बातें कहां पर कहें? अपने हल्कों की समस्याएं कहां पर बताएं? चौधरी भजन लाल जी, आप हाउस के नेता हैं इसलिये आपको थोडा संयम बरतना चाहिए।

चौधरी बंसी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन हैं कि जिस दिन हाउस का टाईम बढ़ाने की बात चली, उस समय चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सैशन ज्यादा दिन चलना चाहिए। तो उस समय मुख्य मन्त्री ने कहा कि सैशन तीन चार दिन और बढ़ा ले। मुझे कोई एतराज नहीं है तो मुख्य मन्त्री जी अपनी, बात पर कायम रहे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसीज की बातें कहना चाहेंगे इसलिये हर मैम्बर को अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात कहने का मौका मिलना चाहिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अब तक केवल तीन चार आदमी ही बोले हैं।

चौधरी भजन लालः चौधरी बंसी लाल जी, आप तो बी० ए० सी० की मी टिग में आए ही नही मैंने बी० ए० सी० की मीटिंग में यह कहा था कि सैशन का टाईम दो दिन और बढ़ा देते हैं। उस समय किसी भी मैम्बर ने यह नहीं कहा कि सैशन का टाईम दो दिन बढा दो। चार दिन पहले बी० ए० सी० ने जो प्रोग्राम तय किया उसके अनुसार आज मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देना है। यदि मैं अभी बोलना शुरू करूंगा तो भी हाउस का समय सवा घंटा बढ़ाना पड़ेगा। इस समय सवा एक बजा है। अगर सैद्धातिक तौर पर देखा जाए कि गवर्नर ऐड्रैस का आप लोगों ने बायकाट किया हुआ है तो उस गवर्नर एड्रैस पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए।

श्री धीर पाल सिंहः किन कारणो से हमने बायकाट किया था, वही तो अब हम अपनी बातें कहना चाहते हैं। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः उपाध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में जो प्रोग्राम हमने बनाया था, उसमें 16 मार्च को भी सैशन था। सम्पत सिंह जी, उस मीटिंग में हाजिर थे। इन्होंने कहा कि 16 मार्च को सैशन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही सैशन बढ़ाने की बात कही। चौधरी बंसी लाल जी तो मीटिंग में आये ही नहीं। अब जो कार्य हो रहा है, वह बी०ए० सी० की मीटिंग के फैसले के आधार पर हो रहा है। इसकी मंजूरी हाउस से भी ले ली गई है उस समय सी० एम० साहब, ने कहा था कि यदि सैशन एक दो–दिन बढ़ाना हैं तो बढ़ा

सकते हो। आज ये हाउस की मिंटिंग बढाने की बात कह रहे हैं। जब संपत सिंह जी बोल रहे थे, तो ये अकेले ही 90 मिनट का समय ले गए। उस समय इसका ध्यान रखना चाहिए था कि दूसरे मैम्बरों ने भी बोलना है। इन्होंने अपने मैम्बरों का समय लिया है। उस समय मैंने दो बार कहा था कि आप इतना समय न लो जितना अब आप समय ले रहे दै, वह आपके मैम्बरों का है लेकिन ये 90 मिनट तक बोलते रह।

चौधरी बंसी लालः मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि आज तो इसका जवाब देना है। यदि यह यात है तो बजट पर जनरल डिस्कशन के लिये दो दिन का हाउस का समय बढा दें ताकि सारे सदस्यों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

चौधरी भजन लालः हमारी तरफ से तो बेशक दो दिन का समय बढ़ा लो। अब हमारी भागने वाली बात तो है नहीं। आपके समय मैं ऐसी बात थी जब दो दिन का सैशन होता था। उन दिनों मैं भी आपके साथ था।

चौधरी बंसी लालः डिप्टी स्पीकर साहब, यदि आज बोलने का समय सदस्यों को नही दिया जा रहा है तो फिर बजट पर जनरल डिस्कशन के लिये 3–4 दिन का समय बढ दो ताकि सभी सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें।

चौधरी भजन लालः चूंकि मैंने आज तो प्रोग्राम के आधार पर जवाब देना है, इसलिये गवर्नर एड्रैस पर तो डिस्कशन

के लिये समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। हां हाउस का समय बजट पर डिस्कशन के लिये दो दिन के लिये बेशक बम दें, इसमे मुझे कोई एतराज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप दो दिन तक का इस सैशन का समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्षः मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा के अनुसार बजट पर डिस्कशन का समय दो दिन तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्षः अब मुख्य मन्त्री जी बोलें।

श्री सतबीर सिंह कादयानः उपाध्यक्ष महोदय, डेड घंटा लीडर आफ दी अपोजीशन बोल चुके और डेढ़ घंटा लीडर आफ ही हाउस बोलेंगे तो फिर ये एम० एम० एज० करा जाएंगे? इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप धीरपाल जी को बोलने का समय दे दें।

श्री धीरपाल सिंहः दो दिन तक के लिए सदन को बढाने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आज अगर हाउस का समय आधा घंटा और बड़ा दिया जाए तो इसमें क्या आपत्ति हैं?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, अगर अभी और समय बहाना है तो फिर दो दिन के लिए सदन छो और बढाने की क्या आवश्यकता रह जाएगी?

श्री धीरपाल सिंहः दो दिन का समय तो और बढ़ चुका है लेकिन अगर साथ ही आज आधा घंटा और सदन बढ़ लिया जाए तो इसमें कौन सा जुल्म हो जाएगा? (विध्न)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिन से प्रो० सम्पत सिंह जो भी बोले वे बेमतलब बोले, हम ने कुछ नहीं कहा। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंहः श्री लहरी सिंह बोले, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः आपकी तरफ से बोलते हुए अगर कोई ऐसी बात आए, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। (विध्न)

श्री धीरपाल सिंहः आप हाउस में अपने आदमियों पर संयम रखें। हम भी संयम रखेंगे लेकिन आपके लोग अगर संयम से बाहर जाएंगे तो हमारे लोग भी बाहर जा सकते है (विज)

चौधरी भजन लालः यही बात है कि सभी यहां पर संयम में रहे। इसमें हाउस की मर्यादा की भी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन

में बहुत ही शानदार तथ्यों के साथ बहुत ही बढ़िया अभिभाषण दिया और इस अभिभाषण की केवल हरियाणा प्रान्त मे ही नहीं, बल्कि प्रदेश में भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि बहुत ही अच्छा अभिभाषण रा ज्यपाल महोदय ने दिया है। (इस समय थी अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपोजीशन के भाई, जिनका हमारा दिल बड़ा आदर करता है अपना रोल सही अदा नहीं करते अपोजीशन का भी एक रोल होता है और अगर गर्वनर एड्रैस के वक्त अपोजीशन के लोग न हों, तो यह अच्छी बात नहीं है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन वह हैल्दी तरीके से होना चाहिए। इन को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है, और अधिकार है। स्टेट का हैड स्टेट की पोलिसी और प्रोग्रामज को सदन में आ कर कहते हैं लेकिन उनका अभिभाषण सुनना भी इनको गंवारा न हो, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है ?

यह अच्छी प्रथा नहीं हं। इन लोगो को चाहिए कि उनकी बात को सुनें और अपनी बात को यहां पर कहें। राज्यपाल महोदय मे पूरी तफसील से आने अभिभाषण को यहां पर पढ़ा भी है और स्टेट के बारे में सदी बाते कहो हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती हम मनाने आ रहे हैं, जिन्होने सारे संसार को रास्ता दिखाया है। विनोबा भावे और सर, छोटू राम तक का वर्णन इसके अन्दर किया गया है। इस अभिभाषण के पढ़े जाने को तो यह कोई महत्व न दें लेकिन उसे।

अभिभाषण पर बोल के लिये ये समय की मांग कग रहे हैं और समय बढ़ाना चाहते हैं यह उचित नहीं है (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की शक्ति होती चाहिये। ये लोग तो बात बात पर वाक आउट करते हैं। वाक आउट का भी कोई सिद्धांत होता है कोई तरीका होता है कि किस बात पर वाकआउट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस. पार्टी ने तो इतनी बार वाक आउट किया है कि इस पार्टी का नाम ''वाक आउट पार्टी '' रख देना चाहिए। सम्पत सिंह जी पडे लिखे आदमी है और हर तरह से काबिल हैं वे खुद सोचें कि क्या इतनी बार वाक आउट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने हुए पौने चार साल हो गए हैं और इन पीने चार सालों में इस राज्य में इस सरका र ने हर दिशा में प्रगति की है। प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। इस सरकार की रूप रेखा महा–महिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन के सामने रखी है उसमें चाहे किसान की बात हो और चाहे पानी और बिजली की बात हो, सबकी बात आई है। आप प्रजातन्त्र की बात जानते हैं। प्रजातन्त्र में मतभेद होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मतभेद होना स्वाभाविक भी है लेकिन ताल्लुकात ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कटुता पैदा हो। यहां पर सब नुमायदे चुन कर आए हैं लेकिन यहां पर भाषा का सही प्रयोग होना चाहिए और यहां का वातावरण सुन्दर और सुशील बनाए रखना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ठीक व्यवहार करें क्योंकि यहां पर प्रदेश के लोग, सुनने वाले महानुभाव, प्रैस के महानुभाव, सभी बैठे हैं। इन्हे संयम से काम लेना चाहिए। इसी से प्रदेश की प्रशंसा होती है। अध्यक्ष महोदय,

मैं पहले हरियाणा में जो प्रगति हुई है, उसकी चर्चा करूंगा और बाद में इन्होंने जो प्वायंट कहे है, उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले जब हमारी सरकार आई तो यहां पर क्या हालात थे? हमने उन हालातों को सुधारा है। किस तरह का यहां का माहौल था? उसका सुधारा है। हमने सबसे पहले यह कहा था कि हम जातिवाद को ठीक करेंगे और प्रदेश में शांति लाएंगे। हमने प्रदेश मे पूरी शांति लाने की कोशिश करी है। मगर मैं यह नही कहता कि राम राज हो गया है। राम राज तो राम जी के जमाने में भी नही था। उनके जमाने में भी राक्षस होते थे और सीता जी का हरण हो गया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्हे सरकार के काम–काज का तरीका देखना चाहिए। सरकार की नीयत देखनी चाहिए। इनकी नीयत क्या है? हमने प्रदेश मे किसानो के साथ, हरिजनो के साथ, बैकवर्ड के साथ, कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि उनकी भलाई के लिए ही काम किए हैं। सारे प्रदेश का माहौल बढिया हो, इसलिए हमने फैसला किया कि प्रदेश के कदर पंचायती चुनाव हो और हमने चुनाव करवाए भी हैं। प्रजातन्त्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है और उसके याद पार्लियामैंट है। देल में हरियाणा ही पहला प्रदेश है, जिसने पंचायती चुनाव करवाए हैं। सारे बेल में कहीं पर भी म्युनिसिपैलिटी और ब्लाक समिति के चुनाव नहीं हुए हैं। हरियाणा ही पहला प्रदेश है, जहां पर ये चुनाव हुए है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी का सपना था कि लोगों के हाथ मे ताकत आए। महात्मा गांधी जी की भी यही सपना था। इससे गरीब लोगों को ताकत मिली है। यह सारी

योजना गांवों से, शहरों से बनकर०पर आई है कि पंचायते और म्युनिस्पिल कमेटीज लोगों की भलाई का काम करे। इमके तहत हमने पंचायती राज कायम किया है। हम उनको ताकत देने जा रहे हैं। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः अगर हाऊस की सहमति हो तो सदन का समय एक घण्टा और बडा दिया जाए।

आवाजेः ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, ये बार–बार कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो और चुनाव करवा लो हम तैयार बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की सबसे पहली सीडी पचायत है। आज यहां जितने महानुभाव बैठे हुए है, उनमें से अधिकांश इसी सीढ़ी से चढ़कर आए है। मैं भी स्वयं उन्ही में से एक है। मैं भी ऐसे ही गाव का पहले मैम्बर चुना गया था। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की असली नीव पंचायती राज है। जैमें एजुकेशन मे प्राईमरी स्कुल है उसी

तरह से प्रजातन्त्र की असली नींव पंचायत है। इसी पहली सीडी से चढकर मैं आज स्टेट की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा हू और आपके सामने हू। तो यही एक तरीका है इसलिए हमने पहने पचांयतो के चुनाव कराए। आज सभी पार्टीज के महान भाव यहां पर बैठे हैं। उनकी जो हालत इन चुनावों में प्रदेश के अंदर हुई है, उसको आप भी जानते है। (विष्य) आप मुझे बीच में मत टोकिए। अध्यक्ष महोदय, 16 जिला परिषदों में से कांग्रेस पार्टी के 12 जिला प्रमुख हैं। पंचायतों की समितियों के 80 परसैंट तथा म्युनिस्थिल कमेटीज के 85 फीसदी मैम्बर्ज कांग्रेस पार्टी के बने हैं। यह तथ्य आपके सामने हैं। बाकी 15 फीसदी में यह सभी पार्टीज के लोग पैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में पौने चार साल में जो विकास किया है, वह मैं आपको आकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पर कैपिटा इंकम प्रगति का आधार होती है। 1990–91 में पर कैपिटा इंकम 7,503 रुपये थी जबकि वर्ष 1993–94 में पर कैपिटा इंकम 10,359 रु पये हो गयी है, यानी 2,8 56 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 1990–91 से लेकर 1994–95 तक आमदनी में 38 परसैंट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1990–91 में शुद्ध घरेलू उत्पाद 12,230 करोड़ रुपये था जबकि 1993–94 में यह बढ़कर 18 हजार 67 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रो० सम्पत सिंहः आप प्राईस इन्डैक्स भी बता दीजिए।

चौधरी भजन लालः वह भी बता देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इसमें 40 परसैटं की वृद्धि हुई है। राज्य में 1993–94 में अनाज का उत्पादन 104 लाख टन हमने पैदा किया है जबकि इनके राज में यह उत्पादन 92 लाख टन का था। जबकि ये कहते हैं कि किसानों को खाद नही मिलती, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता और किसानों को दूसरी अन्य चीजें नहीं मिलती हैं। फिर यह 104 लाख टन का उत्पादन कैसे हो गया? 104 लाख टन में से 22 लाख टन चावल और 73 लाख टन गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसी तरह से तिलहन का पहले उत्पादन 92 हजार टन था, लेकिन अब यह उत्पादन साढे आठ लाख टन हो गया है। यानी हमने बुलन्दियों को छुआ है। इसी तरह से गन्ने का उत्पादन 1993–94 में नौ लाख टन गुड़ की शक्ल में हुआ है जबकि 1966– 67 में यह 5 लाख 10 हजार टन था। अब हमने 1995–9 रु में 110 लाख टन का अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान सरकार ने गेहूं के मूल्य में 135 रुपये प्रति क्विंटल और धान सुपर फाईन के मूल्य में 165 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। कृषि की उपज में भी किसानों को इन बड़ी हुई कीमतो के कारण 1990–91 से लेकर 1993–94 तक 3110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। आपको याद होगा कि इनके राज में कैसे किसान अपने खेतों में खड़ा गन्ना जलाया करते थे और कैसे। हालत किसानों की मंडियों में होतो थी। जबकि आज ये किसानों का अनाज मंडियों मे न उठाने के बारे मे कहते हैं। एक तरफ कहते हैं किं बिजली और पानी नही

मिलता। एक ही बात के दो पहलू। कम से कम एक बात तो कही। अनाज ज्यादा पैदा हुआ, तभी तो सड़ता होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों की भला ई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल व सब्जी मंडी कॉम्पलैक्स, कुंडली में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाना शुरु किया है। गत साढ़े तीन वर्षों में फसल, बीज खाद, कीड़े मार दवाइयों पर करीब 108 करोड़ रुपये की सबसिडी दी है। बागवानी के विस्तार से पांच सौ करोड़ रुपये आय बढ़ी है। प्रतिवर्ष डेढ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। पौलीग्रीन हाउस योजना के अंतर्गत 20 पोलीग्रीन हाउस निर्मित किए जा चुके हैं। इसके अलावा टपका सिंचाई नामक एक नयी योजना शुरु की गई है, जिसके अंतर्गत 508 हैक्टेयर भूमि के लोगों को तजुर्बे के आधार पर सहायता दी है। राज्य सरकार ने गत साढ़े तीन वर्ष में 2654.10 करोड़ रुपये के फसली कर्जे दिए गए हैं। पिछले वर्ष 770 करोड़ रुपये के दिए गए थे। सहकारी बैक के अब तक के इतिहास मे यह सबसे अधिक कर्जे और कर्जे के हिसाब से विकास की दर देश में सबसे अधिक है। यह विकास की बात है। आपकी तरह नहीं, कि लेकर वापस नहीं दिया। कर्ज माफी की बात करके, आपकी सरकार ने किसानो को गुमराह किया। हमारी सरकार ने उनके 51 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए और कर्जो की वसूली की नये सिरे से प्रक्रिया शुरु की। आज हरियाणा प्रदेश का किसान टाईम पर लोन लेता है और टाईम से वापस कर देता है। सैन्ट्रल पूल में चावल व गेहूं पंजाब के बाद सबसे ज्यादा देने वाला कोई प्रदेश है तो वह हरियाणा प्रदेश है।

इसी तरह से अच्छे धान की कीमत 380 रुपये प्रति क्विंटल तय है। यह गत वर्ष के मुकाबले 30 रुपये अधिक है। राज्य में सिंचाई के लिए नहरो और खालो को पक्का किया जा रहा है। नहरों को पक्का करने का काम विश्व बैक की मदद से 1978 में शुरु किया गया और मार्च 1994 तक 7,666 कि० मी० लम्बी नहरों और खालों को पक्का किया जा चुका है। इस काम पर 370 करोड रुपये खर्च हुए हैं। इन नहरों और खालो के पक्का होने से 4,400 क्यूसिक्स पानी की बचत हुई है। 2 लाख 28 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने हरियाणा जल संसाधन कंसौलिडेशन परियोजना शुरू की है। इस पर कुल 1,858 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के लिए विश्व बैक से 812 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। इस योजना से 1.4 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त एरिये में सिचाई की सुविधा उपल्ब्ध होगी। 12 मई 1994 को राजधानी में जल बंटवारे के बारे में समझौता हुआ। ताजेवाला पर जल का बंटवारा यमुना नदी में पानी की सप्लाई पर आधारित है। ताजेवाला पर हरियाणा 'का हिस्सा 5.23 मिलियन क्यूसिक मीटर और यू० पी० का 2. 54 है। आप हिसाब लगा लेना कि हरियाणा का दो तिहाई है या नहीं। दिल्ली का हिस्सा 17 मिलियन क्यूसिक मीटर व हिमाचल का, .378 मिलियन क्यूसिक मीटर है। यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। इसके अलावा इम समझोते से ओखला पर हरियाणा को .500 क्यूसिक पानी मिलेगा। हथिनीकुंड बैराज 100 वर्ष से भी पुराना था, टूटने वाला था इसलिए अब इस पर निर्माण कार्य 6 सितम्बर,

1994 से शुरु हो चुका है जिस पर 163 करोड रुपया खर्च आएगा अरि तीन साल मे यह काम पूरा हो जाएगा। स्पीकर साहब, इस रात की भी बड़ी चर्चा यहां पर होती है कि यमुना का समझौता करके चौधरी भजन लाल जी ने बड़ा जुल्म कर दिया है। हरियाणा के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। फैसला ठीक नही हुआ। हरियाणा के हितो को इन्होने बेच दिया। मैं यह कहूंगा कि स्यार हरियाणा के हितों की रक्षा यह भजन लाल और बढ़ सरकार और हमारी पार्टी और हमारे ये साथी अगर नही फर सक्ते तो ये लोग सात जन्मो में भी नही करने वाले है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब पंजाब और चण्डीगढ का मसला आया तो उस समय सब से पहले अगर कोई सत्ता से इस्तीफा देने वाला था तो वह चौधरी भजन कल ही था। वह आपके सामने खड़ा है। हरियाणा के हितों की रक्षा कें लिये हमने श्री राजीव गांधी जी से कहा कि यह नहीं कु सकता कि आप चण्डीगढ़ पंजाब को दे दें और उसके बदले में 'फाजिल्का–अबोहर हरियाणा को न मिले। यह बडे अन्याय की बात होगी हम इसको बरदाश्त नहो करेंगे। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। इस्तीफा देने का कोई रिकार्ड इनके पास है ? यूं हो हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अगर है तो ये दिखाए (शोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई इस्तीफा देने का रिकार्ड है, तो दिखाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी, आप बैठिये। (शोर) इस्तीफा आपको तो नही दिया जाएगा। जहां कोई कहने की बात हो, वहां ही कहनी चाहिये (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हर मोके पर हाउस को, हर बात पर गुमराह करने की बात क्यों कही जाती है? आप भी इन्हे कहें किं? वे इस बात से हमें सन्तुष्ट करें कि कही इस्तीफा दिया है या नहीं दिया। चौधरी कैसी लाले जी कहते थे कि तुम ने इस्तीफा दिया होता तो लीग तो लोग के लिये तैयार बैठे थे। कभी सु–साईड की बोत करते है। कभीं कुछ और कहते हैं (शोर) कोई इस्तीफा दिया हो तो बताएं? हाउस को गुमराह क्यों करते हैं? (शोर) तथ्यों पर आधारित बात की जानी चाहिये थी। (तोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि सभी चौधरी बंसी लाल जी खड़े ही आते हैं तो कभी ओम प्रकाश चौटाला खड़े होकर यूं ही बोलने लग जाते हैं (शोर) और खड़े भी एक ही प्वांयट पर होते हैं और एक ही प्वायट पर वाक आऊट करते हैं। चौधरी बंसी लाल मेरे०पर इलजाम लगाते है और कहते हैं कि चौधरी भजन लाल और चोटाला आपस में मिले

हुए हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं हालांकि मिले हुए ये खुद दोनो आपस में हैं। (शोर) हर बात पर एक साथ ही वाक आउट करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती। आप स्वय ही देख लेवें। फिर उल्टे ऐलीगेशन हमारे०पर लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हथिनीकुण्ड बैराज का अभी फैसला हुआ है उस बारे में भी ये लोग क्रिटीसीजम करते हैं। (शोर) प्रो० सम्पत सिंह मिनिस्टर रहे हैं और बीरेन्द्र सिंह जी भी मन्त्री रहे हैं। वीरेन्द्र सिंह को व इनको पता है कि उस समय वहां की जो पानी की कैपेसिटी थी, वह केवल 14 हजार क्यूसिक्स थी और नया जो बैराज बनेगा उस की कैपेसिटी 28 हजार क्यूसिक्स की होगी। (तालियां) पानी आता है और जाता है लेकिन 28 हजार क्यूसिक्स तक पा नी वहां रहेगा ही। इसके साथ–साथ हमारी नहरों में भी पानी चलेगा। कने वाला नही है। बरसात के दिनों में 14 हजार था और अब वहां पर 28 हजार क्यूसिक्स पानी रहेगा ही। उससे नहरें चलेगी। और उससे किसान चना, सरसों, जौ वगैरह बीज सकेगा बाद में एक बरसात होगी तो फसल पक जाएगी। इसी तरह से दूसरे समझौते की बात आई, कुछ भाई कहते है.... (शोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये पिछले सैशन में कहते थे कि राम जो भी मुझ से पूछ कर बरसेगे (शोर) क्या यह धारा भी समझौते में लिखी गयी है?

चौधरी भजन लालः उसी राम के ही आशीवाद से हम यहां पर बैठे हैं धीर पाल जी। (शोर) किसी समय आपकी जगह पर हमारी पार्टी के लोग बैठे थे। जैसा राज आपने चलाया, हमें पता है। मेरी धर्म पत्नी भी इधर बैठी थी। एक बार राजीव जी चौधरी देवी लाल को कांग्रेस में लेने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे उनको समझाने के लिए दो घंटे लगे। उन्होंने मेरे को कहा कि देवी लाल जी कांग्रेस में आना चाहते हैं और हमने उनको लेने का फैसला कर लिया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लें। मैं ईमानदारी से कहता हूं। (शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कई बातें यहां पर करने की नहीं होती, मैं अलग से बता दूंगा।

चौधरी भजन लालः आप इतना तो बता दें कि यह बात ठीक है या नही। इन्होंने कह दिया कि मैं बाद में बता दूंगा इसका मतलब यही है कि यह बात ठीक है क्योंकिं इन्होंने कहा है कि यह बात यहां बताने की नहीं है। अगर आप कहे तो मैं पूरी बात बता देता हूं। मैं औन ओथ और ईमानदारी से बताऊंगा। मुझे राजीव जी ने कहा कि रणजीत और देवी लाल दोनों कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर इनको ले लिया तो हम योउ किस के खिलाफ मांगेंगे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मास्टर नारायण सिंह जो एम० पी० हैं, उनको

तो हमारे को दुआ देनी चाहिए, वरना वहां से तो कोई और ही एम० पी० होता।

चौधरी भजन लालः इस मामले में हमारी पूरी दो घंटे बात हुई। मैंने कहा यह नहीं हो सकता। अगर देवी लाल को कांग्रेस में लोगे तो हमें वोट कहां से मिलेंगे? आपको पता ही है कि जनता ने उनके खिलाफ क्या फतवा दिया था?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एक समय पर चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री थे और प्रताप सिंह दौलता भी हा उस के सदस्य थे। तो कोई ऐसी बात चल रही थी तो चौधरी साहब कहने लगे कि तुम फलां नेता के पांव पकड़ते हो। तो उन्होंने कहा कि आपका कौन सा कापी रा ईट है। (हंसी) तो स्पीकर साहब, कांग्रेस में तो कोई आए और कोई जाए, कोई खास बात नहीं है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, जो बात बीरेन्द्र सिंह जो ने कही है, यह बे बुनियाद है। आप असैम्बली की डिबेट निकाल कर देख लें। न मैंने कुछ कहा और न दौलता ने कुछ कहा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह बात उस समय की है जब चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री थे। उस समय दोलता साहब अपोजीशन की तरफ से जीत कर आए थे। वे कांग्रेस में शामिल होना चा हते थे। उन्होंने इनको कहा था कि आपने

दरवाजे तो बन्द कर ही दिए थे लेकिन रोशन दान भी बन्द कर दिए, मैं कांग्रेस में कहां से बडू? (हंसी) कांग्रेस में तो सभी का स्वागत है क्योंकि यह तो बहुत बड़ी पार्टी है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक बात शायद आप मानेंगे कि मैं भी मैंबर था और दौलता साहब भी मैंबर थे। किसी ने कह दिया कि फलां आदमी शराब पीता है, बीड़ी पीता है या हुक्का पीता है। तो उस समय बंसी लाल जी ने कहा था कि मैं कोई भी चीज नहीं पीता। तो दौलता साहब ने कहा था कि आप सब कुछ पी एं लेकिन हमारा लहू मत पीए। (हंसी)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हुआ यूं था कि नो–क फिडैसं–मोशन चल रहा था। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं न शराब पीता, न हुक्का पीता और न बीड़ी पीता तो दौलता साहब ने कहा कि तू कुछ नहीं पी ता हमारा खून पीवै। (हंसी)

चौधरी भजन लालः मैंने झूठ ही नहीं बोला, ठीक ही कहा। कभी–कभी ऐर्सा गतें होनी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, यह जो फैसला हुआ है यह ऐतिहासिक है। सभी लीडर्ज इस फैसले के पीछे 1970 से यानि 24 साल से लगे हए थे कि इस बारे में कोई समझौता हो, कोई फैसला हो। चौधरी बंसी लाल ने भी कहा और चौधरी देवी लाल ने भी कहा। लेकिन इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। मैं इस बात की भारत सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे मे फैसला कराया। हम प्रधान मंत्री और

वाटर रिसोर्सिज मंत्री श्री शुक्ला जी के बड़े आभारी हैं जिन्होंने यह फैसला कराया।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्त में जमुना नदी के पानी के बंटवारे के बारे में कोई केस ही नहीं खुला था। मेरे सामने कभी भी ऐसी बात नहीं आएँ थी।

चौधरी भजन लालः ऐसा है चौधरी बंसी लाल जी, आपको याद होगा कि ताजेवाला हैडवर्क्स बनाने के बारे में जो केस था, उसके साथ हो यह मामला जुड़ा हुआ था। यह रिकार्ड में है। चौधरी रणबीर सिंह भी एक दफा उस मीटिंग में गए थे। हमने वह रिकार्ड देखा है। इसमें बहस की कोई बात नहीं है और न ही इसमें स्टेट के नुक्सान की कोई बात है।

चौधरी बंसी लालः ताजेवाला हैड वर्क्स बनाने की बात आई थी, और उसका साईट के बारे में कोई झगड़ा चल रहा था। हम हथिनी कुण्ड बैराज बनाना चाहते थे। मगर उस समय जमुना के पानी के बंटवारे के बारे में कोई बात नहीं आई थी।

चौधरी भजन लालः चली, कोई बात नही। हमने बात की है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सन 2000 में यह फैसल, खत्म होने जा रहा है और पंजाब के भाई कैसे बात करते हैं ? यह बहुत झमेले की बात थी। हमने आज तक जो पानी इस्तेमाल किया है, वह 4 बी० सी० एम० से ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने 4 बी० सी० एम० से कम पानी इस्तेमाल किया है।

नए फैसले के मुताबिक हमें अब 5.73 बी० सी० एम० पानी मिलेगा। अब आप सभी महानुभाव यह फैसला कर लें कि पौने चार बी० सी० एम० पानी ज्यादा है या 5.73 बी० सी० एम० ज्यादा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस पर दो हैड वर्क्स बनेंगे एक किसाऊ डैम और दसरा रेणुका डैम। डैम बनने मे जमुना का पानी बरसात के दिनों में०पर रुकेगा। बरसात के दिनों में जब पानी०पर रुकेगा तो सर्दियों में, गर्मियो में उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे भाखड़ा डैम बना हुआ है, उसी तरह से जब ये डैम बन जाएंगे तो पानी०पर रुकेगा और उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद हथिनी कुण्ड बैराज में 16 मैगावाट बिजली बनेगी। ये इल्जाम लगाते हैं कि भजन लाल ज्यादती कर रहा है कि पानी हिसार ले गया या सिरसा ले गया। ओम प्रकाश चौटाला जब दक्षिणी हरियाणा में जातै हैं तो यह इल्जाम लगाते हैं कि भजन लाल पानी हिसार ले गया या सिरसा ले गया लेकिन ये हिसार और सिरसा में यह बात नही कहते। चौधरी बंसी लाल जो जब कभी दक्षिणी हरियाणा में जाते हैं तो वे, भी यही इल्जाम लगाते है लेकिन भिवानी में यह नहीं कहेंगे और हिसार में भी नही कहेगे। अध्यक्ष, पानी का सिस्टम भजन लाल के वक्त का नही है। आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप पुराने तजूर्बे– कार हैं। सारी बातों में से निकले हुए हैं। इस पानी का आज का सिस्टम नहीं है। जिस समय भाखड़ा नहर बनी, उस समय भजन लाल किसी पिक्चर मे नहीं या। उस समय भजल लाल एक बहुत छोटा सा आदमी गांव में मैम्बर पंचायत था। उस समय यह

सिस्टम बना था कि भाखड़ा नहर का पानी कौन से एरिया में जाए और जमुना का पानी कौन से एरिया में जाए। आज भी उस सिस्टम के तहत वह पानी जाता है और उस सिस्टम के तहत ही हरियाणा के सभी जिलों में यह पान। जाता है। वह सिस्टम बनाने वाले कौन थे? उस समय सबसे पहले तो चौधरी लहरी सिंह, ज्वायंट पजाब में मंत्री थे जोकि रोहतक और सोनीपत के थे। राव वीरेन्द्र सिंह भी थे, जो दक्षिणी हरियाणा के ही रहने वाले है। उस समय इनके पास इरीगेशन का महकमा नहीं था। महकमा उनके पास था। इनके अलावा, चौधरी रणबीर किह, उस समय इरीगेशन एंड पावर मंत्री रहे। चौधरी रिजक राम भी रहे। चौधरी बंसी लाल जी आप मुख्य मंत्री रहे। चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी, बिल्ली के भाग का छिका टूट गया इसलिए कुछ दिन ये भी मुख्य मंत्री रहे लेकिन इस सिस्टम के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज ये इल्जाम लगाएं कि भजन लाल ने पानी उधर भेज दिया, यह मुनासिब बात नहीं है। जब ये बांध बन जाएंगे तब अरे प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। दक्षिणी हरियाणा को पानी की जो समस्या है, वह काफी हद तक दूर हो जाएगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह किसाऊ डैम कितने दिनो में बनकर तैयार हो जावेगा। मुझे इस बारे में एक मिसाल बाद आ गई। लाखन मा जरा गांव मे एक कामरेड था। वह सुबह सर्दियो मे रोज एक

जमींदार की दीवार के साथ बैठ जाता था, धूप सेकने के लिए। कहता था कि भाई क्रांति हो गई। समाजवाद आयेका। सब बराबर हो जाएंगे तो उसी के पड़ौस में एक आदमी और रहता था। कामरेड ने रोज यही बात करनी थी। जो उसके पड़ौस मे गरीब आदमी रहता था, दो उसके छोटे–छोटे बच्चे थे। उनका बाप मर गया। वह उसे कहने लगे कि कब आयेगा तेरा समाजवाद? तो वह कहने लगा, इसमें तो समय लगेगा। तो वे लोग कहने लगे कि मातु के बालको को तो आज ही चाहिए समाजवाद। तो स्पीकर साहब, किसाऊ डैम बनने की बात शुरु से करने रहे हैं कि बनेगा। ठीक है किसाऊ डैम बनेका तो दक्षिण हरियाणा के साथ पानी की समस्या हल होंकी लेकिन अगर 10 साल में था 15 साल में बनेगा तो क्या फायदा? मातु के बालकों को तो यह डैम आज हो चाहिए। (हंसी)

चौधरी भजन लालः मातु के बालक क्या ये सामने वाले है? अध्यक्ष महोदय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है कि इसमें टाईम लगेगा और इसको जल्दी बनना भी चाहिए। भारत सरकार ने क्या है कि इसके बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा लेकिन बनेगा जरूर जब कोई चीज बनने के लिए तय हो नई, तो आखिर में वह बनती है। चाहे त्सो बने या तेज, बनती जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने 1991 में कार्य भार संभाला था। उस समय बिजली की स्तिथी काफी खराब थी। उस समय यानि वर्ष 1991 में 2,229 5 मैगावाट की पैदावार थी, जो

कि 1994 में बढ़ कर 2,377.10 लाख मैगावाट हो गई। वर्ष 1991–92 में प्रति दिन बिजली की प्रोडक्शन 268 लाख यूनिट रही थी जो वर्ष 1994–95 में 299 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई। राज्य के थर्मल प्लांट में जो बिजली 1991 में 2 लाख रु हजार यूनिट थी, वर्ष 1994 में 22,286 लाख यूनिट हो गया है। यह पहले की अपेक्षा 14 परसैट अधिक रहा। हमने गत साढ़े तीन वर्षो के दौरान 45 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शज दिए हैं। राज्य सरकार ने बिजली की खपत की अधिक मांग के दौरान, कृषि मे कई दफा जब पीक सीजन होता है, 60 परसैंट के करीब किसानों को बिजली दी। इसी तरह से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निजि उद्यमियों को भी कहा है कि यदि कोई प्राईवेट प्लांट लगाना चाहती है, तो लगा ले। जब तक नई यूनिट्स न लगे, तब तक बिजली की कमी पूरी नही हो सकती। सच्ची बात कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे सामने चौटाला साहब और सम्पत सिंह जी बैठे हैं, इनके पौने चार साल के राज में, एक भी बिजली का नया यूनिट नही लगा। अध्यक्ष महोदय, हमने आ ने के बाद जब काम अपने हाथ में लिया तो यमुना नगर के प्लांट के बारे में बातचीत की। इन्होंने एन० टी० पी० सी० मै यमुनानगर प्लाट को देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। हमने इस प्लांट को एन० टी० पी० सी० से वापिस लेकर इजरायल की एक बहुत बड़ी फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है। (विघन)

श्री सतबीर सिंह कादयानः चौधरी देवी लाल जी ने पानीपत थर्मल प्लांट के 'दवे यूनिट का उद्घाटन किया था और छठी यूनिट का फाउडडेशन रखा था। अपने इन पर एक पैसा भी खर्च नही किया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, यमुनानगर के प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं करैक्ट कर दू कि चौधरी देवी लाल जी ने इस संबध में राजीव गांधी जी को लैटर लिखा था कि आप इस प्लांट को ले ले। उन्होंने इस प्लांट को एन० टी० पी० सी० को दे दिया। एन० टी० पी० सी० ने भी एस्टिमेटस बना कर भेजे थे कि दो प्लांट हम शुरु करते हैं। इसके खर्चे का तीसरा हिस्सा वह देंगे और एक हिस्सा हमें देना– पड़ेगा। तो इस पर गवर्नमैंट ने इन्कार कर दिया था।

1.00 बजे

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इजरायल की कम्पनी के साथ सोदा किया और उनमे यह का किया गया कि यह प्लाट आप लगाएंगे। यह कम्पनी दुनिया की बहुत बड़ी कम्पनी है और भारत सरकार तथा एन० टी० पी० सी० ने उनसे बातचीत की है। जहां तक खर्च का ताल्लुक है, एन० टी० पी० सी० ने भी कह दिया कि हम यह पैसा खर्च नहीं कर सकते है। 15 परसैंट पैसा लगाने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होने कह दिया कि हम यह नही लगा सकते तो हमने सोचा किं इस बारे में क्या

किया जा सकता है? इस प्लांट के लिए यह पैसा स्टेट गवर्नमैंट लगाएगी। आप सभी जानते हैं कि आज बिजली बहुत ही जरूरी चीज है। इसकी जरूरत को देखते हुए एम० ओ० यू० साईन हुआ और मामला नजदीक लग गया। (विघ्न) जब मैं इजरायल गया था यह एम० ओ० यू० उस वक्त साईन हो गया था लेकिन एम० ओ० यू० साईन होने से वह फाईनल नहीं हो जाता। (विघ्न)

एक आवाजःउस एम० ओ० यू० की कॉपी तो हमें आज तक नही मिल पाई है।

चौधरी भजन लालःवह कॉपी इसलिए नहीं मिल पाई है कि अभी पावर परचेज एग्रीमैंट होना बाकी है। जब पी० पी० ए० साईन हो जाएगा, तब उसकी कॉपी. यहां पर सदन में रखेंगे (विघ्न) एम० ओ० यू० में तो केवल इतना होता है कि हम यह प्लांट लगाएंगे। इसमें कोई मुद्दा फाईनल नहीं होता है।

श्री अध्यक्षःश्री वीरेन्द्र सिंह जी, इस बारे में बता देंगे।

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपस की कोलैबोरेशन प्राईवेट डिवैल्पमैटल कार्य का कोई प्लाट लगता है, तो उसमें एम० ओ० यू० साईन होता है। उसमें कमर्शियल कौसीस्वैसिज की क्लाज भी होती है। जब तक मामला फाईनल न हो जाए, तव तक न तो उनको और न हो हम को कोई ऐसो बात पब्लिक में कहनी चाहिए, कोई भी वात पब्लिक में नही आनी चाहिए। जैसे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि ज्यों ही

पी० पी० एर साईन होगा, उसकी कापी हाउस में आएगी। उससे पहले उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी भजन लाल:अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बिजली की दरें बढ़ा दी। आज बिजली जीवन की सवसे बडी आवश्यकता है इसलिए वह आज बहुत बड़ी चीज हो गई है। आज बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है। आज अगर किसी के घर चार भैसे हैं तो कोई लस्सी मांगने चला जाए तो कहेंगे कि अभी बिजली नही आई। यानि कि आज दूध भी बिजली से रिडकते हैं। कपड़े धोने के लिए भी आज बिजली की जरूरत है। मशीन से कपड़े धोते है। आज आबादी कितनी बढ़ गई है। उसके हिसाब से बिजली की माग भी बढ़ रही है। कितने नये घर बन गए है। आज अगर पानी गर्म करना है, तो पहले को तरह चूल्हे या हारे पर पानी गर्म नही होता बल्कि उसके लिए भी गीजर है तापने के लिए हीटर है मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली की मांग आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने यह फैसला किया है और हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में 1009– 1000 मैगावाट के दो यूनिट तथा 410 मैगावाट का एक यूनिट फरीदाबाद मे लगा ने के लिए प्राईवेट लोगों को इन्वाइट किया है। टैडर्ज अभी आएंगे। कोई भी प्राईवेट कम्पनी जो बिजली का यूनिट लगाना चाहती है, वह यह यूनिट लगाए। अभी इन्होने कहा कि बिजली के रेट्स बढ़ा दिये, अध्यक्ष महोदय, जहा तक बिजली के रेट्स बढ़ाने का ताल्लुक है, अपने प्लांट्स से हम जो

बिजली बनाते हैं, वह हमे 1.50 रु० से लेकर 1.80 रुपये मे पड़ती है। और जो एक्सट्रा हम भारत सरकार से एन० टी० पी० सी० से लेते हैं वह हमे 2.30 रुपये प्रति यूनिट मिलती है। किसानो को हम यह बिजली 50–60 पैसे पर–यूनिट पर देते हैं। आप अन्दाजा लगाएं कि जो पैसा हमे कम मिलता है, उसकी पूर्ति कहा से करेंगे? मामूली से थोड़े नौमिनल से रेट्स बढ़ाए गए है। इतने बडे नये प्रोजैक्ट्स लगाने– के लिए किसी बैक या कम्पनी से लोन लेना पड़ेगा। लोन जब भी मिलता है तो देने वालों कम्पनी, लोन देने से पहले लोन लेने वाले की हालत तो देखती है कि उसका पैसा वापस आ जाएगा या नहीं। आएगा तो कैसे आएगा, तभी उसको लोन मिलेगा। जब हम वर्ल्ड बैक से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आपके पास कोयले का पैसा देने के लिए पैसा नही है तो आपको लोन कौन देगा? इसलिए आप बिजली के रेट्स बढ़ाए। आप सारे देश में बिजली के रेट्स कम्पेयर कर लें चाहे आप पंजाब को लो, चाहे आप राजस्थान कौ ले ले या उत्तर प्रदेश को ले ले। हमारे रेट्स उनसे कुछ न कुछ कम ही होगे, ज्यादा नही हैं। जो हमने रेट्स बढ़ाए भी हैं, उसमें भी 40 यूनिट तक कोई दाम नहीं बढाए, ताकि जो गरीब आदमी है, हरिजन है, किसान णै या बैकवर्ड आदमी है, उस पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। बाकी हमने जो फ्लैट रेट्स किसानों के बुढ़ाए है, उसमे यह किया है कि अगर वे अपना मीटर लगा ना चाहें, तो मीटर लगवा सकते है और उनसे हम 50 पैसे पर–यूनिट ही बिजली का खर्च वसूल करेंगे। जो गैजेट देते है तो हमें मीटर के हिसाब से साढे

चार घण्टे के पैसे मिलते है। हमने इसका हिसाब लगाया है कि बिजली कैम से कम, छः घण्टे जरुर मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रदेश मेँ कितने उद्योग लगाए गए हैं? जब हरियाणा बना था तो इसमें साढे चार हजार इन्डस्ट्रीज थी। आज एक लाख पचीस हजार इन्डस्ट्रीज हरियाणा प्रदेश मे है और इनकी' मांग दिन–प्रति–दिन बढ़ती जा रही है। आप जानते है कि उद्योग लगने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अभी पिछले तीन सालों में लगभग डेढ़ लाख लोगो को रोजगार मिला है। इसलिए हम् चाहते हैं कि और उद्योग लगें ताकि प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था ठीक हो सके तथा लोगों को रोजगार मिते। इससे टैक्स आने से भी हमारी इन्कम बढ़ेगी। तभी हम प्रदेश में विकास का काम कर सकेंगे। इसी तरह से हमारे प्रदेश में बाहर की कम्पनियां उद्योग लगाने आ रही है। इनके राज में तो इन्डस्ट्रीज यहां से बाहर जा रही थीं और आज यहां पर वापिस आ रही हैं। जापान, सिंगापुर और दूसरे मुल्को के लोग यहां पर आ रहे है। अध्यक्ष महोदय, हम गुड़गाव में माडल टाउन– शिप विकसित क्रने जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी एक औद्योगिक पार्क विकसित करने जा रहे है। हाल ही में गुडगांव में सिंगापुर टैक्नोलोजी पार्क विकसित करने हेतू सिंगापुर की प्राईवेट पार्टी से हुड्डा के साथ एम० ओ० यू० साईन किया है। वर्ष 1993–94 के दौरान 350 करोड रुपये से अधिक की लागत से 90 बड़ी इकाईयां मध्यम दर्जे की इकाईयां, 102.16 करोड़ गपये की लागत से और लघु इकाईयां 5 हजार 338 की लागत से स्थापित की गई है जिसमें 33 हजार लोगों को

नया रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में उद्योग कुंज नामक योजना शुरु की है., जिसके अन्तर्गत् ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी इन्टरनैशनल स्टेट स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के प्रथम चरण में सोनीपत जिले के लढेरो गांव, सितगांव, गुडगांव के निकट अलेपुर गाव मे, एच० एस० आई० डी० सी० द्वारा शेड निर्मित किए जा चुके हैं। उद्योग कुंज के इन प्लाटों का फाऊंडेशन स्टोन जिला प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। उद्योग कुंज सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक और अम्बाला में स्थापित किया जा रहा है। जिसके लिए गांव का चुना व इस जिले के उपायुक्तों के सुपुर्द किया गया है। सड़को के बारे में, अध्यक्ष महोदय, जब इनका राज था, तो क्या हालात थे? अगर मैं एक–एक सड़क की चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे तो इनकी बा तों का भी जवाब देना है। लेकिन इनका साढ़े तीन साल तक राज रहा है और एक रोड़ी भी सड़क पर नही लगाई। इतनी बुरी हालत सड्कों की थी। कोई नई सड़क बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमने उन सारी सड़कों की मरम्मत करवाई है और नई सड़कें भी. बनवाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी सड़क दिल्ले, जमुना नगर और अम्बा ला के बीच 237 किलोमीटर एक्सप्रैस का निर्माण एवं अध्ययन के लिए मलेशिया की एक कम्पनी के साथ समझौते की बात की है। चौटाला जी, उस समझौते के बारे में कहते हैं कि इसमें बहुत गड़बड़ है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है। इनको तो घोटाला ही दिखता है क्योंकि इन्होंने इनके राज में कोई और काम किया ही नही शै। जैसे ये

खुद है इनको दूसरे भी वैसे ही दिखते हैं। (विघ्न) अभी इस बात का एग्रीमैंट तो हुआ नही है। इसकी स्टडी चल रही है। जब होगा, तो आपको जरूर बता देंगे। अध्यक्ष महोदय ये लोग अपने आप तो कुछ करते नही है और अगर दूसरा कोई करता है तो बातें करते है। अब विश्व बैक की सहायता से आठ सौ किलोमीटर लम्वे महत्वपूर्ण राज मार्ग को अन्तर्राष्ट्रीय माप दण्डों के अनुरूप सुधार करने के लिए 450 करोड रुपये की योजना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत की जा चुकी है। अब गत तीन सालों में पुलो का निर्माण भी हमने किया है। सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधा हमने पहुंचाई है। आप जानते हैं कि फोर लैनिंग का काम भी हमने ही शूरू करवाया था और उस कम्पनी का इन्होंने काम बन्द करवा दिया। अब लोग जानते है कि काम क्यों बन्द करवा या गया? ये उससे क्या चा हते थे? अगर मैं उसके बारे मे कहूंगा तो बदमजगी पैदा होगा। जो कि मैं पैदा नही करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, हमने आने के बाद उसी कम्पनी से उसी रेट पर काम शुरु करवाया। मैने पूछा कि आपने यह काम क्यो बन्द कर दिया था। उन्होने कहा कि चौधरी साहब कैसे काम कर सकते हैं। उन्होने इतनी मान कर दी कि पांच करोड़ रुपये हमे पार्टी के लिए दो। हमने राजीव गांधी को बदलना है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इन्हे कहा कि हमारे पास तो यह नही है। तो उनने कहा कि मुझे कहा गया कि काम बंद कर दो। इसलिए उसने काम बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने आकर इस काम को फिर शुरु

करवाया है। आज आपके सामने है कि वह सड़क करनाल तक बनकर तैयार हो गई है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण एक व्यक्ति को सदन में आमत्रिंत करने संबंधी रूलिंग रिजर्व करना।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्य मती जी यह भी बता दे कि सी० एल० वर्मा से किसने पैसे मांगे और कैसे मांगे? अध्यक्ष महोदय, हाऊस में अगर कोई बात कही जाए तो उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाए। इनको यह ज्ञान नही है कि हाउस के डैकोरम को कैसे का यम रखा जाता है? अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो भी बात किसी भी तरह से कही जाए, वह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगाया जाए तो बाका – यदा उसका नाम भी देना चाहिए और उसको हाउस के दूसरे सम्मानित सदस्यों को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाउस के लीडर हर बार इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि उस कम्पनी से पांच करोड़ रुपये लिए गए। मैं आपको इस बारे मे यह कह ता हूं कि इसके लिए हाउस की एक कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिए और वह कमेटी इस बात की इंक्वायरी करे कि क्या किसी आदमी के साथ इस प्रकार का कोई सौदा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, आपको यह अधिकार है कि आप उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस आदमी पर केस चलाएं। लेकिन वैसे ही

अनर्गल बा तें यहां पर नहीं होनी चाहिएं। यहां पर जो भी बातें कहीं जाए, वह तथ्यों पर आधारित कही जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मै यह मामला आप पर छोड़ता हूं। जहां तक नाम बताने की बात है, तो मैं नाम, भी बता देता हूं। हम कोई डरते थोड़े ही है। अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन है। इसलिए मैं आपको इस मामले के लिए जज मुकर्रर करता हूँ। जिसका यह कंटीनैटल कम्पनी है, उसका नाम सी० एल० वर्मा है और वह फरीदाबाद का रहने वाल, है। मैंने उसको बुलाकर पूछा कि आपने इस पर काम क्यो बंद किया है तथा आप यह काम शुरु करिए तो वह कहने लगा कि चौधरी साहब अब तो काफी रेट बढ गए हैं। तब मैंने उससे कहा कि या तो आप पहले बा ले रेट पर ही काम शुरु करिए, वरना हम आपकी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे और दुनिया के सारे अखबारों में यह बात छापने के लिए भेज देगे। तब उसने बड़ी मुश्किल से यह काम शुरु किया। जब मैंने उससे पूछा कि यह काम क्यों बंद किया था तो उसने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने मुझसे पांच करोड़ रुपये मांगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूं। अगर उसने कहा कि यह मैंने नहीं कहा है तो आप जो कहेंगे या जो सजा देंगे, वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाःअध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यह बात हाउस में कही गयी है और मेरा

नाम इसमें जोड़ा है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर यह कहा गया है कि उस व्यक्ति से मैंने पैसे मांगे तो अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे किसी व्यक्ति से ओम प्रकाश पैसे मांगेगा? आप उस सी० एल० वर्मा को हाउस में बूलाएं और उसका इस बारे में ब्यान लें। अगर उसका व्या न मेरे खिलाफ होगा तो ओम प्रकाश सजा भुगतने के लिए तैयार है। आप इस हाउस की एक कमेटी बनाए। लेकिन अगर उसका व्यान मेरे खिलाफ नही होगा तो यह केस प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए और मुख्य मंत्री के खिलाफ इस बात के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी झूठी, असत्य औंर अनर्गल बातें कहने की आदत बन चुकी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारो के हिसाब से सी० एल० वर्मा को यहां बुलाए और उसका व्यान लें। अगर आप उसको नहीं बुला सकते हैं तो फिर यह केस प्रिवि– लेज कमेटी को देकर उसको बुलाया जाए। सर, यह हाउस की प्रिविलेज का सवाल है। केवल ओम प्रकाश चौटाला का सवाल नहीं पै। हाउस की गरिमा को कायम रखा जा ना चाहिए और झूठी बात कहने पर बाकायदा से रोक लगनी चाहिए। अगर यह बात गलत एवं असत्य कही गयी है और किसी का नाम लेकर कही गयी है तो मुख्य मंत्री जी को भी प्रिविलेज कमेटी में मुलजिम के तौर पर खड़ा करना चाहिए। मैँ आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं इसके बारे में फैसला करके आदेश दें। इसके लिए कमेटी बनाएं और उसको यहां पर बयान देने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है, इसका भी निर्णय आप क।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने भी आपको यह मामला सौंप दिया है इसलिए इस बारे में अब आप ही फैसला कर लें। अगर उसने यह नहीं कहा होगा तो सजा भी आप पर छोड़ दूंगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, उसको हाउस में बुलाया जाए क्योकि यह हाउस की गरिमा का सवाल है और यहां पर नाम लिया गया है कि कैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी हाउस के सम्मानित सदस्य के बारे में यह कहा है कि मैंने उससे पांच करोड़ रुपये मांगे। यह मेरा सवाल नही है बल्कि हाउस की गरिमा का सवाल है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस हाउस की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सी० एल० वर्मा को हाउस में बुला कर पूछा जाए 1 अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट यानि लोकसभा और राज्यसभा में भी यह प्रथा रही है कि इस तरह के मामलो में हाउस में एक आदमी को बुलाया गया है। यह आपका अधिकार है कि उसको हाउस में बुलाकर पूछना चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप उसको चौम्बर में बुलाकर बात करें। आप मुनासिब समझें तो हाउस में बुलाइए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमने आप पर छोड़ दया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी की सुविधा का ताल्लुक है (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का फंस ना किया जाए। लीडर औफ दि हाउस ने मुझ पर एक अनर्गल इल्जाम लगाया है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो वाकआउट करना है, ये सुन नही संकते। इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह हाउस करे गरिमा का सवाल है। आप इस पर फैसला दें। सी० एल० वर्मा को हाउस में बुलाया जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बना दीजिए। चाहे थाप पूछ लीजिए, हमने आप पर छोड़ दिया है। गलत हो तो हम सजा भुगत लेंगे। हाउस की एक कमेटी बनाएं। वह जाकर पूछ लेगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, ऑन ए प्राइंट ऑफ आर्डर। स्पीकर सर, मेरे ख्याल से आपने कमेटी को इजाजत तो दे दी है अगर दी है तो इलैक्शन से पहले उसका फैसला करवा लेना। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० राम बिलास शर्मा: सर, यह कमेटी क्या आपने मुकर्रर कर दी है? Please let me start. (Noise & Interruptions). इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का मान–सम्मान है। यह कमेटी आप मुकर्रर कर दे। यह तक अच्छी रिवायत होगी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि पहले ईस बारे में निर्णय हो जाए, फिर आगे की कार्यवाही चलाए। अगर कमेटी मुकर्रर करते हैं तो उसके मैम्बर्ज के नामों की घोषना की जाए। हाउस आपकी एश्योरैस चाहता है। यह हाउस की गरिमा का सवाल है। पहले इस बात का निर्णय कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बना दीजिए। ओम प्रकाश जी अगर कमेटी ने कह दिवा कि यह बात सत्य है तो आप' क्या सजा भूगतोगे?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न है। इसकी रिकोमैंडेशन को इन्हीं सदस्यों के भरोसे माना जाएगा, तो वह फैसला नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं चाहूंगा कि जिस सी० एल० वर्मा का यहां जिक्र किया गया है, उस सी० एल० वर्मा को हाउस में बुला कर बयान लिया जाए। उसके आधार पर फैसला किया जाए। सी० एल० वर्मा स्वयं जाकर ब्यान दें। उसे मुलजिम के तौर पर बुलाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौटाला साहब पू ही किसी बात पर तोर मचा रहे हैं। मैं उनके बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूं कि इन्होंने फरीदा बाद की कम्पनी से भी पैसे मांगे, तो फिर किस मुंह से यहां इन आरोपों का खण्डन कर रहे हैं (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, गन्नौर के बी० एस० टी० के रौनक सिंह से जरा पूछिये। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न हा उस के समक्ष आया है जिससे हाउस की गरिमा को ठेस पहुंची है इसलिये जिस व्यक्ति के मुताल्लिक यह जिकर किया गया है, उस सी०एल० वर्मा को हाउस में बुला कर पूछा जाए और उस बात का निर्णय हौ जाए कि उसमें कौन सही कहता हैं, कौन गल्त कहता है और जो कसूरवार हो, उसको सजा दी जाये। स्पीकर सर, यह अधिकार आप को ही है और आप उस सी०एल० वर्मा को यहां बुला कर पूछिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बात को फैसला आप ने करना है आप चाहें तो आज बता दे, कल बता दें या फिर सोमवार को बता दे। आप चाहे तो सी० एल० वर्मा को बुला लें या यह मामला कमेटी के सुपुर्द कर दें। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर सर, हाउस में सभी सदस्यों की मौजूदगी में उसको बुलाकर पूछा जाए ताकि असलीयत का पता लग आए 1 (शोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, अब ये कमेटी से भी भाग रहे हैं। (शोर)

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, बार–बार इस हाउस में एक ही शत कही जा रही हैकि यह सदन की गरिमा का सवाल है। यह हाउसे कौ गरिमा का सवाल नहीं है, यह तो केवल एक आदमी की गरिमा का सवाल है। यह हाउस का सवाल नहीं है। यह बात साफ होना चाहिये।

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिह): स्पीकर सर, चौधरी ओम प्रकाश घोटाला जीं ने आपको प्रार्थना की कि जिस व्यक्ति ने उनके०पर जो आरोप लगाया है, उसके लिये जिस व्यक्ति का नाम, कौन वह व्यक्ति है, जिस ने पैसा मांगा है, उसका नाम दिया जाए। उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। श्री सी०एल० वर्मा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैसे मांगे। इन्होने फिर कहा कि आप सी० एल० वर्मा को हाउस में बुलाईये तो फिर आप बताएं कि इस तरह से किसी बाहरी व्यक्ति को हाउसे में बुलाने का प्रोसीजर है या नही है। उसके बाद फिर इन्हेंने कहा कि इस के लिये एक कमेटी मुकर्रर कीं जाये। इस बात को भी मुख्य मली महोदय ने मान लिथा किं एक कमेटी का गठन कर दिया जाये और अब जब

कमेटी के गठन की बात आ ई तो फिर यह कहने लगे कि इन मैम्बर्ज के सहारे क्या अकेले यही हैं इस हाउस में बाइज्जत। इनके इलावा बाकी सभी बेइज्जत और धेले के आदमी है आखिर चौधरी साहब, आप इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री रह चुके है। एक सीनियर मैम्बर हैं। चौधरी देवी लाल जी जैसे सीनियर लीडर के आप बेटे हैं। सभ्यता से तो न गिरिए। हर बात पर आप, आपकी बजाये तुम और तू का लफ्ज इस्तेमाल करने लग जाते हो। जरा सी बात पर आवेश में आ जाते हो। कोई मैम्बर बोलने लने तो, कहते हो कि तू बैठ जा। यह कोई अच्छी बात नही है। अब आपने सरकार को चौलेन्ज दे दिया और इसका निर्णय स्पीकर पर छोड़ दिया, तो जरा उनको प्रोसीजर सैट तो करने दो। इतना सक तो कम से कम रखो ताकि वह यह बताए कि मैं कल बताऊंगा, आज बताऊंगा या परसों बताऊंगा। इतना समय उनको देना आपका फर्ज बनता है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै आ एसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस हा उस में जो सी०एल० वर्मा का जिकर आया कि सी०एल० वर्मा से ओम प्रकाश चौटाला ने पैसे मांगे। इसलिये उसको हाउस मे बुलाकर यह पूछा जाए ताकि असलियत का पता लग सके। यह आपका अधिकार है और इस प्रकार का कायदा लोक सभा राज्य सभा मे रहा है कि ऐसे लोगों को वहा पर तलब किया जाता रहा है। उनके ब्याज भी लिये गये है। इमके साथ–साथ मैं यह भी कहूंगा कि जैसे किसी एक ने कह

दिया किं यह एक की गरिमा का सवाल है। स्पीकर सर, यह एक की गरिमा का सवाल नहीं है, यह हा उस की गरिमा का प्रश्न हैं और मैं इस हाउस का एक सम्मानित सदस्य हूं। इसलिये मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हाउस के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी बाहरी व्यक्ति का नाम लेकर के इस तरह के अनर्गल इलजाम लगाये जाते है तो इसका निर्णय हाउस में ही होना चाहिये और हाउस के सभी सदस्यों की मौजूदगी में सी०एल० वर्मा को बुलाया जाए और वे यहां आकर यह कहें कि किस ने किस से पैसे मांगे हैं या नही मागे। (शोर)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर सा हब, कई वाकयात पर या कई चीजों पर एलीगेशन या काउंटर एलीगेशन लगते रहते हैं। ऐसे एलीनेशन पार्लियामैट में भी लगते रहते हैं, हर बार वहां पर एक कमेटी बनी है और कमेटी ने ही उस बारे में पूछताछ की है। स्कैम के मामले में भी एक कमेटी बनी थी। तो इस बारे में कमेटी ही पूछती है और कमेटी ही फैसला करती है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है। यह तो कोई प्रोसीजर नहीं शै कि किसी को यहां पर बुलाया जाए। अब ये अपना मैदान छोड़ रहे है क्योंकि कही न कही कोई गड़बड़ णै।

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, अढ़ाई बज गए है और खाना खाने का वक्त भी हो गया है। अभी मुख्य मन्त्री जी की तकरीर आधी भी नही हुई। इसलिये आप प्रोसीडिगज को आगे चला ये।

Mr. Speaker : Chautala Ji, whether you admit it of I may-examine and give my decision on Monday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह आपका अधिकार है। आप सी०एल० वर्मा को इस सदन में बुलाएं।

Mr. Speaker : I will examine it and give my decision on Monday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः आप इनको हाउस मे बुलाएं।

चौधरी भजन लालः यह तो स्पीकर साहब देखेंगे कि बुलाना है या नहीं।

श्री किताब सिंहः गन्नोंर में एक रौनक सिंह के फैक्टरी थी। उसको भी बुला कर पूछा जाए कि उसकी फैक्टरी क्यों उठाई गई और उसका क्या कारण था?

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथ धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम ने जापान की सहायता से एक बढ़ियां काम किया है। बडे–बड़े शहरों मे सीवरेज का पानी बिना ट्रीटमैट के यमुना मे गिरता था। हमने 133. 47 करोड़ रुपए की लागत से यमुना एकशन प्लान लागू किया है। जैसा कि अभी चौधरी लहरी सिंह ने बताया, हमने वहां से यह काम– शुरू किया है। इसके अलावा प्रदेश में हमने लड़कियों के

लिये बी०ए० तक की शिक्षा फ्री की है और टैक्नीकल एजुकेशन में भी हमने शिक्षा की देने का फैसला किया है। चाहे वह आई० टी० आई० है या पालिटैक्निक कालेज है। महिलाओं के विकास के लिये हमने उच्च शिक्षा स्तर के एक महिला सैल की स्थापना की है। हरियाणा में 103 गैर सरकारी कालिज हैं। उनमें से, 41 कालिज लड़कियों के लिये हैं जबकि 1966 में ये सिर्फ सात होते थे। इस बारे में मैं कोई ज्यादा लम्बी बात नही कहूंगा। अब विश्व बैक की सहायता से 160 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में हमने जिला प्राइमेरी शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत किया है। 1993– 94 में 669 स्कूल भवनों की मुरम्मत को, कार्य सम्पन किया। साढे तीन सालों मे 333 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया और 1997 तक सारे राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है ताकि प्रदेश मेंकोई भी आदमी अनपढ़ न रहे। इसी तरह सै विश्व बैंक परियोजना के तहत फरीदाबाद में एक रिहायशी महिला पालिटैंक्निक, एक टैक्नीकल संस्था स्थापित को जा रही है, जिसके लिए 11 एकड भूमि भी ले ली गई है। टैक्नीकल शिक्षा पर भी हमने जोर दिया हैं। हम चाहते है कि बच्चे के पास टैक्नीकल ज्ञान हो ओर उनमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा वह प्राप्त कररू सके। एक परिवार एक रोजगार योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक संस्थानों में मोटर वाइंडिंग, सैनेटरी फिटिंग तथा गैस वैल्डिंग की आवश्यकता पर आ धारित छः महीने के कोर्स शुरु किए हैं और ट्रेनिंग लेने वाले को पांच सौ रुपए प्रति माह की दर से वजीफे भी दिए जाते हैं। हमने इसके लिये भी विश्व बैक की सहायता से 27.

86 करोड़ की एक योजना लागू को है। पंचायती राज के बारे में मैंने अभी बताया और ज्यादा बताने की आवश्यकता नही। पंचायतों को जो हम अधिकार देने जा रहे हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन ग्राम पचांयती तथा पंचायत समितियों को दिया जाएगा। मिडल विद्यालयों की देख रेख जिला परिषदों द्वारा की जाएगी। साक्षरता कार्यक्रम की देखरेख का काम भी 'पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of sitting be extended by half an hour .

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by half an hour.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम हाउस का टाईम एक घंटा बढ़ा देते। मैंने इनकी सभी बातों का जवाब देना है, इसलिये काफी समय लगेगा।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा बहुत है। हमें जा कर खाना भी खाना है।

चौधरी भजन लालः आदमी को महीने मे कम से कम एक दिन क्। व्रत भी रखना चाहिये। सत भी सेहत के लिये जरुरी' है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण–उप–औषधालयों और उप–स्वास्थ्य–केन्द्रो की देखरेख का कार्य पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा। विधवाओं और विकलांगों को पैशन के वितरण का कार्यक्रम भी पंचायतों और पंचायत समितियों की देखरेख में किया जाएगा। आगनवाडी कार्यकर्त्ताओ का देखरेख पंचायत समिति करेगी। पशु औषधालयों का कार्य भी पंचायत समिति की देखरेख में किया जाएगा। कृषि विभाग के कृषि विस्तार के कार्यकर्त्ताओ का कार्य ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के नियन्त्रण में होगा। मिनि बैक तथा सहकारी समितियों साम पंचायतों और पंचायत समितियों के नियन्त्रण में होंगी। सैट्रल कोआप्रेटिव बैक जिला परिषद के नियन्त्रण में होंगे। ग्रामीण पेय जल सप्लाई की योजना ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के नियतता में होगी। राजस्व पटवारी जो फर्द वगैरह का काम करते हैं, और नहरी पटवारी दोनों का काम ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां के कंट्रोल में होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के कंट्रोल में होगा। ग्राम विकास की योजना का काम थी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियो के नियन्त्रण में दिया जाएगा। ग्राम सम्पति की देखरेख और रखरखाव का दायित्व भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को दिया जाएगा। चरागाह, बेकार

भूमि ओर एम०आई०टी०सी० के नलकूप की देखरेख का काम भी पचा यत और पंचायत समितियों की देखरेख में किया जाएगा। इसी तरह से एस० डी०ओ० यानि उप मंडल अधिकारी के कार्य की और बिजली बोर्ड के कर्मचरियों जैसे लाईनमैन आदि हैं, उनके कार्यो की और ड्रेनेज विभाग कैं कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख का काम भी पंचायत और पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा। पुलिस द्वारा किसी भी आदमी की गिरफ्तारी की सूचना संबंधित ग्राम के सरपंच को वेनी पडेगी कि फला आदमी को फला केस में पकड़ा गया है। जब किसी आदमी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, तो उसके बारे में सारे गांव को पता नही होता है। अब फैसला किया है कि पुलिस वालों को गांव के सरपंच को बाकायदा यह इतलाह देनी होगी कि फलां आदमी को फलां केस में ले जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले वजीफे, पुस्तकें और वर्दियों का काम ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाएगा। फील्ड लैवल पर जो भी छोटे अधिकारी. हैं, उनकी गोपनीय रिपोर्ट भी पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदें लिखा करेंगी ताकि उन पर उनका पूरा कंट्रोल रहे और गांव की पंचायत और गांवों के लोगों को पूरा सुख और सुरक्षा मिले। अगर यह नही करते तो एक–एक बात की शिकायत गांव के लोग हमारे सामने करते रहते हैं। ऐसा करने से उनको गाव की पंचायत का डर होगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास का जहां तक ताल्लुक है, हमने अपने साढे तीन साल के अर्से में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 91,231

गरीब परिवारों को गरीब। की रेखा से०पर उठाने के लिये 28.40 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए है। वर्ष 1994–95 के दौरान 14,715 गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य– रखा गया था जबकि जनवरी 1995 तक 15,197 परिवार ओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य से गरीबी उन्मूलन के लिये ट्राईसम क्वालका, जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना आदि भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना के अधीन गावों में रहने वाले गरीब लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये आवास योजना आरम्भ की गई है। राज्य सरकार ने समाज कल्याण के लिये अनेकों स्कीमें चलाई हुई हैं। वर्तमान सरकार ने राज्य में एक नई बुढ़ापा पैशन योजना 1–7–1991 से शुरु की थी जिसके तहत 60 वर्ष से०पर के बुजुर्गो को 100 रुपए प्रति मास की दर से पैशन देने का फैसला किया था। इस स्कीम के अन्तर्गत 6 लाख 42 हजार लाभपात्रों को यह पैंशन हर दूसरे महीने दी जा रही है। विधवाओं और विकलांगों को भी 100 रुपए प्रति मास पैंशन दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये 1–4–1992 को अलग विभाग की स्थापना की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिये हरियाणा महिला विकास निगम कार्यशील है जोकि व्यवसायिक ट्रेनिंग एवं स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिये संस्थागत वित्त का प्रबंध करता है। ग्रामीण महिलाओ में बचत की भावना मजबूत करने के लिये महिल। समृद्ध योजना शुरू की गई, जिसके तहत एक साल में

300 रुपए जमा करवाने पर 75 रुपए ब्याज दिया जाना है। आगनवाडी कार्यकर्त्ताओं की मानदेय राशि 225 रुपए से बढ़ा कर 350 रुपए कर दी गई है और सहायकों की 110 रुपए से बढ़ा कर 200 रुपए कर दी गई है। 'अपनी बेटी अपना धन''। यह कितनी शानदार योजना है। अध्यक्ष महोदय जिस मुल्क या प्रदेश में नारी का सम्मान नही होगा और जिस मुल्क में नारी का सम्मान नही हो रहा है, वह मुल्क भटक गया है, पिछड़ गया है। भारत की एक परम्परा ग्ही है और भारत वर्ष का इतिहास रहा है कि हमेशा नारी को मान सम्मान दिया गया है। नारियों का भी इतिहास रहा है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की मान और मर्यादा के लिये अनेक कार्य किए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में ऐस। एक योजना महिलाओ के लिए तैयार की गई जो हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नही है। यह योजना हमने गांधी जी की जयन्ती के अवसर पर शुरु की है। समाज में ज्यों ही बन्टकी पैदा होता है तो उसको अच्छी नजर से नही देखा जाता। किसी के घर बच्चा होने वाला हो तो पड़ोसी बच्चा होने पर पूछते हैं कि क्या हुआ तो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि छोरी (लड़की) हो गई। यानि खुशी महसूस नही करते। इन्दिरा गांधी भी लड़की थी। पंडित जवाहर लाल नेहरु जी को बहुत से नेताओं ने कहीं कि आप दूसरे। शादी करके एक लड़का पैदा कर लें तो जवाहर लाल ने कहा नही, लड़की और लड़के में कोई अन्तर नहीं है। अगर लड़की काबिल होगी तो मेरा नाम सारे संसार में रोशन करेगी। यदि लड़का नालायक हुआ तो मेरी बदनामी होगी और सारे समाज को

कलंकित करेगा। आप जानते हैं कि इन्दिरा गांधी ने सारे संसार में उनका नाम रोशन किया। संसार के चाहे किसी भी छोटे से छोटे देश में कोई गलत बात होती थी, ते, इन्दिरा गांधी की आवाज सबसे पहले उठती थी.। इसी प्रकार से हमारे यहां पर अनेक महिलाएं ऐसी महान हुई हैं जिन्होंने देश का नाम हमेशा०ंचा किया है। मीरा बाई, झांसी की रानी, न जाने ऐसी कितनी ही महिलाए हैं जिन्होने इस देश का नाम रोशन किया है। इस मे हमने सारे हरिजन शामिल किए हैं और गरीब की रेखा के नीचे रहने वाले जितने भी दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, सभी को शामिल किया है। इस स्कीम के तहत हमने लडकी होने पर 500 रुपये उसकी मां को एक महीने के अन्दर–अन्दर देने का फैसला लिया है और 2500 रुपये लड़की के नाम इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर 3 महीने के अन्दर–अदर उसके मां–बाप को देगे। इस मद के लिये हमने 3000 रुपए रखे है। यह राशि तनि लड़कियों तक बराबर होगी। यह नही है कि पैसों के चक्र में कोई लड़कियों की लाईन ही लगा दे। यह 2500 रुपये का राशि 18 साल की होने के बाद लड़की को मिलेगी और उसके बाद चाहे वह उन पैसों से शादी करे, चाहे पढ या कारोबार करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक और फैसला लिया है कि यदि लड़की 20 साल तक शादी नही करेगी तो उसको 30,000 रुपये देंगे और यदि कोई लड़की 22 साल तक शादी नही करेगी तो उसको 30,000 रुपया देंगे ताकि आबादी पर भी रोक लगने में मदद हो सके। हम नारी को मान और सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नारी, को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुशीला क्या महिला नही थी? (शोर)

श्री अध्यक्षः छतर सिंह जी, आप बैठिए। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। चौधरी साहब, इसी संबंध में मैं मापके बताना चाहूंगा कि चाईल्ड आफिसर महिलाएं ही हैं। उनके ग्रेड का मामला आपके पास और गुप्ता जी के पास अटका पड़ा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है नो जरुर विचार करेंगें। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये भी इस सरकार ने अनेकों कदम उठाए है। अनुसूचित जातियों की छात्राओ को वर्दी पुरस्कार और किता दें आदि भी दी जाती है। अनुसूचित जाति की विधवाओं की लड़ी कयों की शादी के लिये 5 सौ रुपए की सहायता को बढ़ा कर हमने 10 हजार कर दिया है। अनुसूचित जातियों की बस्तियों में, गांवों में, गलियों में, नालियों को पक्का करने के लिये हर गांव को 50 हजार रुपये तक सहायता देने का फैसला किया है। हरिजन कल्याण निगम ने चा लू वित्त वर्ष के दौरान 12, 500 लोगों को वित्तीय सहायता, प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हरिया णा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से भी हमने हरिजन भाईयों की पूरी मददे की है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की है। पिछड़े वर्ग में किन–किन जातियों को

शामिल करना है, उसकी सिफारिश उसने हमको दे दी है और सरकार इस बारे मे शीध्र और बहुत जल्द फैसला करेगी। चालू वित्त वर्ष में विशेष घटक योजना में 142.56 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। एक परिवार एक रोजगार योजना में भी हम् ने 5 लाख रोजगार देने हैं और दिसम्बर मास के अन्त तक 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर दिलाया जा चुका है। परिवहन सेवा ओं के बारे में मैं कह सकता हूं कि राज्य परिवहन ने कार्यकुशलता से सेफ और अच्छी सेवा उपलब्ध करवा ने के लिये देश भर में ख्याति प्राप्त की है। वर्ष 1993–94 के दौरान हरियाणा रोड वेज परिचालन खर्च व्यय अन्य परिवहन सुविधाओं की तुलना में सबरों कम रहा शै जो इसकी अच्छा कार्यकुशलता का सूचक है। उसके लिए भारत सरकार ने और आडिटर जनरल ने भी बहुत भारी प्रशंसा की है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कगने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के परमिट हमने दिये हैं। कृषि ऋण किसानों को और ग्रामीण दस्तकारों, गरीब मजदूरों, छोटे व्यापारियों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैकों ने वर्ष 1992 से 1994 के दौरान 226.32 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋण दिये है। स्वः रोजगार के लिये इस योजना के अन्तर्गत लधु–उद्योग एवं छोटे कारोबार शुरु करने के लिये दिसम्बर 1994 तक 54 करोड़ रुपये के कर्जे स्वीकृत किए हैं। सहकारी बैकों ने राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगार यूवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये 753 परिवहन समितियो को सितम्बर 1994 तक केन्द्रीय सहका री बैकों के माध्यम से गाड़ियां

खरीदने के लिये 34.60 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। राज्य मे हरियाणा के हिसार, रोहतक, गुडगाव, करना त। 4 जिला मे अर्बन महिला बैंक खोले जा रहे हैं, जिंनका संचालन व प्रबन्ध महिलाओं द्वारा ही किया जायेगा। शिवा लिक शिक्षा विकास बोर्ड के अन्दर अम्बाला, मोरनी, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, नारायणगढ़ आदि ब्लाकों तथा जिला यमुना नगर के छछरौली, सहौरा और बिलासपुर ब्लाकों को चहुंमुखी विकास के लिये शामिल किया गया है। इसी तरह से 300 गहरे नलकूप लगाने के लिये एम०आई० टी०सी० ने व्यवस्था की है जिनकी 25 प्रतिशत लागत रा ज्य सरकार बहन करेगी। भारत सरकार ने इस तरह के विकास का यों के लिये करीब 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जैसे कि मैंने मोरनी और दूसरे ब्लाकों का शिक्षा विकास के लिये जिक्र किया है, उनमें प्रशासन पूरी सुविधा जुटाएगा। सन् 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार, प्रसार एवं सुधार के लिये निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। 1966–67 मे प्रति व्यक्ति शिक्षा पुर 1.92 रुपये खर्च किये जा रहे थे जो 19 92– 93 मे बढ़ कर 85/– रुपये हो गया है। करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद 4 क्षेत्रों में ट्रेनिंग सैटर स्थापित किए गए है। रक्त बैकों में एच०आ ई०वी० किट्स उपलब्ध करवाए गए हैं और रक्त परीक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है। इसी तरह से दूर–दराज के इलाको मे और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य एवं दन्त चिकित्सा प्रदान करने के लिये 25 जनवरी, 1995 से 16 मोबाईल औषधालय तथा दो मोबाईल

दन्त क्लीनिक शुरु किये हैं। हर जिले में एक– एक मोबाईल बैन उपलब्ध करवाई गई है ताकि लोगों की देखभाल मोहल्लों में जाकर की जाए कि किस भाई को क्या तकलीफ हैं।

श्री अध्यक्षः क्या ये वैनज जी०टी० रोड्ज पर भी होगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस पर भी हम विचार करेंगे। हमारे 3–4 नैशनल हाई–वे हैं, उन पर भी वेन चलनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी जी की 125 वीं वर्षगांठ पर 2 अक्तूबर, 1994 से महात्मा गांधी आवास योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये पंचकुला, यमुना नगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा हिसार में चार हजार मकान बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1995–96 के दौरान यमुना नगर, पानीपत, सोनीपत, रिवाड़ी, तावडू, बहादुरगढ़, कैथल, नरवाना तथा हांसी में 30 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 हजार मकान विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में हमने बिक्री कर चौक बैरियर हटा दिए है। आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत बैरियर्ज पर लोगों को होता थी। हमने सभी बैरियर्ज को खत्म कर दिया है ताकि लोगो को परेशानी न हो। बैरियर्ज पर आधा–आधा, घन्टा–घन्टा ट्रक खड़े रहते थे और कितना ही उनका डीजल वहां पर जलता था। इस वजह से लोगो को बहुत परेशानी होती थी। आबकारी

विभाग ने वर्ष 1994–95 मे 1372 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। जबकि वर्ष 1990–91 में यह सिर्फ 892 करोड़ रुपए था। कहां पर तो 1372 करोड़ रुपए और कहां पर 892 करोड़ रुपए। अध महोदय, पिछले तीन वर्षो मे 53. 5 प्रतिशत की कर में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस प्रकार से इस बारे में एक ठोस नीति अपना ली है। इसी तरह से हमने यह भी फैसला किया है कि जहां पर भी पंचायत यह फैसला कर ले कि हमारे गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिये तो वहां–वहां से हमने सारे शराब के ठेके बन्द भी किऐ हैं। अध्यक्ष महोदय, क्यकी सरकार ने तो गांव–गांव में अहाते खोल दिए थे। हर मोहल्ले में खोल दिए थे। कोई भी, कहों पर भी जाकर शराब का पग लगा सकरा था। आम सड्कों पर लोग बोतल बेचते थे। हमने पिछले साल सारे टेके बन्द किए हैं। इस साल हमने सारे स्टेट में सारे प्रदेश में बार्ज बन्द किए हैं। नए लाईसैंस देने और रिन्यू करने भी बन्द कर दिए हैं ताकि कोई भी ठेका या बार न खोल सके। मतदाताओं के पहचान पत्र सारे स्टेट में तकरीबन बना दिए हैं और कुछ जो बाकी हैं वह बनने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जल्दी ही सारे प्रदेश में ये पहचान पत्न बन जाएं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, अब मैं उनकी चर्चा सक्षेंप में करूंगा। (विष्य) इन्होंने कह दिया कि रा ज्य में चोरियां, डकैतियां, बलात्कारों की घटनाएं फिर से बद्ध रही है। इन्होने यह भी कहा कि पंजाब सरकार जलियांवाला बाग की

वर्षागांठ मना रही है। दूसरी तरफ सारा हरियाणा जलियावाला बाग बना हुआ है। आपने यह भी कहा कि मुख्यमन्त्री खास तौर पर कानून और व्यवस्था की तरफ ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कानून व्यवस्था कायम है और राज्य मे शांति और विकास का बहुत ही अच्छा वातावरण है। रा व्य में हरेक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हरियाणा पुलिस ने सुनिश्चित और समय पर मानव अपराधों परं कार्यवाही करके काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। गत वर्षों की अपेक्षा अपराधों में इस वर्ष और कमी आई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे पडौसी राज्यो की तुलना में बहुत अच्छी है। इस बारे मे तो इनको खुद ही महसूस करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी राज्य में आग लगी हुई थी और इनके राज में कितने बुरे हालात थे, कितनी ही घटनाए घटी। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद मे दरियापुर के पास एक साथ 36–37 आदमी इनके राज में मारे गए थे। अध्यक्ष महोदय, अगर पड़ोस में आग लगी हो तो अपने घर को बचाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी पुलिस को और अपने एडमनि– स्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हू कि पड़ौसी राज्य पंजाब में आग लगी हुई थी और इन्होने अपने घर को बचा कर रखा है। आज कानून व्यवस्था बहुत हद तक ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी एव पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्यों का उग्रवाद व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई गंभीर घटनाएं मैंने आपको सुनाई। अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र जिले में ग्राम अजनाला में उग्रवादियों द्वारा अपहरण की केवल एक ही घटना सामने आई जिसमे अपहरण

किए गए व्यक्ति सकुशल वापस आ गए ये। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक खूंखार उग्रवादी बलदेव सिंह हलवाराकलां, जिस पर एक लाख 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था, को गिरफ्तार किया है बाकि उनके साथी दि रणजीत सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 1994 में डकैती की घटना ओं के 51 मुकद्दमे दर्ज हुए जबकि 1993 में 70 मुकद्दमें दर्ज हुए थे। इस तरह, स्पीकर सर, अब इस तरह के अपराध में 35 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा 1994 में बलात्कार के केसिज के 254 मुकद्दमें दर्ज हुए जिसमें से 223 मुकद्दमे के सदस्यों को तुरन्त पकड़ लिया गया। जहां तक सम्पत्ति के सबंध में अपराध का सबंध है, वह 1994 में लगभग 15 करोड़ तीस लाख रुपय की सम्पत्ति की चोरी हुई जिसमें से दस करोड़ 79 लाख रुपये की सम्पत्ति के माल की बरामदगी हुई जो कि कुल बरामदगी का 70.48 परसैट है जबकि अभी तक भारतवर्ष में 1992 के आकड़ों के अनुसार चोरी हुई सम्पत्ति का केवल 26.4 परसैन्ट ही माल बरामद हुआ है जबकि हरियाणा पुलिस ने 70.48 परसैन्ट माल बरामद किया है जोकि एक सराहनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, टोहाना, नारनौंद और निसिंग की पुलिस फायरिंग का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कभी कोई रोक नहीं लगाई परन्तु जब कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार को आखिर कार्यवाही करनी ही पड़ती है। टोहाना और नारनौंद में पुलिस ने केवन हवाई फायरिंग ही की। इसके अलावा टोहाना में जो 31 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, उनको भी सरकार ने किसानो के हितों को देखकर डिसचार्ज

करवा दिया तथा मुकद्दमे बंद कर दिए। जैसा लगी मैंने पहले भी बताया है, नारनौंद में केवल पुलिस ने चार राउन्ड ही हवाई फायर किए थे। जहां तक सुशीला कांड का ताल्लुक है तो 8– 5–93 को अपहरण का मुकद्दमा दर्ज होने के बाद इसकी तफतीश लोकल पुलिस ने की लेकिन जब लोगो ने कहा कि लोकल पुलिस से यह केस सी०आई०ए० स्टाफ को दिया जाना चाहिए तो हमने सो०आई०ए० स्टाफ को यह केस दे दिया। परन्तु बाद में जब लोगों ने मुझसे मिलकर कहा कि इस केस को सी०वाइ०आई० को दे दें तो हमने यह केस सी०बी०आई० को दे दिया हालांकि सी०बी०आई० आमतौर पर ऐसे केस को कम लेती है लेकिन फिर थीं मैंने हाथ जोडकर उरसे प्रार्थरा की कि आप इस केस को ले लें और यह केस उनके हवाले किया ताकि सी०बाइ०आई० इस मामले को स्पश्ट करें। अब सी०बाइ०आई० जांच कर रही है जो मैं। दोषी होगा तो उसको माफ करने का सवाल ही– नहीं है। जब सी०बइा० आई० जांच कर रही है तो द्रुम कैसे माफ कर सकते हैं? इन्होने यह भी कह दिया कि वह भजन लाल के गांव का रहने वाला था फलाना बिश्नोई था। क्या सारै बिश्नोई भजन लाल के रिश्तेदार हैं। का सारे जाट सम्पत सिंह बसी लाल जी के या चोटाला जी के रिश्तेदार है ? जाति तो कि किसी भी आदमी की कोई भी हो सकती है। गांव का भी हो सकते' है। चौटाला साहब ने गांव मे इलैक्शन लड़ा और इनका संरपच इलैक्शन हार गया इसलिये आधा गांव तो इनके खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, गांव तो भवन लाल का भी हो सकता है एंव गांव मे आदमी से

खिलाफत हो सकती है। इसलिये यह तो कोई बात नही है। गांव में कोई आदमी किसी का रिश्तेदार भी हो सकता है और रिश्तेदार होकर भी वह गला काम कर सकता है। अगर वह गलत काम करे और सरकार उभे वचाने की कोशिश करे, तब तो सरकार पर उंगली भी उठायी जा सकती है कि यह भजन लाल का दूर का रिश्तेदार है और इसने गलत काम किया है तथा इसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। हमने यदि उसे बचाने की' बात की होती तो फिर हम यह केस सी० बी० आई को क्यों भेजते? फिर तो हमारी पुलिस ही कह देती कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम यह नही चा हते है। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर पूरी तरह से लोगों की नजर सरकार के प्रति यह रहे कि सरकार किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती। इसी बात को लेकर हमने यह केस सी० बी० आई० के हवाले किया है। अब सी० बी० आई० इसमें जांच कर रही है। हम तो चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी हो, ऐसा घिनौना काम करने वाले के विरुद्ध सख्त से पक्त कार्यवाही होनी चाहिए और कोई आदमी भी इसमें बचना नही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से करनाल में 24— 12— 94 को दो बच्चों के अपहरण की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मृतक बच्चे के माता—पिता ने अपने दो देवरों तथा देवरानियो पर शक किया लेकिन जब उनको तफतीश में शामिल किया गया तो मृतक के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इस मुकद्में तफतीश

सी० आई० ए० दारा की जा रही है। लेकिन आरोपित व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में मुकदमें की तफतीश सी० बी० आई० को देने के लिए याचिका दायर कर रखी है जिसकी डेट 14 मार्च, 1995 को लगी है और यह मामला अभी सब जुडिस है। इसी तरह से सेखो काड के दोषियों के बारे में भी आ पने कहा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 26– 10– 94 कौ किस तरह से कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिने इसकी भी जांच एकु बड़े सीनियर डी० एस० पी० के जिम्मे लगा रखी है ताकि वह इस केस की जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करे। इस कांड के बारे में इन्होने मंत्री का भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि चा हे कोई मंत्री हो, चाहे कोई छोटा या बड़ा आदमी हो, उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है'। आपको तो इसी बात को देखते हुए सरकार पर शक नही करना चाहिए था कि जो मेरी कैबिनट का मंत्री हो, हमारा साथी हो, हमारी पार्टी का व्यक्ति हो, हमने उसे को भी नही बख्शा है। उसे सी० बी० आई० को दिया ताकि इसांफ हो और जो बात ठीक हो वे करें। अब सी० बी० आई० ने जो कुछ किया है और जो फैसला करेगी, सिर झुका कर उसको मानेगे। हमारी उसकी मदद करने की बाते होती तो सी० बी० आई० को देने की जरूरत क्या थी? हम दो मिनट में कह देते आपको तरह से, कि इसमें वह निर्दोष है। हमने कहा कि नही, लोगों की नजरों में सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार की मान और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसी तरह रणबीर सिंह सुहाग की बात कह दी। रणबीर सिंह सुहाग के गुम होने कीं खबर आप जानते है

कैसे हुई? सैर करने गया था। कहते है, गुम हो गया। बाद में उसकी डैंड बाडी नहर में मिली। उसके लिए लोगों ने कहा। मुझे आकर डैपुटेशन मिला। सुहाग के साथ जैसा भी कांड हुआ है। यह खुदकशी है या किसी ने मारा है, कैसे मरा है इसके। जांच बाकायदा सी० थी० आई० कर रही है और जो रिपोर्ट आएगी उस पर भूरी कार्यवाही सी० बी० आई० करेगी।

इसी तरह से फरीदाबाद का जिक्र कर दिया। वहां पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही करके दोषियो को शरण देने के अपराध में चार दोषी गिरफ्तार कर लिए हैं। जय भगवान एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरनाक अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम धोषित किया गया है और पुलिस उसकी तीव्रता से खोज कर रही है। यमुनानगर सी० आई० ए० स्टाफ के बारे में आपने कहा कि 28—10—94 को सी० आई० ए० स्टाफ यमुनानगर के एक खतरनाक डाकुओ के गिरोह ने तीन सदस्य गिरफ्तार किए थे। उनसे 177 गैस सिलैण्डर तथा लूटमार के 1 लाख 32 हजार रुपये का सामा न बरामद किया गया। इन सभी ने हत्या तथा लूटमार, दो डकैती व एक चोरी के अपराध कबूल किए हैं। 29— 10— 94 को तीनों ने साईनाईड खाकर आत्महत्या कर ली जो कि डाक्टरों तथा कैमिकल ऐग्जामिनेशन की रिपोर्ट से स्पष्ट है। नगीना सें कमाल की हत्या के मुकद्में के आरोप में तात्कालीन उपाधीक्षक, फिरोजपुर झिरका तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने कमालपुर लोई को स्वयं सजा दी। हथकडियो से उसे मार दिया। सभी अभियुक्त

जिसमें पुलिस मुलजिम भी शामिल हैं सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इस अभियोग की तफतीश पुलिस एस० पी० अपराध शाखा ने स्वयं मौके पर की है। इसमें झूठे गवाही के बयानों पर तसदीक के लिए सी० आई० ए० ने झूठ मानक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। डाक्टरों ने मौत का कारण हृदय गति का रुकना बताया है। बडाव पुलिस चौकी 29—9—94 को कर्म सिंह तथा नर्म सिंह ने शराब पीकर रेलवे के कर्मचारियों से झगड़ा किया। रेलवे कर्मचारियों तथा सी० आर० पी० एफ० ने इनकी पिटाई कर दी। मामला बडाव चौकी के पास पहुचा। इन दोनों को डाक्टरी मुआयने के लिए ले जा रहे थे कि नर्म सिंह की मृत्यु हो गई। एस० डी० एम० दौरा जांच की गई। डाक्टरी ने मृत्यु का कारण पुरानी दिल की बीमारी, शराब पीना तथा चोट लगना बताया। मामला उच्च न्यायालय में विचारा— धनि है। धारुहेड़ा थाने में मौत की खबर अखबार में छपी थी। पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा बलात्कार किया। अधीक्षक, मुख्यालय रिवाड़ी ने जांच की तथा पीडित महिलाओं को भी ढूंढा, परन्तु वें नही मिली। ये महिलाएं तथा इनके परिवार रिवाड़ी जिले में भेड बकरी चोरी के दो मुकदमों में वांछित थे। पुलिस अधीक्षक रिवाड़ी अब इनकी जांच कर रही हैं। उनको गांव के सरपंच ने बताया है कि जब ये महिलाएं आएंगी, तभी पुलिस अधीक्षक रिवाडी को सूचित कर दिया जाएगा। शाहबाद में पुलिस द्वारा बलात्कार का प्रयास 25— 1— 95 को उपनिरीक्षक ज्वाला सिंह ने झुग्गियों में रजनी नामक लडकी से छेड़छाड़ की थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और

ज्वाला सिंह थानेदार को गिरफ्तार किया गया तथा दो अन्य सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया गया है। कर्ण सिंह दलाल विधायक के भतीजे पर हमला हुआ। 18– 1– 94 को रघुबीर सिंह, राजिन्द्र सिंह, अमर सिह, ने कर्ण सिंह दलाल विधायक के भतीजे श्री वेदपाल को जख्मी कर दिया।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो सो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

15.00 बजे

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): इनके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकद्मा दर्ज कर लिया गया है और तीनों दोषियों को 22– 1–95 को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। कैथल के गांव किरोयड़ मे हरिजनों पर अत्याचार की बात कहा गई। अध्यक्ष महोदय यह दो हरिजन पार्टियों का आपस का झगड़ा था। गांव से डर कर कुछ

हरिजन कैथल चले गये थे वे मेरे से भी मिले थे। मैंने उनकी जिम्मेवारी ली थी कि आप जाकर वहां पर रहो। फिर मैंने यह मामला डी० सी० व एस० पी० के जिम्मे लगाया और अब वे लोग वापिस अपने गांव में चले गये हैं और अब उसका आपस में राजीनामा भी हो, गया है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में जो नीलामी हो रही थी, वहां पर हरियाणा विकास पार्टी के कार्यकर्ताओ ने धारा 144 को तोड़ा और पुलिस पार्टी पर हमला किया जिससे कुछ पुलिस वालों को चोटे आई और फिर लोगों को वहां से तितर–बितर कर दिया गया। नीलामी बाकायदा ठीक ढंग से हो गई। एक सिपाही की पिटाई का जिक्र भी यहां पर किया गया है। आप को पता होगा कि एक उप–पुलिस अधीक्षक ने शराब पिये हुए सिपाही को कुछ कह दिया और सिपाही ने डी० एस० पी० को थप्पड़ मार दिया। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं ऐसे मामलों में आखिर थोड़ी बहुत कार्यवाही तो करनी ही पड़ती है। इस बात की हम जांच कर रहे हैं और जो ठीक बात होगी उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिगावां मंडी लौहारू में दिल्ली पुलिस द्वारा अपहरण के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने भी कुछ कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिगावां से एक हम के राधै–श्याम गोबिन्द व पवन को किसी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। उनको छोड़ने के लिये 90 हजार रुपये बतौर रिश्वत के मांगे गए। इस बारे में एस० डी० एम० लोहारू को शिकायत मिली तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को

साथ लेकर रेड करवा दिया। दो पुलिस कर्मचारी दिल्ली पुलिस के मौके से भाग गये और एक को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिश्वत का सारा रुपया और वह गाडी जो इस हादसे में इस्तेमाल हुई थी, उसको भी बरामद कर लिया गया। बाकी दोषियों को बन्दी बना लिया गया है। इस मामले की पूरी तरह से जांच की गई और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई।

इसी तरह से हांसी में जो म्युनिस्पिल कमेटी के चुनाव हुए, उस बारे में कल मक्कड साहब ने सब कुछ बता दिया है। आप जानते हैं कि इलैक्शन में थोड़ा बहुत झगड़ा हो ही गया होगा। अब वह सारा मामला ठीक हो गया है।

फरीदाबाद में एक पुलिस कर्मचारी देवेन्द्र सिंह ने 28– 2– 94 को बलात्कार का जो प्रयास किया था, उसको उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह से गुड़गांव पुलिस के बारे में कहा गया कि उसने अशोक कुमार की हत्या की। उसको मारा पीटा गया और 20– 3– 94 को जेल में उसकी मृत्य हो गई। यह अभियुक्त दिल्ली पुलिस के पास गिरफ्तार था। हरियाणा पुलिस ने किसी मामले में उसको लिया था। अशोक कुमार की मौत गुर्दे के फेल होने से हुई है। हरियाणा पुलिस की उसमें कोई गल्ती नही है।

जिला फरीदाबाद में याहिया खां का अपहरण का मामला भी यहा पर आया। जिसकी फिरौती में रकम मांग गई थी।

पुलिस ने मुख्य अभियुक्त शुभा को गिरफ्तार करके फिरौती की चार लाख की राशि बरामद कर ली है और यह बात बिल्कुल गलत है कि हमारे किसी एम० एल० ए० ने इस केस में कोई पैसा लिया है। एक किसान राजकुमार की जुलाना में पिटाई का किस्सा भी यहां पर आया कि मुख्य सिपाही रणधीर सिंह ने उसकी पिटाई की। जांच करवायी तो शिकायत कर्ता ने शपथ पत्र दिया और उसने यह माना कि गल्त फहमी में शिकायत की गई है और अब हमारा समझौता हो गया है और उसने कहा कि मैं इसकी जांच नहीं करवाना चाहता। कुछ का तिलो को रोहतक से सोनीपत ले जाया जा रहा था कि मुदई पार्टी ने उन पर हमला कर दिया जिस का रण से दो का तिलो की हत्या हो गई। इस मुकदमें में 29 मुलजिमों का, जिनमें दो पुलिस कर्मी भी हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी शूटिग पार्टी को निलम्बित कर दिया गया है और जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, पिंजौर में बाबू राम चेयरमैन की हत्थों हों गई। लेकिन डाक्टर ने बताया कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है। इसी लिये मुकदमे को खारिज किया गया है। जाखल थाने में कैला देवी किसी चोरी के मामले में तफतीश के लिये थाने में बुलाई गई थी। उसकी मारपीट हुई। सारी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट दी शै कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। सरकार ने गुप्त विभाग से भी इसकी जांच करवाई है। पता चला हैं कि उसकी भी यही

रिपोर्ट है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। डाक्टरों के आतंक की बात भी कही गई है। अब माहोल संतोषजनक है।

इसके साथ साथ पुलिस हिरासत में मौतों की बात भी आई। मैं बताता हूं कि 1994 मे 6 मामलो में 8 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें तीन मामलों में पुलिस कर्म– चारियों के बारे में तीन मुकदमे दर्ज किये गये जिनमें एक उप–निरीक्षक व एक सहायक निरीक्षक गिरफ्तार किये गये। बाकी दो मामलों में आत्महत्या और एक मामला बस दुर्घटना का सिद्ध होता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस हिरासत में जब मृत्यु होती है, तो धारा 176 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत उसकी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई जाती है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही ईस मामले में की जाती है। मडकोली गांव में पुष्पा देवी, निवासी राजस्थान, के ब्यान पर मुकदमा दर्ज करके राम चन्द्र तथा प्रताप नाम के दोषियों को 7–3– 95 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ में पूजा के अपहरण के मामले में लड़की पर हमला तथा हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस ने बलाइंड केस को बड़ी सूझ–बूझ के साथ सुलझा दिया तथा दोषी राज कुमार को 4–3–95 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में आतकंवाद को मिटाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई कमी नही छोड़ी। पुलिस विभाग को हमने पूरी तरह से आधुनिक भी किया है और उन्हें नए शस्त्र दिए हैं ता कि मगर किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उस पर फौरन काबू पाया जा सके।

चौधरी बंसी लाल ने पुलिस विभाग में सभी पदों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की कमी के बारे में कहा। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि फील्ड आफिसर्ज में इनकी थोड़ी कमी है क्योंकि इन्टरव्यू के समय कमिशन में सिलैक्ट नहीं हो पाए। बाकी हैड–कांस्टेबल और कास्टेबल में कोई कमी नहीं है। चौधरी बंसी लाल जी ने नहरों की सफा ई के बारे में कहा। यमुना और भाखड़ा की नहरों की सफाई डब्ल्यू० सी० आर० पी० और आर० सी० पी० के तहत की जा रही है। उन्होने कहा कि उठान नहरो की सफाई का काम भी आर० सी० पी० के तहत किया जा सकता है, इसमें कुछ कमी है। आप जानते हैं कि हमने इसके लिए पैसा भी दिपा है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने कल भी इस बारे में बात चीत की थी कि नइरो की टेल तक पानी पहुंचाया जाए और नहरों में से रेत निकाला जाए। आपने यह भी पूछा कि विभिन्न जिलों में सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए स्प्रिंकलर सैटों का ब्योंरा दिया जाए। य जिला हिसार में 32 हैं, भिवानी में 120 और सिरसा में 5 हैं। अगली बात राजस्थान से हरियाणा में आ रहे नदी नालों पर राजस्थान जारी कंधों के निर्माण के बारे में है। इस बारे में मैंने पहले भी असैम्बली में बताया था कि इस मामले को हम राजस्थान के मुख्य मच्छी माननीय भैरों सिंह शेखावत के साथ उठाएने। इसके अलावा चौधरी बंसी लाल जी नें कहा कि रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैड वर्कस का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट को दिलाया जाए। अप जानते हैं कि यह 1966 का मामला है। इसका नियंत्रण पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास

मैनेजमैंट को देना था लेकिन अभी तक दिया नही। इसके लिए आपने भी बहुत कोशिश की। आप भी सैन्टर में मन्त्री रहे हैं, मैं भी रहा हू और चौधरी देवी लाल जी भी रहे हैं लेकिन अभी तक यह मामला पैंडिग है। हमने यह मामला कई बार पंजाब सरकार के साथ भी उठाया हैं और भारत सरकार के साथ भी उठाया है लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ। फिर भी हमारी कोशिश इसके लिए जारी है। चौधरी सम्पत सिंह और बंसी लाल जी नें कहा कि बी० एम० एल० की क्षमता 12,000 क्यू सिक से घट कर 6,000 क्यूसिक रह गई। यह बात ठीक नही है। पंजाब तथा हरियाणा की सीमा पर भाखड़ा नहर की कुल क्षमता 10,800 क्यूसिक की बजाए 9100 क्यूसिक रह गई है। इस नहर की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ कार्य करवाया है। इसके लिए हरियाणा ने पंजाब को 1 करोड़ 90 लाख रुपए की आदायगी की है, जिसमें से पंजाब ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस कार्य पर खर्च भी किए है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी कैपेसिटी के मुताबिक इसमें पूरा पानी आए। लेकिन आप जानते हैं कि यह काम करने के लिए नहर को बन्द करना पड़ता है। हम बीच में नहर को बन्द करके इसकी कैपेसिटी को०पर लाए हैं। जहां तक यमुना जस्ट समझौते की बात है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बना दिया है। इसी तरह से हथिनी कुण्ड बैराज का जिक्र भी आ चुका है। इसके अलावा आपने कहा कि पाबडा लिंक प्रोजैक्ट का जिक्र नही आया, जोकि आपके हल्के में हे। पाबडा लिंक नहर का कार्य शुरू तो किया गया था लेकिन आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में मामला फाईल

होने की वजह से इसमें स्टे है। इसलिये इस पर हम कार्य नहीं कर सकते। इसका पानी अकेले आपके हल्के में नही, बल्कि मेरे हल्के में भी जाता है। डब्ल्यू० आर० सी० परियोजना के अन्तर्गत 1858 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके लिए आधा धन हरियाणा सरकार ने जुटना है तथा आधा धन विश्व बैक प्रदान करेगा।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने कहा कि कुछ गांवों में अभी भी बाढ़ का पानी खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले के. रिठाल गांव मे बरसात का जो पानी खड़ा था, वह निकाल दिया गया है। जे० एल० एन० के माथ साथ चार गावों में पानी खड़ा था। रिठाल गांव में 15 एकड़ में, आखेत गाव में 80 एकड़ में, सुनारिया गांव के 200 एकड़ में और रसूलपुर नांव के 500 एकड़ में पानी खड़ा था। वह पानी ज्यों ज्यों फण्ड मिल रहे हैं, उसके मुताबिक निकाला जा रहा है। चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह कही कि आबियाना बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि आबियाना बहुत पुराना फिक्स किया हुआ था। उसको अब नाम मात्र बढाया है। आप जानते हैं कि रख रखाव का खर्चा बहुत बढ़ गया है। नहरों को पक्का किया गया है। अगर हिसाब लगाएं इसमें अब भी बहुत घाटा रहता है। जैसे बिजली में घाटा रहता है, वैसे हमें पानी में भी घाटा है। इस समय हमारी स्टेट में दूसरी स्टेटों के मुकाबले में आबियाना कम है। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में मैंने आपके सामने डिटेल में बता दिया है इसलिये दोबारा बताने की आयश्यकता नही है। उत्पादन के बारे में भी बता

दिया है। इजराइल कम्पनी के बारे में भी बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह कही कि सरकारी अस्पतालो में डाक्टर नहीं हैं, दवाईयां नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों के 1932 पद हैं, उनमें से इस समय 282 पद खाली पड़े हैं। यह बात सही है कि डाक्टरों की कुछ कमी है। सरकार ने खाली पड़े पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए भी प्रयास किए है। एक बार फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने डाक्टरों के 300 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था और उनके इन्टरव्यू लिए जा रहै हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही उन पदों को भर लिया जाएगा। दवाइयां खरीदने के लिए भी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पैसे दिए थे। अगले साल भी दवाईयों के लिए और पैसे दे देंगे। जिन जिन अस्पतालों में मशीनरी नही है, या उपकरण नही हैं, वह भी हम पूरा करवाएंगे।

चौधरी बंसी लालः मैडीकल कालेज रोहतक के बारे में भी बता दें।

चौधरी भजन लालः मैडीकल कालेज रोहतक में भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमुनानगर पेपर मिल का गदा पानी जमुना नदी में डालने की बात है इस बारे में हमने 133 करोड़ रुपए की योजना बना ई है ताकि जमुना नदी में गंदा पानी न डले। जमुना नदी, कृष्णा नदी और सरस्वती नदी ये तीन महा नदियां हैं। इनका मामला ठीक रहना ही चाहिए। इसके अला वा आपने कह दिया कि वर्ल्ड बैक से कर्जा ले लिया। इस बारे में मैं

बताना चाहूंगा कि राजकीय परिवार कल्याण, कृषि एवं जन संसा धन एवं सेव वितरण परियोजना है। यह परियोजना पांच साल की है इसके लिए कुल राशि 42.42 करोड़ रुपये है। इस राशि में 90 प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान है और बाकी 10 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार वहन करती है। विश्व बैक से जो कर्ज लिया हुआ था, उसकी अदायगी भी भारत सरकार ने करनी है। इस योजना पर 28– 2– 95 तक कुल 27.28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सड्कों की मुरम्मत के बारे में आपने सवा ल उठाया था, वह मैंने बता दिया अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन विभाग के बारे में बताना चाइना। बडखल कम्पलैक्स के बारे में आपने कल जिक्र किया था। तत्कालीन मुख्य सचिव हरियाणा, श्री एम० सी० गुप्ता ने 23– 7– 94 को बड़खल फरीदाबाद का दौरा किया था। उस दौरान उनके साथ बड़खल झील पर एक घटना घटीं थी। वहां पर चायपान करने के बाद श्री एम० सी० गुप्ता फरीदाबाद में फाइनैस मैनेजमैंट द्वारा दिए गए लन्च में चले गए थे। उसके बाद पर्यटन विभाग के स्टाफ को श्री एम० सी० गुप्ता के दोबारा वापिस आने की कोई सूचना नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इममें जो कुछ भी हरकत की, उसमें हमने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्यवाही की है। यदि उन सभी के नाम बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिह जी ने भूना की चीनी मिल का जिक्र किया और कहा कि उस मिल की तरफ किसानों का लगभग 3 करोड़ रुपया बक। या पड़ा है। हमने किसानो को लगभग एक करोड़ रुपया दे दिया है। बाकी भारत सरकार ने वहां से 1500

टन चीनी उठाने का फैसला कर लिया है और 10–15 दिन में वह सारा पैसा किसानों को दे दिया जाएगा। पानीपत चीनी मिल के बारे में चौधरी बंसी लाल ने कहा कि उसको शिफ्ट न किया जाए। आप जानते हैं कि पानीपत चीनी मिल वैसे ही. बहुत पुराना हो गया है। हमने उसकी कैपेसिटी डबल करने का पैसला किया है। पानी–पत और गोहाना के बचि में इस मिल को लगाएंगे। वह मिल शहर के बहुत बीच में तो नही कह सकता। बीच का मतलब तो बिल्कुल ही बीच होता है लेकिन शहर के काफी हद तक वह मिल अन्दर आ गया है। आप जानते हैं कि उसके। बड़ी भारी खुशबू आती है (विध्न) प्रो० सम्पत सिंह जी ने जिक्र. किया कि प्रदेश में वित्तीय संकट है और राशि की अलाटमैंट कम की जा ती है, यह कहना बिल्कुल ही गलत है। प्रदेश में वित्तीय संकट और राशि की अलाटमैंट राज्य सरकार की अच्छी वित्तीय संस्थाओं के कारण हा. संभव हो सकी है। चालू वर्ष की वार्षिक योजना 1025 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में 1030.33 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने अनावश्यक खर्चो में कमी करके और वर्तमान आय साधनों का सदुपयोग करके अच्छा वित्तीय प्रबंध किया है। राज्य की कर प्रक्रिया में काफी वृद्धि हुई है और भारत सरकार ने भी इनकी' प्रशंसा की है। हमारा प्रे साल में एक आध दिन का तो मैं नही कह सकता, कभी भी ओवर ड्राफ्ट नही हुआ। लाटरी के बारे में हमने प्रदेश में फैसला किया है कि लाटरी पहली तारीख से बन्द कर देंगे (विघ्न) आपने लैक्चर दे दिया कि सरकार ने ऐसा ही कह दिया, लेकिन करेगी नही। पहली अप्रैल से

हरियाणा मैं अपनी लाटरी बंद करने का फैसला किया है और बाहर से कोई लाटरी बेचने आएगा तो उस पर हम 20 परसेटं टैक्स लेंगे। आपने कह दिया कि साहब बाहर से आने वाली लाटरी पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर है, चौटाला साहब जैसा या मेरे जैसा कोई आदमी यह बात कह दे तो समझ में आ जायेगी (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने करना कुछ नही

चौधरी भजन लालः बता लाल जी ने कहा, मैंने कहा (विघ्न) लोग तो कहते हैं कि आप तो लाटरी लगा ते हो तो फिर आप बन्द करने की बात कैसे कह सकते हैं? (हंसी)

प्रो० सम्पत सिंहः सर हमने तो इनकी कैबिनेट मीटिंग से पहले महम के जलसे मे चेलैज करके कहा था कि यदि सरकार लाटरी बन्द नही करेगीं तो हम करेंगे, जा जा कर दुकानदारो से कहेंगे कि पैसे न दो, चाहे हमें लाटरी बेचने वा लो को खदेड़ना पडे, हम बंद करेंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः यह शराब भी आपने बन्द कर दी और लाटरी भी आप बन्द करेंगे फिर चालू किसने की थी? जल तक बाहर की लाटरी को बन्द करने का ताल्लुक है, यह भारत सरकार का कानून है, स्टेट गवर्नमैट इसको बन्द नहीं कर सकती, जब तक भारत सरकार इसको बदले नही। हम तो उस पर टैक्स

ही लगा सकते हैं। टैक्स बढ़ाने के बारे भारत सरकार को लिख भी दिया है, और भी जरूरत पड़ी टैक्स लगाएंगे ताकि बाहर की लाटरी यहां पर न आए हम टैक्स का रेट और भी बढ़ा सकते हैं।

चाधरी बंसी लाल जी ने पूछा कि वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया। सरकार ने विश्व बैक से 1993– 94 में 65.69 करोड रु० का ऋण प्राप्त किया। 1994– 95 में 15.81 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो चुका है।

चौ० बंसी लाल जी ने कहा कि खर्चो को कम किया जाये। कोशिश करेंगे लेकिन क्या करें, यह प्रथा आपने डाली हुई है। जब आप मुख्यमन्त्री थे तो सारे एम० एल० ए० को चेयरमैन बना दिया, बाद में देवी लाल जी को भी बनाने पड़े और मुझे भी बनाने पडे रहे है। यह प्रथा तो आपने चालू की थी। बडे भाई की प्रथा हम जल्दी कैसे खत्म कर सकते है? (विघ्न)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः सैशन चल रहा है, इत–लिये कोई नोंक झौंक होनी चहिए। (हंसी)

चौधरी भजन लालः आकड़ो की बात है इसलिये ये आकड़े बता रहा हू वरना तो इनको पढ्ने की जरुरत नही। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने एक जिक्र किया आयल एण्ड फैट्स लिमिटिड अलीपुर जिला अम्बाला का कि वह पैसा ले कर भाग गया। जुलाई 1992 में सरसों के तेल का कारखाना लगा ने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये का तीन उसको दिया गया था।

श्री अशोक मोह न बंसल द्वारा, गाव अलीपुर जिला अम्बाला मे 225 लाख रुपये की कुल लागत से 150 टन तेल प्रतिदिन निकालने के लिये लगाने के लिये 1994 में एच० एस० आर्य० डी० सी० के द्वारा 27.11 लाख रुपये की सबसिडी की स्वीकृति प्रदान करने के लिये केस आ या। कारखाने के लिए उसको जो ऋण दिया गया था, उसके एवज में कारखाने की सारी चल अचल सम्पत्तियां मन्सा देवी काम्पलैक्स में एक कनाल का प्लाट सैक्टर 19 चण्डीगढ़ में एक दुकान गिरवी रखी गई है। फरवरी 1992 में श्री बंसल और उनके परिवार के सदस्य चण्डीगढ़ छाड़ कर कहीं और च ने गए। यह सूचना मिलते ही एच० एस० आई० डी० सी० ने 22– 2– 1995 का का रखाने को अपने कब्जे में ने लिया और अपने कर्मचारियों को वहां पर तैनात कर दिया। हम अब शीघ्र ही इस कारखाने को बेच कर अपना ऋण वसूल करेंगे। कुल मिला कर इस कारखाने स्पर 233 लाख रुपये की वसूली है जब कि जो सम्पत्ति रहन रखी गयी है, उसकी कीमत इससे कही ज्यादा है (विघ्न) अष्यक्ष महोदय, एक बात मैं और हाउस में कहना चाहता हूं। सरकार ने सभी एम० एल० एज० महानुभावो से 20 लाख रुपये की अपने हल्के के लिये स्कीम बना कर देने केलिये कहा था। मुझे खेद हैकि मेरे सामने बैठे 15 विधायको में से किसी ने कोई स्कीम नहीं भेजी। इनकी इतनी हमदर्दी जनता के साथ है। ये लोग जनता और लोगों के विकास की बात नही करते। उल्टी बात तो इनसे चाहे, कितनी करवा लो इन 16 विधायकों में से एक दो को छोड़ कर किसी ने कोई स्कीम नहीं भेजी। (विघ्न) मैं यहां पर फिर यह दोहराना

चाहता हूं कि मेहरबानी करके अगर अपने हल्के में विकास की कोई स्कीम चाहते हैं तो स्कीम बना कर भेजें कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी हल्कों का समान विकास हो सभी विधायक महानुभावों को एक समान अवसर मिले। (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्षः छतर सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न) जो इन्होने कहा है, रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लछमन दास जी के बारे में तो उस दिन पूरा जवाब दे दिया था। विघ्न)

प्रो० राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक बात जानना चाहता हूं कि विकास की जो योजनाएं हैं, उनका पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है कि क्या उनको डिप्टी कमिश्नर करेंगे या राजेन्द्र सिंह बिसला जी का बोर्ड करेगा? इस बारे में तो अभी आपका प्रशासन दुविधा मे है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सभी डी० सीज० के पास यह पैसा पहुंच गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में यह बात कह रहा हूं (विघ्न) एक बात मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहना चाहता हू। बनारसी दास गुप्ता जी को जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, उसको 15 साल की

सजा हो गई थी। उस व्यक्ति का आपने स्वागत किया है और उसको अपनी पार्टी मे शामिल किया है। इस बारे में आज के पेपर में भी छपा है। आज का अखबार आप पर लें क्या यह ठीक बात नही है जो पेपर मैं छपा है कि बंसी लाल वैलकम्ज राजबीर सिंह? यह बात ठीक नही है क्या? (विघ्न) इसका मतलब तो यही जानते हैं। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा –

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ऐसे व्यक्तियो के लिये हमारे यहां कोई जगह नहीं है।

चौधरी भजन लालः तो फिर किसने यह बात कही, किसी पागलपन में तो कहा नहीं होगा। पेपर में आया है।

चौधरी बंसी लालः आपके सी० आई० डी० इन्सपैक्टर के साथ 2–3 अखबार वाले रात के 11 बजे तक होटल में बैठे रहते हैं। उन्होंने ही यह लिख दिया होगा। मैं ने ऐसी कोई बात नही कही।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अफ्रीका में यूगांडा नाम की जगह है उसका डिक्टेटर इदी अमीन था। जिसको लोग पागल डिक्टेटर कहा करते थे। (विघ्न) वह डिक्टेटर आपकी तरह से था। मेहरबानी करके डिक्टेटरपने की बात न किया करें। शांति रखो, शांति से बात करो, शांति से सुनो और ठीक बात कहो। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे शांति से सुना। अब मैं आपके द्वारा सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा है, उसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। (शोर एवं (व्यवधान)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्यमन्त्री श्री ने जो स्त्रिकलर सैटस की बात कही तो क्या महेन्द्रगढ़ में स्प्रिकलर सैटस नहीं थे? इन्होंने उसका नाम नही लिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय ये अक्सर भिवानी का ही पूछते हैं तो मैंने सोचा कि इन्होंने भिवानी का ही पूछा है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे स्टेट के हर एक जिले का पूछा है। इन्होंने जो पीने के पानी के बारे में और नहरों के पानी के बारे में कहा है वह असत्य है सत्य नही है। बहुत से गांवों में साल से पानी नहीं गया है और नहरों की टेल पर कई कई सालों से पानी ही नही पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ने तुक बात सदन में कही थी कि बंसी लाल की

सरकार के और चौधरी देवी लाल या चौटाला की सरकार के टाईम मे जमीनें बेची गई हैं। तो मैं इनसे आपके जरिए से निवेदन करुंगा कि जो इन्होने बातें कही हैं इनके प्रे तथ्य सदन के पटल. पर रख दें कि, किसने, किस साल में जितने में किसको किस परपज के लिये किस भाव पर बेची हैं, ताकि इस बात की कुछ सफाई हो जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मै यह तथ्य सदन की पटल पर भी रख दूंगा और इनको बता भी देता हूं ताकि पोजीशन स्पष्ट हो जाए। अध्यक्ष महोदय, 1970 में ये मुख्य मन्त्री थे। उस वक्त इन्हेंने दिनेश कुमार सन आफ श्री ऋषिदेव हिसार को 13 सौ सकेयर यार्ड 50 रुपये गज के हिसाब से पैट्रोल पम्प लगाने के लिये शहर के अन्दर दी। इसके बाद राम कुमार सन आफ श्री बनारसी दास, की टायर सोल्ड कम्पनी को हिसार में वर्कशाप के लिये 5० रुपये गज के हिसाब से दी। इसी प्रकार से इसमें 37 नाम है। यह लिस्ट मैं आ एको भेज देता हूं आप पढ़ लेना। (शोर एस व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ने अपने जवाब में बलय–वांग दावे किए। इन्होने जमुना के समझौते के तहत

श्री अध्यक्षः यह कोई डिस्कशन की बात नहीं है। आप अपनी बात स्पष्ट करे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इन्होने कहा है और मैं बात ही कह रहा हूं। पुराना जो एग्रीमैंट था, उसके मुताबिक हरियाणा का 77 प्रतिशत पानी था और उत्तर प्रदेश का 23 प्रतिशत पानी का शेयर था। अब नए मुहायदे के मुताबिक हिमाचल को, दिल्ली को और राजस्थान को भी शेयर दिया गया है जबकि यू० पी० को उसके पहले के शेयर से अधिक शेयर दिया गया है। मुख्यमन्त्री जी यह बताएं कि वह पानी किसका है? अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्ट बात है उसमें भी हाउस को गुमराह किया जा रहा है।

Mr. Speaker : It may be your version. The Govt.'s reply is the final reply. (शोर एवं व्यवधान) आप बार बार इस बात को नहीं छेड़ सकते है। इस केस में इन्होने परसैन्टेज क्लीयर कर दी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहिए कि बजट पर बोल लेना। मैं इसका जवाब भी दे दूंगा।

चौधरों ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जिनका इस पानी में कोई हिस्सा नहीं था, उन तीन स्टेटस को पानी किसका गया है ?

श्री अध्यक्षः चौटाला जी, मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि आप बजट पर बोल लेना उस वक्त सुन लेंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, क्या हम यह मान लें कि इन्होंने जो कहा है, वह ठीक है।

श्री अध्यक्षः जी हां, जो कुछ बात कही है, वह ठीक है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो कुछ भी बात कहीं है, वह गलत कही है और हाउस को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ने आपके नोटिस में ला रहा हूं।

Mr. Speaker : It may be your version. The statement of the Government is considered true.

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, बजट में तो कहेंगे ही लेकिन मुख्यमन्त्री ने जो इस बारे में जवाब दिया है वह गुमराहपर्ण है और उससे हाउस को गुमराह किया गया है। सर, 23 परसैन्ट वा लो को भी ज्यादा पानी दिया गया है तथा राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी और पानी दिया गया है। फिर यह पानी किसके हिस्से का गया है? अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट के इंट्रैस्ट का सवाल है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी यह बात भी स्पष्ट कर दें कि राजस्थान से ज चार नदियां हरियाणा में आती हैं, जिनके०पर राजस्थान सरकार ने बांध बना लिए हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा तो यहां बिल्कुल राईपेरियन राईट था, क्या इन्होने इन नदियों के पानी को हरियाणा में लाने का कोई प्रबन्ध किया

है? इन्होने इस पानी को लाने का प्रबन्ध किए बगैर राजस्थान को पानी कैसे दे दिया? पिछले सैशन में मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि आप आकर देख लें कि हमने कोई बांध नहीं बनाए है और अगर कोई बांध बनाए होंगे तो हम उनको हटा देंगे। तब मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि हम उसके०पर इंस्पैक्शन कराएंगे तो क्या वह इंस्पैक्शन मुख्यमन्त्री जी ने कराया है और अगर कोई इंस्पैक्शन करो या है तो कब कराया और उसका क्या रिजल्ट हुआ यह बता दें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने इसका जवाब दे दिया है। शायद इन्होंने सुना नहीं है। बंसीलाल जी, आप इस बारे में राम बिलास जी से पूछिए कि हमने यह जवाव दिया है या नहीं।

चौधरी बंसी लालः आप फिर अच्छी तरह से दमा दें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 16 मिनट के लिए और बडा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है हाउस का समय 15 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था। लेकिन इन्होंने सुन नहीं है। पहले तो इन्हें एक कान से सुनाई देता था अब मुझे पता नहीं है कि इनको कौन से कान से सुनाई देता है और कौन से कान से नहीं। बंसीलाल जी, आप एक कान से सुनते हैं, आपने ध्यान नही दिया।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इनको भी एक आख से दिखता नही है, इसलिये बराबर हो गया।

चौधरी भजन लालः मुझे तो दोनों आखों से दिखता है। अगर नहीं दिखता तो एक आख मींचकर जरा मेरे मुंह में अंगुली डालकर देख लो, पता लग जाएगा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, स्टेट में टोटल 38 हजार स्प्रिक्लर सैटस लगे हुए हैं जो कि राजस्थान के साथ लगते रेतीले एरिये में, जैसे महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी, हिसार, सिरसा और गुड़गांव में हैं यह तो इनके पहले सवाल का जवाब हो गया है और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से बात हो गयी है। उन्होंने कहा है कि आप आइये। हम आपको ये दिखा देंगे। मैं मन्त्री जी और दूसरे ओफिसर्ज को साथ लेकर उनसे टाईम लेकर वहां जाएंगे और बात करेंगे तथा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी बंसी लालः कितने दिनों में करेंगे?

चौधरी भजन लालः जब भी वह टाईम देंगे। अभी तो राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से टाईम लेना है। आप अपने पड़ौस में बैठे राम बिलास जी से कहिए कि वह उनसे टाईम दिलवाएं क्योंकि वे इनकी पार्टी के मुख्यमन्त्री हैं।

श्री अध्यक्षः मुख्य मन्त्री जी, क्या आप बरसात से पहले या जुलाई अगस्त से पहले पहले वहां जाएंगे?

चौधरी भजन लालः जी हां, बरसात से पहले जाएंगे।

प्रो० राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, 23 तारीख को वहां सैशन है इसलिये ये 23 तारीख को नेहरा जी को साथ लेकर वहां चलें। 38 बांध तो स्वयं मैंने वहां पर देखे हैं। मैं इनके बारे में प्राईवेटली जानता हूं क्योंकि वहां मेरा पड़ौस का इलाका है और उनसे हम इफेक्टिड भी हैं। हमारे सिंचाई विभाग के एक बड़े आफिसर के पास इस बारे में पूरी डिटेल्ज भी है। इसलिए मैं इस मामले में इनकी मदद कर सकता हूं। अगर इनको सुविधा हो तो मैं इनको 23 तारीख को टाईम दिला सकता हूं'।

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः स्पीकर सर, अभी एक बहुत ही अहम बात सी० एल० वर्मा के बारे में आयी थी। (विघ्न) सर, एक बहुत ही जरुरी बात है इसलिये मैं मुख्यमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सी० एल० वर्मा 'की सिक्योरिटी का

इंतजाम किया जाए क्योंकि कही ऐसा न हो कि उसकी भी बेचारे अमीर सिंह वाली हालत न बन जाए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मूझे भी दो तीन बातें मुख्यमन्त्री जी से पूछनी हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, नहीं, आप बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, आपने उनको भी दो–दो बार टाईम दे दिया है, इसलिये आप हमसे ही क्यों ना राज हो रहे हैं? मेरा कोई लम्बी चोडी बात नही है। केवल एक या दो बातें ही इनसे क्लीयर करनी हैं।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह, अब आप बैठिए।

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर सर, यह कोई क्वैश्चन आदर नहीं है। यह इनका कोई तरी का नही है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, नेहरा साहब आप भी बैठिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(2) चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आन ए प्यांयट आफ पर्सनल एक्सपलेनेशन सर। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री लहरी सिंह ने मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, वह बिल्कुल असत्य और गलत हैं तथा इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

Mr, Speaker : Question is—

"That an Address be presented to the Governor in the following terms:—

That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6th March, 1995."

The motion was carried

वर्ष 1994 –95 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्यों के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।

(2) अनुपूरक अनुदानो की मांगों पर चर्चा तथ मतदान।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates for the year 1994-95 will take place.

According to previous practice and in order to save the time of the House, all the Demands for supplementary Grants will be deemed to have been read and moved. The members are requested to indicate the Demand No. on which they wish to raise discussion while speaking

That a supplementary sum not exceeding Rs.

12,96,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,37,27,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,02,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,90,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs 3,84,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,01,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of

Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 24,05,92,85,000 for revenue expenditure and Rs. 1,L0,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,12,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,06,91,000 fot revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Its. 11,92,98,990 for revenue expenditure and Rs. 10,59,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,14,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,71,400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that wili come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 16—Industries.-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,69,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,52,000 for revenue" expenditure be granted to the Governor to defray charges that wili come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1995. in respect of Demand No. 20—Forests.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,2 3,000 for revenue expenditure and Rs. 83,71,000 for capital expenditure be granted to the Governor to. defray charges that will come in the course of payment 7 for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No.22— Co-operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,25,04.000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges. that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 23 Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 37,36,77.00 for Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 199 5 in respects of Demand No. 25— Loans and Advances.

(No member, raise to speak)

Mr. Speaker : Now, I put various demands to the vote of the House.

(At this stage Prof. Ram Bilas Sharma rose to speak)

आवाजें: इसमे बोलने के लिये कुछ नहीं है।

चौधरी बंसी लाल: डिमांड पर भी नही बोलने देंगे तो किस चीज पर बोलने देगे?

प्रौ० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति के बारे में जो डिमांड नं० 14 है, इस बारे मैंने काल अटैशन मोशन भी दी थी। गांव, में जो आबादी खेती नही करती है, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों की जो आबादी, है, उनको राशन की बहुत दिक्कत है उनको गेहूं मिलती है न मिट्टी का तेल मिलता है। इसके अलावा इनमें एक डिमांड भवन तथा सड्कों के बारे में है इस बारे मैं मेरा कहना है कि जो राजस्थान से सड़क आती है उस पर सारा ट्रैफिक नारनौल महेन्द्रगढ़ और दादरी से डायवर्ट हो गया है। सारे नैशनल हाईवे का ट्रैफिक लगभग 4 हजार व्हीकल इस रोड से गुजरता है। यह काफी छोटी सड़क है और खराब हालत में है। अस सिंह जी खुद, ग्रिवैसिज कमेटी में जाते है। मैं चाहूगा कि इस सड़क को फोरलन बनाया जाए। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,96,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st Match, 1995 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,37,27,000 for revenue expenditure be granted to the. Governor to defray charges that will some in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary ,sum not exceeding Rs. 8,02,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March; 1995 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,90,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor **to** defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,84,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand. No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,01,46,000 for revert& expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st Match, 1995 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.24,05,85,92,000 for revenue expenditure and Rs. 1,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that wili come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,12,11,000 for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,06,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,92,98,990 for revenue expenditure and Rs. 10,59,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995' in respect of. Demand Nn 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not ,exceeding Rs. 15,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defrry charges that will come in the course of payment for the year, ending 31st March, 1995 in respect. of Demand No. 11—Urban Develonment.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,14,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.

1,48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 14—Food .& Supplies.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,71,400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the coarsen of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,69,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 18. Animal Husbandry.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 20—Forests.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,23,000 for revenue expenditure and Rs. 83,71,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is —

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,25,04,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand- No. 23—Transport.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 37,36,77,000 for Loans & Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 13th March, 1995.

***15.39 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 13th March, 1995.)